राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अङ्क ३] द्वितीय विधान सभा के तृतीय सत्र, १६५८ का ६४वां दिवस [संख्या ३६

सोमवार, १४ अप्रेल, १६५८

विधान सभा की बैठक म. पू. ८ बज कर ६ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न। श्री लक्ष्मीचन्द।

जसवंत कॉलेज, जोधपुर की रसायन प्रयोगशालाएं

१३२०. **श्री लक्ष्मीचन्द** (सांचोर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सत्य है कि इस वर्ष जसवन्त कॉलेज, जोधपुर में इन्टर, बी. एससी., व एम. एससी., की रसायन प्रयोगशालाओं में आवश्यक Reagents नहीं मिलने से फाईनल क्लॉसेज़ के छात्र काफी परेशान हैं ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

(२) क्या यह सत्य है कि उपरोक्त संबंध में वहां की यूनियन ने सरकार के पास रिप्रेजेन्टेन्शन भेजे हैं और प्रेक्टीकल परीक्षायें थ्योरी के बाद करने की मांग की है ? यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय दिया गया है ?

उप शिक्षा मंत्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (१) जी नहीं, यह स्थिति अब नहीं है।

(२) जी हां, जरूरी केमीकल्स और सामान एम. बी. एस. द्वारा इन्जीनियरिंग कॉलेज, जोधपुर से उधार लेकर, कुछ सामान तार द्वारा मंगवा कर तथा काफी सामान लोकल मार्केट से खरीद कर स्थिति सुधारी और परीक्षायें संतोष रूप से हो गई।

डॉ० चन्द्रकला : यह स्थिति कब तक थी और कब स्थिति बदल गई ?

श्री पूनमचंद बिश्नोई : फरवरी के अन्दर ठीक कर दिया, सामान मंगा दिया गया था।

डॉ० चन्द्रकला : क्या जुलाई से सत्र शुरू होने के बाद फरवरी तक अभाव की स्थिति बनी रही ? क्या इसमें सरकार की अपनी ज़िम्मेदारी नहीं है और क्या इससे विद्यार्थियों को नुकसान नहीं हुआ ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : कोई ऐसी बड़ी कमियां वहां नहीं थी। कुछ केमीकल्स और सामान नहीं मिला था। उसके लिए

Page No.2

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

लड़कों की शिकायतें आईं। वैसे जोधपुर कॉलेज काफी पुराना है, वहां की लेबोरेटरी वेल इक्विप्ड है।

डॉ० चन्द्रकला : क्या यह शिकायत, लड़कों का जब रिप्रेजेन्टेशन आया उसके बाद दूर की गई ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जी हां।

श्री अध्यक्ष : रावराजा श्री सरदारसिंह।

राजस्व अधिकारियों के स्थानान्तरण

१३२१. रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) रेवेन्यु ऑफिसर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार व पटवारी आदि के तबादलों के बारे में क्या सरकार द्वारा, कोई निश्चित समय या नियम निर्धारित हैं ?

(२) इनमें से सन् १६५७ में कितने तबादले ओहदेवार हुए हैं ?

(३) तबादलों में ओहदेवार क्या सर्फा हुआ है ?

उप राजस्व मंत्री (श्री सम्पतराम) : —अध्यक्ष महोदय, इसकी इन्फॉर्मेशन प्राप्त नहीं हो सकी है इसलिए नेक्स्ट वीक में उत्तर दिया जायेगा।

रावराजा श्री सरदारसिंह : जबाब नहीं आया ? यहां आ गया होगा ? वज़ह क्या है ? कब देंगे ?

श्री सम्पतराम : हुजूर, आपने तहसीलदार, नायब तहसीलदार व पटवारी आदि के ट्रांसफर के लिए पूछा है, यह मुश्किल है कि इतनी जल्दी सूचना दी जा सके।

श्री जनार्दनराय नागर : 'हुजूर' शब्द का प्रयोग आपत्तिजनक है ?

श्री अध्यक्ष : आप हिन्दी का पर्यायवाची बता दीजिये।

रावराजा श्री सरदारसिंह : कब तक दे देंगे ?

श्री अध्यक्ष : Next week.

प्रश्न संख्या १३२२

श्री शिवचरणदास।

(अनुपस्थित)

श्री प्रभुलाल पुरोहित।

ज़मीन की खातेदारी

१३२३. श्री प्रभुलाल पुरोहित (लालसोट) : क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) तहसील लालसोट के गांव बिनोरी के खसरा नं० १८१, ४३, ५४।१, ५५।१, १८२।२, १८५।२, १८६।२ के रकबे की ज़मीन की खातेदारी किस तारीख को किस ऑफ़िसर के द्वारा किस व्यक्ति के नाम हुई ?

(ख) सन् १६४७ में क्या फोरेस्ट डिपार्टमेंट के अधीन उक्त नम्बरान को लिये जाने का राजपत्र में नोटिफिकेशन प्रकाशित

Page No.3

(श्री प्रभुलाल पुरोहित)

हुआ था ? अगर हां, तो तहसीलदार द्वारा कैसे दी गई ?

(ग) क्या उक्त ज़मीन में एक पक्का कुआ था ? उसका मूल्य लिया गया या नहीं ? यदि हां, तो कितना, नहीं तो क्यों ?

(घ) उक्त ज़मीन में बबूल, खजूर आदि के कितने पेड़ थे उनकी संख्या बतावें ? उनकी कीमत कितनी ली गई ? नहीं, तो क्यों ?

(ङ) क्या यह भी सच है कि उस ज़मीन में जो खजूर के पेड़ हैं वे प्रति पेड़ ३ रु० साल में पत्ते तोड़ने को कीर ले सकते हैं ?

(च) क्या उक्त आराजी पर मेंड़ बंधाने को ३,००० रुपये तकावी के दिये गये हैं और ज़मानत में उक्त आराज़ी की सरकारी पक्की कोटी तस्दीक की गई है ?

(छ) क्या यह भी सही है कि तकावी के रुपये मेंड़ में नहीं लगे ?

(झ) उक्त नम्बरान को फोरेस्ट से कम करने का आदेश १७–१०–५६ जो दिया गया है, यह कानूनी है या गैर कानूनी ?

(झ) क्या आदेश देते समय राज्य सरकार के हजारों रुपयों का कोई ध्यान नहीं रखनेवाले व खातेदारी कायम करनेवाले अधिकारी के खिलाफ सरकार जांच कराने को तैयार है ?

उप राजस्व मंत्री (श्री सम्पतराम) : (क) नम्बर ४३, ५४, ५५ रकबा २८॥२
६॥ १/१५ २/७
बंजड का लगान ६ रुपये ११ आ० ६ पाई का पर्चा चकबन्दी शम्भूलाल पुत्र श्री बिहारीलाल ब्राह्मण चौबे, कस्बा लालसोट के नाम श्री आनन्दीलाल पारीक, बी० ए०, तहसीलदार ने तारीख २६–१०–५३ को दिया है। खसरा नं० १८२, १८५, १८६
२/६॥।३ २/१५॥ २/१४॥।२
का पट्टा श्री विशन निगम पट्टा आफिसर ने तारीख ६–१–४८ को श्री शंभूलाल पुत्र श्री बिहारीलाल चौबे कस्बा लालसोट को दिया है। खातेदारी व पट्टेदारी होने के पूर्व कुल आराज़ी सिवाय चक थी और खसरा नं० १८१, १८२/१, १८५/१, १८६/१, ५४/२, ५५/२ सिवाय चक हैं।

(ख) सन् १६४७ में तो नहीं हुआ किन्तु १६४८ में नोटिफिकेशन प्रकाशित हुआ था। सिवाय चक में होने से तहसील द्वारा अलॉट करदी गई।

(ग) खसरा नं० १८५ में एक चाह पुख्ता वाके है। इसका मूल्य कुछ नहीं लिया गया। चाह पुख्ता कीमतन ३ हज़ार रुपये का है उसका मूल्य नहीं लिया गया था। अब कार्यवाही वसूली कीमत की जा रही है।

(घ) ५६७ वृक्ष थे जिनका वज़न करीबन २,८३५ मन होता था जिसकी कीमत १ रुपये फी मन के हिसाब से २,८३५ रु० होती थी। पटवारी की गलती से कीमत वसूल नहीं हुई। अब शंभूलाल के विरुद्ध कार्यवाही वसूल कीमत जारी है।

(ङ) किसी की खातेदारी की आराज़ी के कोई वृक्ष सरकार द्वारा राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के अन्तर्गत इज़ारे पर नहीं दिये जा सकते।

(च) उक्त आराजी पर मेड बंधी के लिए २ हज़ार रुपये तकावी सूदी दी गई है

Page No.4

(श्री सम्पत्तराम)

और जमानत में उक्त कोटी मखूल की गई है।

(छ) ५८ बीघां में से केवल १० बीघा की मेड अधूरी है। बाकी सब पूरी हो गई। इसकी रिपोर्ट २०–३–५७ को पटवारी ने की है जिसकी जांच इन्सपेक्टर लैन्ड रेकॉर्डस सर्किल नं० ३ द्वारा कराली गई है।

(ज) फॉरेस्ट सेटिलमेंट ऑफिसर, जयपुर ने जो फैसला दि० १८–१०–५६ को दिया (तारीख १७–१०–५६ को नहीं) वह फॉरेस्ट एक्ट १६५३ की धारा १५ ब के तहत दिया है। अतः कानूनी है।

(झ) यह बात सही है कि आराज़ी में चाह पुख्ता होने का कोई जिक्र पटवारी ने अपनी रिपोर्ट में नहीं किया था और न इसका इन्द्राज़ पर्चा चकबन्दी में किया गया है। दरख्तान ५६७ वज़नी २,८३५ मन हैं कि जिसका भी इन्द्राज़ प्रथम पटवारी ने अपनी रिपोर्ट में नही किया था। यह मामला मदनलाल पटवारी व श्री आनन्दीलाल तहसीलदार के समय का है। इस मामले में उक्त पटवारी के विरुद्ध जांच कर एस० डी० ओ० द्वारा कार्यवाही करवाई जा रही है।

श्री प्रभुलाल पुरोहित : क्या यह सही है कि मेंड लगाई है वह कुछ बीघे ही है और ३ हज़ार रुपये तकावी के दिये हैं। बाकी का पैसा बच्चों के ब्याह आदि में लगा दिया गया है ?

श्री अध्यक्ष : मेंड़ छोटी बनाई है और रुपया यों ही लगा दिया गया है ?

श्री सम्पतराम : इसकी इत्तला नहीं है कि मेंड़ छोटी बनाई है या बड़ी ?

श्री प्रभुलाल पुरोहित : इसके अलावा आपने बताया कि ५६७ खजूर के वृक्ष हैं, वृक्ष १ हज़ार से ज्यादा हैं ?

श्री सम्पतराम : मेरी सूचना इस प्रकार की है। अगर माननीय सदस्य सूचना दे रहे हैं तो उसकी जानकारी की जायेगी।

श्री प्रभुलाल पुरोहित : क्या जिन ज़मीनों पर जबर्दस्ती कब्जा कर रखा है, उसको पटवारी ने इन्द्राज़ नहीं किया है ?

श्री सम्पतराम : आपने जो स्पेसिफिक सवाल पूछा है उसका जवाब दे दिया है।

श्री पी० के० चौधरी : आपने फर्माया कि फोरेस्ट के अन्दर ज़मीन लिये जाने का नोटीफिकेशन इश्यू किया गया। इश्यु हो जाने के बाद तहसीलदार ने ऐसा क्यों किया ?

श्री सम्पतराम : जिस तहसीलदार ने इस प्रकार की कार्यवाही की है उसको सस्पेन्ड कर दिया गया है और इन्क्वायरी की जा रही है।

श्री पी० के० चौधरी : सस्पेन्शन पुनिशमेंट नहीं है।

श्री अध्यक्ष : But that is an important stage in the enquiry.

श्री सम्पतराम : उसको सस्पेन्ड कर दिया गया है और इन्क्वायरी की जा रही है।

श्री पी० के० चौधरी : ज़मीन जिसके नाम से दी थी वह कैंसिल की या नहीं ? तहसीलदार ने जो ऑर्डर्स पास किये थे उनको कैंसिल किया या नहीं ?

Page No.5

श्री सम्पतराम : नियमानुसार इन्क्वायरी होने के बाद कार्यवाही की जायेगी।

श्री पी० के० चौधरी : उस ज़मीन में जो कुँआ था, उसके लिए तकावी लोन दिया था ?

श्री सम्पतराम : मैंने जवाब दे दिया है।

श्री अध्यक्ष : श्री जगदीशप्रसाद माथुर।

ऊन फैक्ट्री, बीकानेर

१३२४. **श्री जगदीशप्रसाद माथुर** (सीकर) : क्या उद्योग मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या बीकानेर में स्थापित ऊन फैक्ट्री की योजना सदन की मेज़ पर रखने की कृपा की जायगी ?

(ख) इस योजना पर अब तक कितना धन व्यय किया जा चुका है ?

(ग) गत वर्षों में प्रतिवर्ष कितनी आय हुई है ?

उप उद्योग मंत्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : (क) बीकानेर में ऊन फैक्ट्री की कोई योजना नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : क्या सरकार के द्वारा कोई ऊन प्रेस करने की फैक्ट्री नहीं बनाई गई ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : ऊन को प्रेस करने की सरकार की कोई योजना नहीं है। अलबत्ता बीकानेर के अन्दर वुलन कॉटेज इन्डस्ट्रीज़ इन्सटीट्यूट और वूल फिनिशिंग सेन्टर है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : सरकार द्वारा चालित है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : सरकार द्वारा चलाये जा रहे हैं।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : इस पर सरकार का कितना रुपया लगा है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : इसके लिए आपको अलग से प्रश्न करना चाहिए।

आप इसके बारे में जो कुछ सूचना मांगते है, वह वुलन सेन्टर और इन्सटीट्यूट के बारे में मेरे पास नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मी चन्द।

तहसील सांचोर में चपरासियों व लेखकों के मकानों का अधिकारियों को आवन्टन किया जाना।

१३२५. **श्री लक्ष्मीचन्द** : (सांचोर) क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सत्य है कि तहसील सांचोर, ज़िला जालोर में चपरासियों व क्लर्कों के लिये जो मकानात बने हुए थे वे उनको अलॉट न करके ऑफिसर्स को अलॉट किये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों और अल्प वेतनवालों के लिये सरकार ने क्या प्रबन्ध किया है ?

Page No.6

(श्री लक्ष्मीचन्द)

(२) क्या यह भी सत्य है कि उक्त ऑफिसर्स से किराया उनकी तनख्वाह के पर्सेन्टेज से वसूल नहीं किया जाता है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

उपमंत्री, राजस्व (श्री सम्पतराम) : अध्यक्ष महोदय, इसकी इनफॉर्मेशन नहीं आ सकी।

श्री लक्ष्मीचन्द : सुनाई नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष : Next week. Shri Murlidhar Vyas.

टी. ए. व अन्य भत्तों पर किया गया व्यय

१३२६. श्री मुरलीधर व्यास(बीकानेर—सिटी) : क्या वित्त मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

सरकार को सन् १९५६—५७ में टी. ए. व भत्ते के निमित्त आइ. ए. एस., आइ. पी. एस. व आर. ए. एस. ऑफिसर्स को कितना रुपया देना पड़ा ?

उप वित्त मंत्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : इस सम्बन्ध में सूचना अकौंउन्टेंट जनरल, राजस्थान से प्राप्त की जा रही है और यह अगले सत्र में सदन की मेज़ पर रख दी जावेगी।

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा।

बांगड़ हाई स्कूल, पाली

१३२७. श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्या शिक्षा मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) पाली शहर के बांगड़ हाई स्कूल में छात्रों की संख्या कितनी है ?

(ख) क्या यह स्कूल हायर सेकिन्डरी स्कूल में परिवर्तित की जायेगी. और यदि की जायगी, तो कब ?

उप शिक्षा मंत्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई): (क) पाली शहर के बांगड़ हाई स्कूल में छात्रों की संख्या इस समय ५५४ है।

(ख) आगामी सत्र में मिडिल व हाई स्कूल को हायर सेकिन्डरी स्कूल बनाते समय अन्य स्कूलों के साथ बांगड़ हाई स्कूल के प्रश्न पर भी उसकी उपयुक्ततानुसार अवश्य विचार किया जाएगा।

श्री शंकरलाल : इस सम्बन्ध में ज़िला विकास समिति ने हाई स्कूल को हायर सेकिन्डरी स्कूल बनाने के लिए प्रस्ताव स्वीकार कर दिया है और स्कूल अलॉट किया गया है। जो प्रश्न का उत्तर आया है. वह पूरा नहीं आया है। ५ अप्रैल को ज़िला समिति ने सुझाव दिया था और सरकार ने स्कूल अलॉट कर दिया है।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : हायर सेकिन्डरी स्कूल के लिए डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी का सुझाव जरूरी नहीं है।

डॉ. चन्द्रकला : हाई स्कूल को हायर सेकिन्डरी स्कूल में परिवर्तित करने के क्या आधार हैं ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : यह कि वह स्कूल कैसा है, भवन कैसा है, कौन कौन से सब्जेक्टस हैं, कितने लड़के हैं, कितना एरिया है, इन सब बातों पर ध्यान रखा जाता है।

डॉ. चन्द्रकला : सरकार इन सारी बातों की जानकारी कब तक कर लेगी ? कब तक निश्चय कर लेगी ? हायर सेकिन्डरी में इस स्कूल को कब परिवर्तित किया जा रहा है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : स्कूल जुलाई में खुलते हैं। जुलाई के पहले जानकारी कर लेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायण वर्मा।

चोपदार की बकाया रकम

१३२८. **श्री रामनारायण वर्मा** (पोपलदासु) : क्या देवस्थान मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि ग्राम मांगरोल, ज़िला कोटा में बाबाजी राज के बाग में रामचन्द्र नाम के व्यक्ति ने चोपदार के पद पर कार्य किया था ?

(ख) क्या यह भी सही है कि रामचन्द्र चोपदार की नियुक्ति ६–६–२४ को हुई तथा इसी पद पर कार्य करते हुए ३–८–५६ को मर गया ?

(ग) यदि हां, तो क्या रामचन्द्र चोपदार की कोई रकम सरकार में जमा है ?

(घ) यदि हां, तो क्या इसकी प्राप्ति के लिए रामचन्द्र चोपदार की विधवा पुत्र वधु ने कोई मांग की है ? यदि हां, तो उसको यह जमा रकम अब तक नहीं दिये जाने का क्या कारण है ?

उप देवस्थान मंत्री (श्री सम्पतराम) :

(क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) नियमानुसार ग्रेच्युटी के १३२ रु० चुकाया जाना शेष है।

(घ) जी हां, श्री रामचन्द्र की विधवा पुत्र वधु ने रकम के लिए प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया था. किन्तु श्री रामचन्द्र द्वारा किसी के नाम नोमीनेशन नहीं होने से रकम नहीं चुकाई जा सकी। नियमानुकूल सक्सेशन सर्टीफिकेट लिए जाने की कार्यवाही की जा रही है जिसके प्राप्त हो जाने पर चुकारे की कार्यवाही हो सकेगी।

श्री रामनारायण वर्मा : यह कार्यवाही कब तक पूरी हो जायेगी ? रकम कब तक मिल जायेगी ?

श्री सम्पतराम : सक्सेशन सर्टीफिकेट प्राप्त करना हमारा काम नहीं है, उनका काम है। जब सक्सेशन सर्टीफिकेट मिल जायेगा। तब रुपये का पेमेन्ट हो जायगा।

डॉ० चन्द्रकला : इस कार्यवाही में कितना समय लगेगा ?

श्री संपतराम : कौनसी कार्यवाही ?

डॉ० चन्द्रकला : यह कि विधवा पुत्र वधु को चोपदार की रकम मिल सके ?

श्री सम्पतराम : क्योंकि चोपदार ने उत्तराधिकारी को नामज़द नहीं किया था इसलिए सरकार देने में असमर्थ है। जब वे सक्सेशन सर्टीफिकेट प्राप्त कर लेंगे तो पेमेंट कर दिया जायेगा।

श्री पी. के. चौधरी :क्या आपने उसे सूचना दी है? उत्तराधिकारी पुत्र वधु को सूचना देनी पड़ेगी। क्या आपने इत्तिला दी है?

श्री सम्पतराम : जी हां।

श्री पी. के. चौधरी : कब भेजी है?

श्री सम्पतराम : यह तारीख मेरे पास नहीं है।

प्रश्न संख्या २३२६

श्री अध्यक्ष : श्री ज्ञानचन्द मोदी।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या १३३०

श्री मोहरसिंह

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या १३३१

श्री हरिशंकर सिद्धांत शास्त्री।

(अनुपस्थित)

श्री मुरलीधर व्यास।

सीलिंग कमेटी की रिपोर्ट

१३३२. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेरसिटी) : क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

राजस्थान में अधिकतम ज़मीन निर्धारित (सीलिंग) करने के लिए जो कमेटी सरकार ने नियुक्त की थी उसकी रिपोर्ट सरकार को कब मिली व उसके लिये सरकार क्या सोच रही है?

उप राजस्व मंत्री (श्री सम्पतराम) : जी हां। सीलिंग कमेटी ने ५ सितम्बर, १६५७ को रिपोर्ट पेश की थी तथा रिपोर्ट प्रकाशित कर दी गई है।

श्री श्रीभानसिंह : सीलिंग के बारे में कब तक कानून बना देंगे और असेम्बली के सामने कब पेश करेंगे?

श्री सम्पतराम : सीलिंग कमेटी की रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत की गई थी उस पर सदन में बहस होने के बाद बिल बनाकर पेश किया जायेगा।

श्री श्रीभानसिंह : क्या सरकार ने कोई तारीख निर्धारित की है कि फलां दिन सीलिंग कमेटी की रिपोर्ट पर बहस होगी?

श्री सम्पतराम : इस पर विचार किया जा रहा है कि कौनसी तारीख निर्धारित की जाय।

श्री चन्दनमल वैद : क्या इस महीने में वादविवाद किया जायेगा?

श्री सम्पतराम : यह सदन की मर्ज़ी पर है। किस तारीख को बहस हो सकती है, इस पर बिजनेस कमेटी विचार करेगी।

श्री श्रीभानसिंह : यह सदन की मर्ज़ी पर है, यह बिजनेस कमेटी की मर्ज़ी पर है या सरकार की मर्जी पर है ?

श्री सम्पतराम : सरकार बहस कराना चाहती है मगर कौनसी तारीख मुकर्रर करे, यह बिजनेस कमेटी मुकर्रर करेगी।

श्री श्रीभानसिंह : इस महीने के अन्दर-अन्दर बहस हो जायेगी कि नहीं सीलिंग कमेटी पर ?

श्री अध्यक्ष : How can he say that?

श्री श्रीभानसिंह : Sir, it depends upon the Government whether the Government wants discussion on it in the House or not.

मंत्री, राजस्व (श्री दामोदरलाल व्यास) : गवर्नमेंट चाहती है, यह साफ कहा है।

श्री पी. के. चौधरी : बिजनेस कमेटी को रेफर कर दिया है क्या ?.

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन। श्री लक्ष्मण हीरात।

सिलाई केन्द्र

१३३३. **श्री लक्ष्मण हीरात** (गोगुन्दा): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) उदयपुर डिविज़न में सिलाई केन्द्र कहाँ २ पर हैं और उनकी छात्र संख्या क्या है ? कृपया हर केन्द्र वाईज पृथक २ मय गांव के आंकड़ा बतायें।

(ख) क्या यह सही है कि कई केन्द्र व्यवस्थापकों को वेतन तथा उन केन्द्र के छात्रों को छात्रवृत्ति अब तक नहीं दी गई है।

उप समाज कल्याण मंत्री : (श्री रिखबचन्द धारीवाल : (क) उदयपुर डिविज़न के सिलाई केन्द्रों के स्थानों के नामों की व छात्र संख्या की विगत की तालिका सदन की मेज़ पर रख दी गई है।

(ख) जी नहीं।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री लक्ष्मण हीरात : उन सिलाई केन्द्रों के छात्रों को छात्रवृत्ति कितनी दी गई ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : ये जितने केन्द्र हैं उनके लिए अलग-अलग रकम निर्धारित नहीं है। कुल रकम जो खर्च की गई है वह १० हज़ार रुपया है।

श्री लक्ष्मण हीरात : क्या यह सही है कि जो छात्रवृत्ति दी जाती है वह साल के अन्त में दी जाती है प्रारम्भ में नहीं दी जाती है जिससे छात्रों की पढ़ाई में नुकसान होता है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जी नहीं, ऐसा नहीं है।

श्री लक्ष्मण हीरात : क्या यह सरकार के ध्यान में है कि १५ रुपया जो छात्रवृत्ति दी जाती है वह छात्रों का खर्चा चलाने के लिए बहुत कम पड़ती है ? क्या सरकार आगे विचार करती है कि इसे बढ़ाये ?

Page No.10

श्री रिखबचन्द धारीवाल : इस पर विचार किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री तेजाराम गहलोत।

सोजत तहसील में द्वितीय पँचवर्षीय योजना में आरम्भ किये जाने वाले कार्य

१३३४. **श्री तेजाराम गहलोत** (सोजत): Will the Minister for planning be pleased to state:—

What are the works under the following heads which are proposed to be started during the Second Five Year Plan in Sojat Tehsil and when will they be started:—

(1) Schools.

(2) Hospitals.

(3) Roads.

(4) Minor Irrigation Projects?

योजना मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : द्वितीय पंचवर्षीय योजना में व्यय की जाने वाली रकम का बंटवारा जिलेवार न करके सेक्टर वार किया गया है, अतः तहसीलवार सूचना देना संभव नहीं है।

श्री तेजाराम गहलोत : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने इसमें तहसीलवार खर्चा नहीं मांगा है। मैंने यह मांगा है कि सेकिन्ड फाइव ईयर प्लान में कौन से कार्य लिये जायेंगे? मैंने इस प्रश्न में पूछा है कि यह बताने की कृपा करें कि सोजत तहसील में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में माईनर इर्रिगेशन, स्कूल्स, चिकित्सालय और सड़क के कौन २ से कार्य खोले व पूरे किये जाने का प्रस्ताव है?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने कहा न कि तहसीलवार नहीं है प्लॉन में सेक्टर वार डिस्ट्रिब्यूशन किया गया है।

श्री पी. के. चौधरी : तो क्या यह माना जाय कि सरकार ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किये जानेवाले कामों की रूपरेखा तैयार नहीं की है?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : तैयार की है पर इस बारे में डिपार्टमेंट कन्सर्न्ड से पूछा जाय, स्कूल्स के बारे में एज्युकेशन डिपार्टमेंट से, सड़क के बारे में पी. डब्ल्यू. डी. से।

श्री पी. के. चौधरी : सैकिन्ड फाइव ईयर प्लॉन में प्रोजेक्ट्स एप्रूव करते हैं या सड़कों के लिये इतना हो, स्कूल्स के लिये इतना है, कैसे प्लॉन करते हैं?

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : बहुत से मेजर सेक्टर्स हैं। उनमें डिटेल्स होती हैं और मीडियम और मेजर प्रोजेक्ट्स की होती हैं पर कुछ रकम, एग्रीकल्चर के कुँओं की रकम, लिंक रोड्स कहां होंगी, औषधालय, कहां होंगे, यह डिस्ट्रिक्ट वाइज व तहसील वाइज नहीं होते।

श्री तेजाराम गहलोत : रोड्स का तो डिटेल में तय किया हुआ है तो सोजत और पाली जिले में कौन-कौन सी रोड्स तैयार की जायेंगी?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वह तो आप पी. डब्ल्यू. डी. से पूछ लीजिये।

श्री पी. के. चौधरी : यह जो डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है डिफरेंट वर्क्स के लिये

(श्री पी. के. चौधरी)

और जो आप डिफरेंट वर्क्स के लिये अलॉट करते हैं इसके लिये क्या कोई प्रिन्सिपल है कि फलाने एरिया के अन्दर इस आधार पर इतना खर्च किया जायेगा और फलां एरिया में इस आधार पर इतना, इसका कोई प्रिंसिपल है क्या ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इसमें तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स का अलग २ है।

श्री पी. के. चौधरी : रोड्स व स्कूल्स का क्या प्रिंसिपल है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इन सारों का जवाब देंगे तो सारा समय लग सकता है।

श्री मुरलीधर व्यास : आधार क्या है, यही बता दीजिये ताकि आधार मालूम पड़ जाय सारे प्लॉन का।

श्री अध्यक्ष : It is not possible to answer such questions.

श्री पी. के. चौधरी : No. Sir, it was a specific question.

श्री अध्यक्ष : You are asking principles underlying all this. That is not a question.

श्री पी. के. चौधरी : Atleast they should let this House know as to how much amount on different items are spent.? Whether the amounts are spent on population basis.? This is the specific question.

श्री अध्यक्ष : Not as a supplementary to this question.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इस प्रश्न को सदन में डिस्कस किया जा चुका है। प्लॉन के सारे सिद्धान्तों पर डिस्कशन हो चुका है।

श्री पी. के. चौधरी : आधार का प्रिंसिपल तो बताया ही नहीं।

श्री अध्यक्ष : Next. Shri Ram Karan Singh.

भूमि आवण्टन, कोटपुतली

१३३५. **श्री रामकरणसिंह** (कोटपुतली) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या कोटपुतली तहसील में जमीन अलॉट हुई है ?

(ख) यदि हां, तो किन किन को कब कैसी जमीन अलॉट हुई है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(ग) क्या उनके पास पहले से भी जमीन थी ?

(घ) यदि हां, तो फिर उनको जमीन क्यों दी गई ?

(ङ) क्या सरकार ने अलॉटमेंट बन्द कर रखा था ?

(च) यदि हां, तो ये अलॉटमेंट किस नियम से किये गये ?

(छ) यदि अलॉटमेंट कायदे से नहीं किया गया है तो क्या सरकार बेदखल करके जमीन कब्जे में लेगी ?

Page No.12

उप राजस्व मंत्री (श्री सम्पतराम) : (क) जी हां।

(ख) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ङ) जिन महीनों में अलॉट किया गया है उस समय में अलॉटमेंट बन्द नहीं था।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री रामकरणसिंह : अध्यक्ष महोदय, इसकी सूची मुझे मिलनी चाहिए थी वह मुझे नहीं मिली है।

श्री सम्पतराम : वैसे तो माननीय सदस्य द्वारा पहले एक सवाल पूछा गया था, उसकी सूची मैंने स्वयं माननीय सदस्य को पेश की थी। वह सूची भी मैंने भेज दी है।

श्री रामकरणसिंह : अभी अभी मैं नोटिस ऑफिस में जाकर आया हूं और वह मुझे वहां नहीं मिली है।

श्री सम्पतराम : एक दूसरा प्रश्न यहां पूछा गया था, उसकी सूची तो आपको मिली ही होगी।

श्री रामकरणसिंह : पहलेवाली सूची बंजड़ भूमि को अलॉट की उसके बारे में थी और यह सूची, अभी अलॉट की है सरकार ने उसके बारे में है।

श्री सम्पतराम : अध्यक्ष महोदय, हमने भेज तो दी थी, असेम्बली विभाग को।

श्री भैरोंसिंह : इसको भेजा है कि नहीं, यह बता दें।

श्री अध्यक्ष : ये दोनों सूचियां एक ही हैं या भिन्न भिन्न हैं ?

श्री सम्पतराम : इसकी तो मुझे निश्चित जानकारी नहीं पर मैंने भेजी जरूर है।

श्री भैरोंसिंह : माननीय अध्यक्ष, जिसकी निश्चित जानकारी नहीं उसके बारे में उप मंत्री महोदय कैसे सदन में जवाब देते हैं ? अध्यक्ष महोदय, मन्त्रीगण इस तरह कह कर कि सूची सदन की मेज पर रख दी गई है हमेशा टाल देते हैं और हमें रोज रोज कहना पड़ता है, जैसा कि पहले तय हो चुका है उन्हें एसर्टेन कर लेना चाहिए कि मेम्बर को मिली कि नहीं। आज कोई सूची भेजी ही नहीं। सूची का पहले तय हो जाना चाहिए।

मंत्री, राजस्व (श्री दामोदरलाल व्यास) : सूची भेज दी गई असेम्बली सेक्रेटेरियेट को। नोटिस ऑफिस में पहुंची कि नहीं यह पता नहीं।

श्री तनसिंह : माननीय अध्यक्ष, यह हमेशा के लिए तय कर देना चाहिए। यह कर्त्तव्य है मन्त्री महोदय का कि इस बात को असर्टेन करें कि जिस माननीय सदस्य ने सूची—मांगी है उनके पास पहुंची कि नहीं।

Page No.13

श्री भैरोंसिंह : माननीय अध्यक्ष, आपने पहले एक बार फरमाया था कि मंत्री-गण की यह ड्यूटी है कि केवल सूची भेजना ही काफी नहीं, उन्हें एसर्टेन कर लेना चाहिये कि जिस माननीय सदस्य ने सूची मांगी है वह उसके पास पहुंची है कि नहीं। वहां नोटिस ऑफिस में पुछवा लीजिये कि सूची वहां है कि नहीं।

श्री अध्यक्ष : I hope they will be more careful in future.

श्री भैरोंसिंह : डिप्टी मिनिस्टर ने कहा है........

श्री अध्यक्ष : आप कह रहे हैं कि सूची भेज दी है।

श्री भैरोंसिंह : पहलेवाली भेजी है या इसकी भेजी है ?

श्री अध्यक्ष : इसका स्पष्टीकरण बाद में करेंगे।

श्री रामकरणसिंह : यह प्रश्न इतना है कि जिनको जमीनें अलॉट की गई उनके पास पहले से जमीनें थी कि नहीं ? अगर थी तो उनको जमीनें क्यों दी गई; पहले से जमीनें होते हुए क्यों जमीनें दी गई........

श्री अध्यक्ष : इस प्रश्न को बाद में ले लेंगे।

We will take this question later on.

(विराम)

रावराजा श्री सरदारसिंह

सेल्स एम्पोरियम, देहली

१३३६. रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : क्या उद्योग मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि राजस्थान सरकार द्वारा देहली में सेल्स एम्पोरियम खोला गया है ?

(ख) यदि हां, तो उक्त एम्पोरियम पर कितना स्टॉफ रहता है और उसकी क्या योग्यता है ?

(ग) एम्पोरियम खुलने से आज तक कितने का माल बेचा गया और उसमें कितनी हानि या लाभ हुआ ?

उप उद्योग मंत्री (श्री खिलचन्द धारीवाल) :

(क) जी हां।

(ख) उक्त एम्पोरियम पर निम्नलिखित स्टाफ है :

१. मार्केटिंग ऑफिसर १

योग्यता मेट्रिक्युलेट।

डिप्लोमा स्पीनिंग टैक्नॉलोजी।

२. अपर डिविजन क्लर्क १

योग्यता ग्रेज्युएट व अकॉउन्ट्स परीक्षा पास।

३. लेडी सेल्स असिस्टेन्ट १

Page No.14

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

योग्यता मेट्रिक्युलेट ।

४. सेल्स गर्ल १

योग्यता मेट्रिक्युलेट ।

५. चोकीदार । १

६. चपरासी २

(ग) उक्त एम्पोरियम पर :

सन् १९५३—५४ में ४२,०३५ रु० ९ आ० ९ पा०

सन् ५४—५५ में ५६,७११ रु०

सन् ५५-५६ में १,०९,९५० रु० ८ आ० ९ पा०

सन् ५६—५७ में ५७,०३३ रु० ८ आ०

और १५ दिसम्बर, ५७ तक ३५,५९१ रु० २६ न० पैसे की बिक्री हुई है ।

और ५३—५४ में १९,३६४ रु० ८ आ०

५४—५५ में २२,१७७ रु०

५५—५६ में २४,९२१ रु०

५६—५७ में २६,२७३ रु० १५ आ. ८ पा. की हानि हुई है ।

श्री मुरलीधर व्यास : एम्पोरियम पर बिक्री की आमदनी से खर्चा बहुत ज्यादा है, यह कहां तक उपयुक्त है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : अभी हाल में ही इसका कुछ स्टाफ कम कर दिया गया है लेकिन फिर भी जितनी बिक्री होती है उसमें इतना फायदा नहीं होता कि जिससे खर्चा चल जाए । लेकिन आप जानते ही हैं कि एम्पोरियम इसलिये कायम किये गये हैं कि राजस्थान के हेन्डीक्राफ्ट का एडवर्टाइज़मेंट हो । इसी वजह से ये एम्पोरियम रखे जाते हैं और उनमें कुछ घाटा भी होता है ।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या सरकार घाटा खाना अच्छा समझती है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : यह ऑल इन्डिया हैन्डीक्राफ्ट की नीति के अनुसार हैन्डीक्राफ्ट को प्रोत्साहन देने के लिए जो सिद्धांत हैं उनके आधार पर यहां पर भी एम्पोरियम कायम किये हैं । सारी जगह उसी सिद्धान्त को लेकर एम्पोरियम कायम किये जाते हैं और ऐसा किया जाना आवश्यक समझा गया । इसलिये यहां पर भी दो-तीन एम्पोरियम सरकार चला रही है । उनमें घाटा जरूर है, उसको मिनिमाईज करने की कोशिश करना है ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : क्या यह सही है कि एम्पोरियम पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि बाहर से जो टुरिस्ट आते हैं और दूकान पर जाते हैं उनको अच्छी तरह से समझा सकें ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : ऐसी कोई शिकायत अभी तक नहीं है ।

श्री जयसिंह राणावत : क्या यह सही है कि ऐसी छोटी-मोटी चीजों का कारोबार सरकार करती है तो नुकसान रहता है और

Page No.15

(श्री जयसिंह राणावत)

कोई प्राईवेट व्यक्ति चलाता है तो उसको नफा होता है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : यह कोई व्यापारिक दृष्टि से नहीं लिया जाता है। यह तो एक प्रकार का राजस्थान के हैन्डीक्राफ्ट को प्रोत्साहन देने के रूप में किया जाता है। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो काफी टुरिस्ट आते हैं और देखते हैं। इसलिये एडवर्टाइजमेंट के लिहाज से ऐसा करना जरूरी है। यदि इसको व्यक्तिगत रूप में दे दिया जावे तो यह कार्य इतनी अच्छी तरह से नहीं हो सकता और हेन्डीक्राफ्ट को प्रोत्साहन नहीं मिल सकता।

श्री पी. के. चौधरी : चार साल से बराबर घाटा हो रहा है, क्या यह घाटा मिस मेनेजमेंट के कारण हो रहा है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जी नहीं।

श्री पी. के. चौधरी : क्या जिन व्यक्तियों को वहां पर रखा गया है उनको सेल्स का एक्सपीरियेन्स नहीं था ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : आपने खुद ने मुलायिजा किया होगा। मार्केटिंग ऑफिसर का एक्सपीरियेंस है।

श्री पी. के. चौधरी : मैं सेल्स एक्सपीरियेन्स की बात कह रहा हूं कि जिन-जिन को एपॉइन्ट किया गया है उनको सेल्स एक्सपीरियेन्स नहीं था ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जी नहीं, ऐसी बात नहीं है।

श्री पी. के. चौधरी : किस किस को सेल्स का एक्सपीरियेन्स था आप कृपा कर बतावें ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैंने कहा कि सेल्स गर्ल्स हैं।

श्री पी. के. चौधरी : What is their practical experience ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : यहां पर इसके लिये कोई कॉलेज तो है नहीं जो डिप्लोमा दे।

श्री पी. के. चौधरी : I am asking practical sales experience of those persons who have been employed by you ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : I will say that they have got practical sales experience.

श्री पी. के. चौधरी : उनको क्या क्या प्रेक्टीकल एक्सपीरियेन्स हैं आप फरमाइये ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : They have been selling for a very long time, that is practical sales experience.

श्री पी. के. चौधरी : क्या यह सही है कि उनको किसी प्रकार का प्रीवियस एक्सपीरियेन्स नहीं है।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जी नहीं।

रावराजा श्री सरदारसिंह : क्या सरकार कृपा कर बतलावेगी कि जिस समय एग्जिबिशन होते हैं तो उनमें दूसरी जगहों के

Page No.16

(रावराजा श्री सरदारसिंह)

हैन्डीक्राफ्ट को प्राईजेज मिलते हैं उसी प्रकार राजस्थान में कौनसी चीजें हैं जिनमें उनको फर्स्ट या सैकिन्ड प्राईज़ मिला ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि हैन्डलूम की राजस्थान में एग्जिबिशन हुई, उसमें फर्स्ट प्राईज मिला और दूसरा हस्तकला में सैकिन्ड प्राईज़ मिला।

श्री पी. के. चौधरी : क्या सरकार इस बात को सोचेगी कि जो सरकार की तरफ से एम्पोरियम हैं उनको बन्द करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एम्पोरियम हैं उनमें अपना गुड्स एडवर्टाइज़मेंट के लिये रखेगी ?

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : इसमें मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सारी की सारी चीजें कॉटेज़ इन्डस्ट्री नहीं होती हैं।

श्री मनोहर कोठारी : राजस्थान में जयपुर में मीनाकारी का काम बहुत अच्छा होता है उसको भी स्थान मिलता है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मिलता है।

श्री मुरलीधर व्यास : खर्चा जैसा आपने बताया, बढ़ा है, इस खर्चे के बढ़ने का क्या कारण है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैंने कहा कि खर्चा इस वज़ह से बढ़ा कि सेल कम होता है तो खर्चा बढ़ता ही है।

श्री मुरलीधर व्यास : वेतन में आपने खर्चा बताया। वेतन में पिछली बार जैसा आपने बताया कि ४२ हज़ार खर्च होता था और उसके बाद में अब ५७ हज़ार का खर्चा हो गया।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : यह तो बिजली आदि का खर्चा है।

श्री जनार्दनराय नागर : श्री नाथद्वारा का प्रसाद अद्भुत चीज़ है, क्या वह भी वहां पर रखा जाता है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जी नहीं।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : नाथद्वारा की कई चीजें रखी जा चुकी हैं ?

श्री पी. के. चौधरी : नाथद्वारा की फोटो वहां रखी जाती है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : उसको तो देखने के लिये बहुत से लोग उत्सुक हैं।

प्रश्न संख्या १३३७

श्री अध्यक्ष : श्री श्योपतसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल

महाराजा स्कूल ऑफ आर्टस एण्ड क्रॉफ्ट्स, जयपुर

१३३८. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या शिक्षा मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

Page No.17

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

(१) महाराजा स्कूल ऑफ आर्टस् एवं क्राफ्टस्, जयपुर को दो भागों में अलग अलग कब और क्यों बांटा गया ? क्या इसकी सूचना राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित की गई ?

(२) क्या यह सत्य है कि उपरोक्त स्कूल के आर्टस विभाग को संगीत एवं नृत्य विभाग में मिल कर चौड़े रास्ते में राजस्थान कला संस्थान के अन्तर्गत चलाया जा रहा है ?

(३) यदि हां, तो उपरोक्त संस्थान के प्रिन्सिपल और वाइस प्रिन्सिपल कौन हैं ?

(४) क्या स्थानापन्न प्रिन्सिपल चित्रकला में कोई उपाधि रखते हैं ? यदि नहीं, तो फिर चित्रकला विभाग की उन्नति के लिए सरकार क्या कोई और प्रबन्ध करने का विचार रखती है ?

(५) क्या आर्टस् एवं क्राफ्टस् विभाग को उसके पुराने भवन में पुनः संचालित किए जाने की योजना सरकार के विचाराधीन है ?

उप शिक्षामंत्री (श्री पूनमचन्द विश्नोई) : (१) राजस्थान में संगीत विद्यालय की बढ़ती हुई आवश्यकता को देखते हुए महाराजाज स्कूल ऑफ आर्टस् एवं क्राफ्टस् को सरकारी आदेशानुसार दि० ५-६-५० को दो भागों में बांटा गया। चूंकि क्राफ्टस् की अपेक्षा संगीत और ललित कला में अधिक निकट का संपर्क है अतः स्कूल ऑफ आर्टस् एवं क्राफ्टस् का आर्ट सेक्शन संगीत एवं नृत्य विभाग के साथ तथा क्राफ्ट्स जैसी भिन्न कला को स्वतन्त्र रूप से विकसित होने के लिये अलग संस्था के रूप में रखना आवश्यक अनुभव किया गया। राजस्थान राजपत्र में इसकी सूचना प्रकाशित नहीं की जा सकी।

(२) जी हां।

(३) प्रिन्सिपल के पद पर श्री ब्रह्मानन्द गोस्वामी कार्य कर रहे हैं तथा वाइस प्रिन्सिपल का पद अभी खाली ही रखा गया है।

(४) स्थानापन्न प्रिन्सिपल चित्रकला में कोई उपाधि नहीं रखते। चित्रकला विभाग की उन्नति के लिये सरकार विचार कर रही है।

(५) राजस्थान कला संस्थान को महाराजाज स्कूल ऑफ आर्टस् एवं क्राफ्ट्स के पुराने भवन में पुनः संचालित करने के आदेश दिये जा चुके हैं जो कि उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के खाली करने पर ही वहां स्थानान्तरित किया जा सकेगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ये आदेश कब दिये गये ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जुलाई १९५७ में।

श्री जनार्दनराय नागर : ललित कला किस के अन्तर्गत आती है ?

श्री अध्यक्ष : जो साहित्य में सम्मलित नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आदेश तो सन् १९५७ के जुलाई में दे दिये थे मगर अभी तक खाली नहीं करने का क्या कारण है ?

Page No.18

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : उनको स्थान ढूंढने में दिक्कत आती है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अब कब तक खाली हो जायेगा ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : यह निश्चित तौर से नहीं कहा जा सकता। निश्चित तारीख नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपने जुलाई में आदेश दिये मगर अभी तक खाली नहीं किया गया।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : उनको खाली करना पड़ेगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वाइस प्रिन्सिपल की पोस्ट के लिये आपने कोई एडवर्टाईजमेंट किया है या सोचा है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : यह अभी सोचा नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह कब से खाली पड़ी है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : यह काफी अर्से से खाली है।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि यह कला भारत में ऊंचे दर्जे की थी इसलिये उसके लिये तो वैसा ही कोई प्रिन्सिपल रखा जाना चाहिये।

शिक्षा मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया): प्रश्न क्या है ?

श्री तनसिंह : प्रश्न यह है कि जो प्रिन्सिपल नियुक्त किया गया है उसकी उसके स्थान को देखते हुए योग्यता नहीं है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : आपको मालूम होना चाहिये कि बहुत सी कॉलेजेज ऐसी हैं जिनमें आर्टस, साईन्स और कॉमर्स सब्जेक्ट्स होते हैं मगर प्रिन्सिपल सिर्फ आर्टस या कॉमर्स या साईन्स, एक ही विषय को जाननेवाला रहता है। प्रिन्सिपल की पोस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है इसीलिये चित्रकला के लिये दूसरे योग्य व्यक्ति नियुक्त है।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या सरकार इसके लिये (चित्रकारी के लिये) अलग प्रबन्ध करती है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जी हां।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कौन देखता है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : श्री रामगोपालजी विजयवर्गी।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : मेरा निवेदन यह है कि ऐसे स्थानों पर ऐसे व्यक्तियों को जो बड़े राजस्थान के ऊंचे दर्जे के कलाकार थे वैसे दर्जे के लोगों को रखना चाहिये ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आपने जिन व्यक्तियों के नाम लिये वे कहां है ?

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : वे तो चले गये। लेकिन मेरा निवेदन है कि उस दर्जे के राजस्थान के ऊंचे दर्जे के चित्रकला और दूसरी चीजों के जानकारों को रखना चाहिये जैसे कि वे थे।

श्री दयाकृष्ण विजय : सरकार चित्र-कला कब तक खोल देगी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : स्थान की वजह से दिक्कत आती है। मैं समझता हूं कि अगले जुलाई तक स्थान की....

डॉ० चन्द्रकला : क्या यह सही है कि इनके लिये गीजगढ़ हाउस ज्यादा किराया होने के कारण नहीं लिया गया ?

श्री अध्यक्ष : यह पहले बता दिया है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : हां, यह सही बात है।

डॉ० चन्द्रकला : चित्रकला को सीखने का जो नुकसान हो रहा है तो थोड़ा किराया देकर भी ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं कर सके ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मुझे ठीक तरह से तो यह याद नहीं है लेकिन १ हजार रुपये से ऊपर इसका किराया मांगा गया था।

प्रश्न संख्या १३३६

श्री अध्यक्ष : श्री रामेश्वरदयाल।

(अनुपस्थित)

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : प्रश्न संख्या १३३६

श्री अध्यक्ष : Have you any authority ?

श्री पी. के. चौधरी : Yes. I have given him. (to the Secretary).

श्री अध्यक्ष : But the letter has no date, nothing is specified. It is very vague.

श्री पी. के. चौधरी : It is given for the whole Session, Sir.

श्री अध्यक्ष : Shri Sohan Lal Bhetnagar

फाईनेन्स इन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट

१३४०. श्री सोहनलाल भटनागर (सलुम्बर) : क्या वित्त मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या फाईनेन्स इन्क्वायरी कमेटी ने सरकार के समक्ष रिपोर्ट पेश कर दी है ?

(२) यदि हां, तो क्या वह सदन की मेज पर रखी जायेगी ?

उप वित्त मंत्री (श्री खिलचन्द धारीवाल) : वित्त जांच समिति ने अभी केवल अपनी प्रोवीजनल रिपोर्ट सरकार के समक्ष पेश की है। अन्तिम रिपोर्ट कुछ समय पहले ही आई है जो सरकार के विचाराधीन है।

(२) रिपोर्ट पर विचार होने पर सदन को अवगत कराया जावेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री रामकरणसिंह।

प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना

१३४१. श्री रामकरणसिंह (कोटपुतली): क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या सरकार ने ज़िला विकास

Page No.20

(श्री रामकरणसिंह)

समिति की सिफारिश पर ही प्राथमिक व माध्यमिक स्कूल खोलने का नियम बना रखा है ?

(२) यदि हां, तो क्या इसका पालन किया जाता है ?

(३) क्या यह सही है कि जयपुर ज़िला विकास समिति ने तहसील कोटपुतली के राजनोता ग्राम में माध्यमिक शाला खोलने का प्रस्ताव सर्व सम्मति से पास किया गया था ?

(४) क्या यह सही है कि यह प्रस्ताव निरीक्षक, शिक्षा विभाग ने छात्र संख्या, ग्राम की आबादी आदि को देखते हुए रखा था ?

(५) क्या ग्राम राजनोता में स्कूल खोला गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उप शिक्षा मंत्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (१) जी हां। सरकार का निर्णय अन्तिम है।

(२) जी हां।

(३) जी हां। इसके पूर्व ही निर्धारित संख्या के अनुसार स्कूल खोला जा चुका था।

(४) जी हां।

(५) प्रश्न नहीं उठता क्योंकि नया स्कूल खोला जा चुका था।

श्री रामकरणसिंह : क्या सरकार के अधिकार में यह परिवर्तन बताया तो क्या सरकार ने कोई क्राइटेरिया इसके लिए निश्चित कर रखा है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : क्राइटेरिया देखते हैं कि कोई ऐसा क्लेम नहीं रह गया हो जो उपयुक्त हो।

श्री रामकरणसिंह : जहां खोला जाना था तो क्या वहां के लिए इन्सपेक्टर ने ग्राम, छात्रों की संख्या आदि सहूलियतों को देख कर उसको अच्छा बताया था ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : इसमें पर्टीकुलर केसेज के लिए यदि सवाल पूछते तो मैं बता देता, इस वक्त नहीं बता सकता। नजदीक में मिडिल स्कूल की व्यवस्था न हो तो खोल देते हैं।

श्री रामकरणसिंह : इन्सपेक्टर महोदय ने छात्र संख्या, ग्राम आदि की सहूलियतों को देख कर एवं सारी कंडीशन्स को वह फुलफिल करता है या नहीं यह भी देख कर प्रस्तावित किया था, क्या यह सही नहीं है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : राजस्थान भर का सवाल रहता है। उससे उपयुक्त हैं या नहीं ?

श्री रामकरणसिंह : जहां कोटपुतली वेस्ट में है, वैराट है, मिडिल स्कूल भी ज्यादा थे, वहां खोला। लेकिन कोटपुतली की मांग होते हुए भी क्राइटेरिया आपने बताया उसको पूरा करते हैं, अधिकारी मौके पर पहुँचते हैं, उनकी रिमन्डेशन्स होते हुए भी वहां क्यों नहीं खोला गया ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : यह अलग प्रश्न पूछते तो दोनों के मेरिट्स मैं बता देता।

श्री रामकरणसिंह : प्रश्न बिलकुल साफ है। मैंने पूछा है कि क्या यह सही है कि यह प्रस्ताव निरीक्षक, शिक्षा विभाग ने छात्र संख्या, ग्राम की आबादी आदि को देखते हुए रखा था ?

श्री तनसिंह : प्रश्न बिलकुल साफ है।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : मैंने कहा, जी हां।

श्री रामकरणसिंह : फिर आप यह कहिये कि आपका जो क्राईटेरिया है, कन्डीशन्स हैं वे फुलफिल नहीं करते बनिस्बत इसके कि दूसरी जगह खोल दिया।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : इसकी ७–१०–५७ को सिफारिश की गई थी। आपको मालूम होना चाहिए कि स्कूल इससे जल्दी खोल दिये जाते हैं।

श्री रामकरणसिंह : क्या यह सही है कि डेवलपमेन्ट कमेटी में शिक्षा विभाग के जो अधिकारी थे उन्होंने ७–१०–५७ को ही प्रस्ताव रखा था ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : पहले स्कूल खुला हुआ था और खुले हुए को बन्द करना तो उपयुक्त होता नहीं।

श्री रामकरणसिंह : पिछले साल इतना प्रोत्साहन दिया है तो क्या इस साल खोल दिया जावेगा ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : इस साल मेरिट्स देख कर खोल सकते हैं।

श्री रामकरणसिंह : पिछली बार रिकमन्डेशन हो चुकी है। डेवलपमेन्ट कमेटी की बार बार रिकमन्डेशन की क्या आवश्यकता है ? अब इस साल इसको खोल देने में सरकार को क्या पशोपेश है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : नई लिस्ट देखेंगे जो इस साल रिकमन्डेशन होगी।

श्री रामकरणसिंह : नई लिस्ट हो सकती है लेकिन पिछले साल टोप मोस्ट है, इस ग्राम में खोलने का है फिर क्या कारण है कि नहीं खोला जाय ?

शिक्षा मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : स्थान में इस वर्ष तक यह सोचा गया है कि ५० मिडिल स्कूल खोले जावेंगे. जब कि तहसीलें २०७ हैं। ५० जब खोले जावेंगे तो हर तहसील में खोल दिये जावें, यह तो हो नहीं सकता।

श्री रामकरणसिंह : मेरा यह कहना है कि....

श्री अध्यक्ष : आपका कहना है, वे ध्यान रखेंगे।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा।

चरागाह, किशनगढ़

१३४२. **श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा** (किशनगढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या सरकार किशनगढ़ सब-डिविजन में यह जांच कराने के लिए सहमत है कि हर एक गांव में चरागाह गांव के मवेशियों की जरूरत के मुताबिक है या नहीं ?

(श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा)

(ख) अगर हां, तो यह कार्य कब से शुरू करा दिया जायेगा ? अगर नहीं, तो क्यों ?

(ग) क्या सरकार किशनगढ़ सब डिवि-ज़न में जिन गांवों में चरागाह की भूमि नहीं है या कम है भूमि को पंचायत की सलाह से एक्वायर करके चरागाह मुकर्रर करने के सिद्धान्त से सहमत है ?

(घ) अगर सहमत है तो क्या जांच के साथ यह भी कार्य चालू कर दिया जाने का आदेश सरकार संबन्धित अधिकारियों को देगी ?

उप राजस्व मंत्री (श्री सम्पतराम) : (क) जिलाधीश अजमेर जांच कर रहे हैं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) एक्वायर करने के सिद्धान्त से सह-मत हैं परन्तु जांच के बाद ही उचित कार्य-वाही की जा सकती है ।

(घ) जांच के बाद विचार करेगी ।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : यह जांच कब तक हो जावेगी ?

श्री सम्पतराम : इसके लिए कोई निश्चित समय तो बताना मुश्किल है ।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : इसके माने दस वर्ष लग सकते हैं?

श्री सम्पतराम : हमारी तरफ से प्रयत्न करेंगे कि जल्दी से जल्दी हो जाये ।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : आपका प्रयत्न कब होगा ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास : हर जिले में इस बात की जांच हो रही है कि चरागाह है या नहीं । यदि चरा-गाह नही है तो अनऑक्युपाइड लैंड में से निकालकर बाकी की लैंड अलॉट की जावेगी । जांच में दस वर्ष लगने का सवाल नहीं है । हर तहसील और जिले में इसकी जांच हो रही है ।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : जहां जमीन नहीं है. वहां क्या होगा ?

श्री दामोदरलाल व्यास : वहां आप ही समझ सकते हैं कि कोई पैदा नहीं की जा सकती है ।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : एक्वायर की जायेगी या नहीं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : आम तौर पर नहीं ।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : क्या पशुधन के लिए आवश्यकता नहीं है ? चरागाह क्या जरूरी नहीं है ?

श्री अध्यक्ष : इसमें दो राय नहीं हो सकती है ।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : फिर इसके लिए सरकार क्या सोच रही है ?

श्री अध्यक्ष : श्री मनरूपराम परिहार ।

पाली जिले में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित संस्थायें

१३४३. **श्री शंकरलाल** (श्री मनरूप-

Page No.23

(श्री शंकरलाल)

राम परिहार (खास्वी-सु) की अनुपस्थिति में): क्या समाज कल्याण मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) पाली ज़िला में सन् '५४ से सन् '५७ तक हरिजनों के लिए छात्रावास, संस्कार केन्द्र, रात्रि कक्षाये पाठशालायें कहां कहां खोली गई हैं और उनका वार्षिक खर्चा क्या है ? सूची सदन की मेज पर रखी जाये।

(२) उक्त संस्थाओं में कितने कितने छात्र, छात्राओं की व्यवस्था है ?

उप समाज कल्याण मंत्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : वांछित सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

उक्त संस्थाओं में वार्षिक खर्चा लगभग १०,००० रुपया है।

(२) उक्त संस्थाओं में जितने छात्रों की व्यवस्था है वह प्रश्न (१) के जवाब में दी गई सूची के कॉलम संख्या ४ में दिया गया है।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

श्री शंकरलाल : क्या सरकार के समक्ष यह शिकायत आई है कि रहने के मकान की सुव्यवस्था नहीं है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है।

श्री अध्यक्ष : श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा।

इन्टर कॉलेजों का डिग्री कॉलेजों में परिवर्त्तन करने हेतु निर्धारित माप-दण्ड

१३४४. **श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा** : (किशनगढ़) क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) इन्टर कॉलेजों को डिग्री कॉलेज बनाने के लिए सरकार ने क्या मापदण्ड निर्धारित कर रखा है ?

(ख) किशनगढ स्थित इन्टर कॉलेज को कब तक डिग्री कॉलेज बना दिया जावेगा ?

उप शिक्षा मंत्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (क) विद्यार्थियों की संख्या, पास के अन्य स्थानों पर डिग्री कॉलेजों का होना, भवन की सुविधा, योजना में धन का उपलब्ध होना आदि बातों को ध्यान में रखकर डिग्री कॉलेज बनाये जाते हैं।

(ख) अब इन्टर कॉलेजों को ३ वर्षीय डिग्री कोर्स में बदलने की योजना को स्वीकार कर लिया गया है इसलिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक कई इन्टर कॉलेज ३ वर्षीय डिग्री कोर्स में बदल दिये जावेंगे। किशनगढ इन्टर कॉलेज के बारे में भी अन्य ऐसे कॉलेजों के साथ विचार किया जायेगा।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : क्या सिरोही में जो कॉलेज खोला गया है वह माप–दण्ड में बराबर है ? आपका आधार बताया गया था, वह ठीक था ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : सिरोही के आस पास कोई डिग्री कॉलेज नहीं है। जोधपुर में है।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : कितने विद्यार्थियों की संख्या है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : संख्या के बारे में मैं अभी नहीं कह सकता। उपयुक्तता के बारे में निवेदन किया।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : ८ ही विद्यार्थी हैं, क्या यह माप दण्ड में आता है ?

श्री अध्यक्ष : श्री शंकरलाल।

(हंसी)

गांव खोड़ (देसूरी) का पाली तहसील के अन्तर्गत लिया जाना

१३४५. **श्री शंकरलाल** (रायपुर) : क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) गांव खोड़ को तहसील देसूरी से हटा कर तहसील पाली के अन्तर्गत रखने का प्रश्न कितने समय से सरकार के विचाराधीन है और इसका निर्णय सरकार द्वारा अन्तिम रूप से कब तक लिया जायेगा ?

(ख) क्या गांव खोड़ के अतिरिक्त देसूरी तहसील के कुछ अन्य गांव भी पाली तहसील के आधीन लाने का प्रश्न विचाराधीन है ?

उप विकास मंत्री (श्री संपतराम) :

(क) ११. ३. १९५६ से।

(ख) जी हां।

श्री शँकरलाल : निर्णय कब तक हो जायेगा ?

श्री सम्पतराम : कमीश्नर के स्तर पर जांच हो रही है।

श्री शंकरलाल : जांच कब से की जा रही है और कब तक निर्णय होगा ?

श्री सम्पतराम : इसके बाद भी रिआॅर्गेनाइजेशन कमेटी के पास भेजना पड़ेगा।

श्री पी.के. चौधरी : सवाल साफ है कि कब से जांच कर रहे हैं ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास :) जितने प्रश्न इस बात के हैं उनके लिए तहसील रिआॅर्गेनाइजेशन कमेटी जांच कर रही है। सारी रिपोर्ट पर विचार होकर फैसला होगा।

रावराजा श्री सरदारसिंह : कब से जांच हो रही है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : इसका कई दफा सदन में जबाब दिया जा चुका है कि इसको कब मुकर्रर किया गया, कब रिपोर्ट करेगी आदि।

रावराजा श्री सरदारसिंह : कब तक रिपोर्ट पूरी करेगी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जबाब दिया जा चुका है।

श्री शंकरलाल : सवाल यह है कि कब से जांच हो रही है और कब तक होगी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जांच का प्रश्न नहीं है। जांच करके रिआॅर्गेनाइजेशन कमेटी के पास भेजा गया। जब तक अन्य तहसीलों का होगा तब उसकी रिपोर्ट पर निर्णय लिया जावेगा।

श्री भैरोंसिंह : इस कमेटी की आज तक कितनी बैठकें हुई ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह अलग से प्रश्न है।

श्री भैरोंसिंह : क्या आपने इस प्रकार के आदेश दे रखें हैं कि अमुक समय तक रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी जाय ?

श्री दामोदरलाल व्यास : दे रखे हैं।

श्री भैरोंसिंह : कब तक के ?

श्रीदामोदरलाल व्यास: तारीख याद नहीं है।

श्री पी. के. चौधरी : क्या सरकार द्वारा उस कमेटी को अपने रिपोर्ट प्रस्तुत करने की साल या तारीख निश्चित कर रखी है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने निवेदन किया तारीख पहले निश्चित की थी लेकिन जब अजमेर का विलीनीकरण हुआ तो वह हो नहीं सका। उसके बाद जल्दी कार्य खतम करने का आदेश दिया गया है ?

श्री पी. के. चौधरी : तारीख निश्चित नहीं की थी, साल तो निश्चित किया है।

विकास मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) **:** इसी साल।

श्री अध्यक्ष : श्रीमति सतवन्तकौर।

गंगानगर शुगर मिल्स

१३४६. **डॉ. चन्द्रकला** (श्रीमती सतवन्तकौर (करणपुर) की अनुपस्थिति में) **:** क्या उद्योग मंत्री देने की निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर कृपा करेंगे :—

(१) गंगानगर शुगर मिल्स में पिछले साल कितने असिस्टेन्ट सुपरिन्टेन्डेन्ट थे ? उनमें किसको सुपरिन्टेन्डेन्ट मुकर्रर किया गया है और किस आधार पर ?

(२) क्या यह सच है कि महेन्द्रसिंह सुपरिन्टेन्डेन्ट बनने का अधिकारी था और उसकी योग्यतायें और सेवाएं अधिक थीं पर पक्षपात के कारण किसी दूसरे व्यक्ति को नियुक्त कर दिया गया ?

उप उद्योग मंत्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल)**:**

(१) गंगानगर शूगर मिल्स में गत वर्ष दो असिस्टेन्ट सुपरिन्टेन्डेन्ट्स थे। उनमें से श्री जे. एस. भार्गव को सलेक्शन के आधार पर केन सुपरिन्टेन्डेन्ट नियुक्त किया गया।

(२) श्री भार्गव की पदोन्नति का मामला सरकार के विचाराधीन है। शूगर मिल्स में सरकारी डाईरेक्टरों को यह आदेश दे दिया गया है कि वे इस मामले को देखें।

डॉ. चन्द्रकला : यह जो श्री जे. एस. भार्गव हैं जिनको केन सुपरिन्टेन्डेन्ट की जगह नियुक्त किया गया है इनकी योग्यतायें और सेवायें क्या हैं ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : श्री भार्गव की योग्यता मेट्रिक तक है और केन के बारे में खरीदने और बेचने की व्यवस्था से वाकिफ हैं।

डॉ. चन्द्रकला : मैंने दो बातें पूछी थीं, एक तो योग्यता के बारे में, दूसरी सेवा योग्यता के बारे में, तो आपने बता दिया, किन्तु उनकी सेवायें क्या हैं यह जानकारी नहीं दी ?

श्री अध्यक्ष : योग्यता तो मेट्रिक तक और सेवा अब कर रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : श्रीमहेन्द्रसिंह की योग्यता आपने नहीं बताई, क्या श्री भार्गव की योग्यता महेन्द्रसिंह के मुकाबले कम है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जी हां।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मेट्रिक, पंजाब मेट्रिक तो नहीं ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : इस बारे में जानकारी की जा रही है कि इनको किस प्रकार से लिया गया।

श्री भैरोंसिंह : जानकारी करके कब तक निर्णय ले लिया जायेगा ?

उद्योग मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया): इसके बोर्ड ऑफ डाईरेक्टर्स अलग हैं। उन डाईरेक्टर्स को जिस प्रकार किसी विभाग में नियुक्त कर देते हैं उस प्रकार इसमें नियुक्ति नहीं हो सकती। अतः इस बारे में जानकारी की जा रही है कि किस प्रकार से इनको लिया गया।

श्री श्रीभांनसिंह : बोर्ड ऑफ डाईरेक्टर्स में गवर्नमेंट का रिप्रेजेन्टेटिव नहीं है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जी, है।

श्री पी. के. चौधरी : तो क्या सरकार को इस नियुक्ति के बारे में सूचना मिली थ ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : सूचना मिली है। उसी आधार पर तो उत्तर दिया गया है।

डॉ० चन्द्रकला : सूचना कब मिली थी ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : तारीख हमें मालूम नहीं।

श्री दयाकृष्ण विजय : पक्षपात के कारण किसी दूसरे व्यक्ति को नियुक्त कर दिया गया, क्या यह सही है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह नहीं कहा जा सकता। बोर्ड ऑफ डाईरेक्टर्स को यह मामला रेफर किया हुआ है। वे इस बात पर विचार कर रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : श्री महेन्द्रसिंह से जब इनकी योग्यता कम है तो अपॉइन्टमेन्ट किस आधार पर हुआ ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : यह उन लोगों ने देखा होगा या पुराना एक्सपीरिएन्स होगा।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकारी प्रतिनिधि ने सरकार को यह सूचना दी थी कि श्री महेन्द्रसिंह को सुपरसीड करके दूसरे को चान्स दिया गया है जिसकी योग्यता कम है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : इस प्रकार के कोई प्रोपोजल्स नहीं आये। लेकिन जब यह बात सामने आई उसके बाद जानकारी हासिल की जा रही है कि यह किस प्रकार से किया गया।

श्री भैरोंसिंह : सरकारी प्रतिनिधि ने यह सूचना दी थी क्या कि अमुक व्यक्ति की नियुक्ति की जा रही है जो गलत है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैं निवेदन करूं कि ऐसी सूचना जरूर आई है। सूचना प्राप्त होने के बाद आदेश दिये गये हैं इसकी जांच करने के। सरकार की ओर से जो डाईरेक्टर्स हैं उनको दिये जा चुके हैं।

श्री पी० के० चौधरी : आदेश की तारीख बतायेंगे ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : आदेश की तारीख मेरे पास नहीं है।

डॉ० चन्द्रकला : आदेश में कोई निश्चित समय भी दिया गया है जांच पूरी करने का ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : ऐसा कोई समय निर्धारित नहीं किया गया है।

श्री मुरलीधर व्यास : बोर्ड ऑफ डाईरेक्टर्स में सरकार के प्रतिनिधि कितने हैं ?

प्रश्न संख्या १३४७

श्री अध्यक्ष : श्री रामकिशन।

(अनुपस्थित)

श्री प्रभुलाल पुरोहित।

विकास खंड, सांगानेर

१३४८. **श्री प्रभुलाल पुरोहित** (लालसोट) : क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) विकास खंड, सांगानेर की ओर से अब तक निर्माण कार्यों के निमित्त किन किन व्यक्तियों को कितना रुपया प्रतिवर्ष दिया गया ?

(ख) उक्त कार्यों में से कौन कौन से काम पूरे हो चुके हैं तथा कौन कौन से बाकी हैं ?

(ग) किन किन व्यक्तियों में कितना २ रुपया बाकी है ?

उप विकास मंत्री (श्री सम्पतराम) :

(क) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ख) इस बारे में सूचना उपरोक्त सूची में दी हुई है।

(ग) सरकारी रकम ग्रान्ट-इन-एड के रूप में दी गई है। कार्य अभी चालू है अतएव बकाया रकम का पता काम पूरे होने पर चल सकता है कि सरकारी रकम पूरी खर्च हुई या नहीं।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण राजस्थान विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

प्रश्न संख्या १३४९

श्री अध्यक्ष : श्री पृथ्वीराज

श्री सम्पतराम : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न की सूचना प्राप्त नहीं हो पाई है, अतः इसे अगले टर्न पर रख दिया जाय।

मोबाइल लाइब्रेरीज द्वारा उपयोग में लाई जानेवाली जीपें

१३५०. **श्री जयसिंह** राणावत (आसिंद) : क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

Page No.28

(श्री जयसिंह राणावत)

(१) ग्रामीण जनता के लिए मोबाइल लाईब्रेरी की कितनी जीपें राजस्थान में हैं ?

(२) वे इस कार्य के हेतु कब लगाई गई ?

(३) भीलवाड़ा ज़िले में इन जीपों का क्या कोई उपयोग किया गया है ?

(४) यदि हां, तो कब–कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उप शिक्षा मंत्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई):

(१) राजस्थान में पांच जीपें चल–पुस्तकालयों के लिये हैं ।

(२) अप्रेल, १९५६ से चल-पुस्तकालय की सेवा में कार्य कर रही हैं ।

(३) जी नहीं ।

(४) पांचों जीपें केवल पांचों डिविज़नल हैडक्वार्टरस पर उसी डिस्ट्रिक्ट की ग्रामीण जनता की सेवार्थ काम में ली जा रही हैं ।

श्री मनोहर कोठारी : क्या उन जीपों में किताबें भर कर ग्रामीणों की सेवा की जा रही है या अफसरों के निजी काम में आती हैं ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : गांवों की सेवा कर रही है ।

श्री मनोहर कोठारी : उदयपुर डिवि–ज़न में ऐसा ही हो रहा है क्या ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जी हां ।

डॉ० चन्द्रकला : मोबाइल लाइब्रेरी की योजना और भी जिलों में चालू करने का सरकार का इरादा है क्या ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : यह तो मौजूदा योजना पर निर्भर है, वह यह कितनी कामयाब होती है और हमारी आर्थिक स्थिति पर भी यह निर्भर करता है ।

डॉ० चन्द्रकला : आपका आज तक का अनुभव क्या रहा है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : ठीक ही रहा है ।

डा० बहादुरसिंह : क्या इन जीपों की लॉग बुक रखी जाती है और सरपंच से हस्ताक्षर भी लिए जाते हैं ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जी हां ।

श्री रामचन्द्र : कोटा जिले को इस प्रकार की सुविधा का सौभाग्य कब प्राप्त होगा ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : अन्य जिलों के साथ ।

श्री पी० के० चौधरी : क्या यह सही नहीं है कि सरपंच के दस्तखत नहीं कराये जाते ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : निश्चित नहीं कहा जा सकता ।

श्री पी. के. चौधरी : आपने डॉ० बहादुर-

(श्री पी. के. चौधरी)

सिंहजी के प्रश्न के उत्तर में फरमाया था कि लॉग बुक रखी जाती है और सरपंच के हस्ताक्षर भी होते हैं ! अब आप कह रहे हैं निश्चित नहीं कहा जा सकता ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जहां सरपंच के जरूरी होते हैं वहां किये जाते हैं।

शिक्षा मंत्री(श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : लॉग बुक से और सरपंच से कोई ताल्लुक ही नहीं है।

श्री तेजमल बाफना : डिविज़न के हर-जिले में साल भर में कितनी दफा जायं, इस बारे में भी कोई नियम है क्या ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : महिने में कम से कम एक बार हर गांव में जायं।

श्री पी० के० चौधरी : क्या यह सही है कि लॉग बुक डेली नहीं भरी जाती बल्कि हफ्ते में एक बार भरी जाती है ?

श्री अध्यक्ष : The Question is as much vague as your answer. (to Shri Punam Chand Bishnoi)

प्रश्न संख्या १३५१

श्री लालूराम।

(अनुपस्थित)

श्री पृथ्वीराज।

जिला शिक्षा निरीक्षक, सवाईमाधोपुर द्वारा की गई नियुक्तियां

१३५२. श्री पृथ्वीराज (गंगापुर–सु) : क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) मौजूदा सवाईमाधोपुर ज़िला निरीक्षक द्वारा पिछले दो वर्ष में किस–किस योग्यता के, किस–किस अध्यापक को, किस–किस ग्रेड में रखा गया और क्यों रखा गया ?

(२) क्या यह सही है कि महुआ हाई स्कूल में एक बी. कॉम. को मिडिल की ग्रेड दी गई है तथा गंगापुर में एक बी. कॉम. फैल को मिडिल की ग्रेड में रखा गया है तथा मेट्रिक को मेट्रिक ग्रेड में ही रख दिया गया है ? उपरोक्त लिस्ट नाम सहित सदन की मेज पर रखी जावे।

उप शिक्षा मंत्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई):

(१) सदस्य महोदय की जानकारी के लिये सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) महुआ हाई स्कूल में ऐसा कोई बी. कॉम. अध्यापक नियुक्त नहीं किया जिसको मिडिल ग्रेड दिया गया है।

गंगापुर में श्री विनोदचन्द जैन इन्टर पास को आरजी तौर पर सत्र तक नियमानुसार निम्नतम ग्रेड में लगाया गया है। किसी भी साधारण मेट्रिक योग्यता प्राप्त अध्यापक को मेट्रिक ग्रेड नहीं दी गई।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण राजस्थान विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)।

श्री अध्यक्ष : श्री मोतीबाबा।

बीघोड़ी की वसूली

१३५३. श्री मोती बाबा (बाली) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

Page No.30

(श्री मोती बाबा)

(क) क्या यह सही हैं कि पाली जिले के बाली और देसूरी तहसील के ग्रामों में बीघोड़ी ऊंची रेट से लगाई गई है ?

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इसे कम करने का विचार करेगी ?

उप राजस्व मन्त्री (श्री सम्पतराम) :

(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री मोती बाबा : यह रेट क्या लगाई गई है ?

श्री सम्पतराम : भिन्न इलाकों में भिन्न दरें हैं।

श्री मोती बाबा : जो ऊंची से ऊंची रेट हो ?

श्री सम्पतराम : इस समय यह सूचना देना सम्भव नहीं है।

श्री बेनाराम : क्या यह सही है कि इस मामले में एक शिष्ट मण्डल माननीय मंत्री-जी से मिला था ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) :

यह सही हो सकता है। शिष्ट मण्डल मिला था और उस समय वाजिब समझा और १७ पर्सेन्ट रिडक्शन कर दिया था रेट में।

श्री बेनाराम : उस समय शिष्ट मण्डल को आश्वासन दिया था कि जांच की जाकर उचित कार्यवाही की जावेगी। तो क्या वह जांच कर ली गई है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जांच करवाली गई है और इस पर यह मालूम हुआ कि यह रेट वाजिब है।

श्री बेनाराम : जांच कब करवाई गई ?

श्री दामोदरलाल व्यास : शिष्ट मंडल के मिलने के बाद।

प्रश्न संख्या १३५४

श्री अध्यक्ष : श्री रिद्धिचन्द।

(अनुपस्थित)

श्री धन्नालाल हरित।

श्री कन्हैयालाल माली, नयापुरा, बारां की खाते बांधी गई जमीन।

श्री धन्नालाल हरित (छबड़ा—सु) : क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) कन्हैयालाल माली, नयापुरा, बारां की सन् ५१-५२ में कितनी जमीन खाते बांधी गई ?

(२) उस जमीन की कीमत उक्त व्यक्ति द्वारा कब जमा की गई ?

उप राजस्व मन्त्री (श्री सम्पतराम) : कोई नहीं।

(२) प्रश्न नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष श्री सोहनलाल भटनागर।

Page No.31

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत औद्योगिक संस्थानों की स्थापना

१३५६. **श्री सोहनलाल भटनागर** (सलुम्बर) : क्या उद्योग मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

पंचवर्षीय द्वितीय योजना काल में कुल कितने औद्योगिक संस्थान (इन्डस्ट्रियल इस्टेट्स) खोले जायेंगे तथा इनमें से अब तक कितने खोल दिए गये हैं व इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या क्या सहायता प्रदान की गई है और की जावेगी ?

उप उद्योग मन्त्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : राजस्थान में द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल के अन्तर्गत निम्न स्थानों पर औद्योगिक संस्थान स्थापित करने की स्वीकृति ने दी है :—

जयपुर, माखूपुरा (अजमेर), भीलवाड़ा, गंगानगर, जोधपुर, कोटा, रायसिंहनगर, सुमेरपुर और अलवर। इनमें से जयपुर और माखूपुरा में औद्योगिक सम्पदायें स्थापित करने का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। जयपुर सम्पदा में कारखानों की इमारतें बन रही हैं जो आशा है मई माह तक पूर्ण हो जावेंगी। अजमेर में जगह चुनी जा चुकी है और भूमि प्राप्त करने का कार्य सम्पन्न हो चुका है। भीलवाड़ा के लिए स्वीकृति अभी आई है। आशा है जल्दी कार्य आरम्भ कर दिया जावेगा। प्रारम्भिक कार्य सम्पन्न हो चुका है। औद्योगिक सम्पदा के लिए सरकार जो जो सहायता प्रदान करेगी उसकी तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

श्री सोहनलाल भटनागर : मेरे पास तो तालिका नहीं आई।

श्री अध्यक्ष : श्रीभैरवलाल 'कालाबादल'

बीड़, भालता ग्राम (झालावाड़)

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' (अकलेरा): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भालता ग्राम, जिला झालावाड़ में करीब ७०० बीघा बीड घास को आबाद करने हेतु भूमिहीनों ने दरख्वास्तें दी हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

(ख) उपरोक्त बीड़ का घास किस काम आता है ? क्या यह बीड ठेके पर दी जाती है ?

(ग) यदि हां, तो सन् १९५१ से '५७ तक हर साल कितनी कितनी रकम इस बीड़ के ठेके से वसूल हुई ?

उप राजस्व मंत्री (श्री सम्पतराम) : (क) जी हां, बीड़ का रकबा ७०० बीघा न होकर ३६१ बीघा है।

(ख) यह बीड महकमा जंगलात के अन्दर है। डी. एफ. ओ. ने फॉरेस्ट को भूमिहीनों के लिये खोलना स्वीकार नहीं किया है। ठेकेदार घास कटवा कर मालिक मवेशियान को घास बेचता है। बीड़ ठेके पर दिया जाता है।

(ग) ५१–५२ में १३२) रु०
५२–५३ में २०१) रु०
५३–५४ में १८१) रु०
५४–५५ में १००) रु०
५५–५६ में १००) रु०
५६–५७ में ९५) रु० पर।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : क्या माननीय मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि इसका जो घास कटाया जाता है, चरागाह के लिये, हालांकि काफी ज़मीन है फिर भी १००),१३५),१५०) रुपया से अधिक की आमदनी किसी साल नहीं हुई। ऐसी स्थिति में क्या ७०० बीघा के इस बीड़ को आप आबाद कराने की नहीं सोचते ? इससे धान तो अलग पैदा होगा, लोगों को काम मिलेगा और घास से भी इतनी आमदनी तो कहीं भी नहीं रुकेगी।

श्री सम्पतराम : यह ज़मीन फॉरेस्ट विभाग की है और इसमें घास के अलावा कुछ पेड़ भी लगाने की फॉरेस्ट विभाग की योजना है। इसलिये इसमें बसाने का प्रश्न पैदा नहीं होता।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : क्या यह सही नहीं है कि इस बीड़ का घास काटा नहीं जात.ा बल्कि दो-तीन गांव के गूजरों को चराने के लिये दे दिया जाता है।

श्री सम्पतराम : घास काटने के बाद चराने की इज़ाज़त भी दी जाती है।

श्री भैरवलाल कालाबादल : यह न्यूज गलत दी है। घास काटा नहीं जाता। खड़ा ही चरा दिया जाता है।

राजस्व मंत्री श्री दामोदरलाल व्यास : यह जंगलात विभाग की जमीन है। इसमें घास ही नहीं होता, जंगल भी है। इसलिये अगर इसके मुतल्लिक अधिक जानकारी करनी है तो फॉरेस्ट विभाग से प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री रामचन्द्र : जंगल नहीं है। महज घास है। ऐसी बहुत सी ज़मीन है जिससे पूरा फायदा नहीं उठाया जा रहा है, फाजतू पड़ी है और जिसका फायदा नहीं हो रहा है।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : इस बीड़ का घास राज्य सरकार के जमाने में घोड़ों की सरबराई में आता था। अब यह फाजतू पड़ा है। काश्त के लिए काम में नहीं लेने देते। एक तरफ जानवर भूखे मरते हैं, दूसरी तरफ कुछ लोगों को मामूली सी कीमत में सारी घास बेच दी जाती है। सरकार को इस तरफ देखना चाहिये।

श्री दामोदरलाल व्यास : यह जंगल रेवेन्यु विभाग के तहत में नहीं है। फॉरेस्ट विभाग के तहत में है। इस विभाग ने फॉरेस्ट विभाग को इसे ट्रांसफर कर देने के लिये लिखा था पर फॉरेस्ट विभाग ने इसे ट्रान्सफर करने से इन्कार कर दिया। अगर आप फॉरेस्ट के मुतल्लिक जांच कराना चाहें तो फॉरेस्ट विभाग से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या इसे फॉरेस्ट विभाग से लेने की कार्यवाही की गई थी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी हां, पर उस विभाग ने इसे हमें ट्रान्सफर करने से इन्कार कर दिया।

श्री अध्यक्ष विशम्भरनाथ जोशी :

गाडोलिया लुहार सम्मेलन

१३५८. **श्री पी. के. चौधरी** (श्री विशम्भरनाथ जोशी (चाँदीकुई) की अनुपस्थिति में): Will the Minister for Social Welfare be pleased to state:-

(a) What amount was sanctioned

(श्री पी. के. चौधरी)

by the Government in connection with the Conference or Sammelan of 'Gadolia Lohars' held at Chittor in the Udaipur Division.

(b) How much of the total amount sanctioned for the purpose was actually spent ?

(c) Have the accounts of the above mentioned Sammellan been submitted to the Government ?

(d) Has any amount been returned or refunded to the Government out of the money sanctioned for the purpose ?

उप समाज कल्याण मंत्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल) :

(a) Rs. 12,000/-

(b) Rs. 10,597/5/-

श्री अध्यक्ष : पर श्री बी० एन० जोशी तो हैं नहीं ?

श्री पी. के. चौधरी : I have given the authority for that.

श्री अध्यक्ष : Yes. उत्तर दीजिये ।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : (a) Rs. 12,000/-

(b) Rs. 10,597/5/-

(c) The money was spent by the Government itself through the Social Welfare Deptt. Hence the question does not arise.

(d) Yes, an amount of Rs. 1338/11/- was refunded to the Treasury.

श्री पी. के. चौधरी : On what date was it refunded ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : That date is not with me.

श्री पी. के. चौधरी : क्या यह बात सही है कि १२ हजार में कॉन्फ्रेन्स का खर्चा हो गया था पूरा ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : Rs, 12,000/- were sanctioned by the Rajasthan Government and Rs. 10,597/- were spent. The rest of the money was refunded to the Treasury.

ग्लास फैक्टरीज़

१३५६. **श्री मोगजी भाई** (बांसवाड़ा): क्या उद्योग मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) राजस्थान में कितनी ग्लास फैक्ट्रीज़ हैं तथा इनमें से किन–किन फैक्ट्रियों में सरकार के शेयर्स हैं तथा उन पर सरकार का नियन्त्रण किस प्रकार का है ?

(ख) उक्त फैक्ट्रियों को सरकार कितनी सहायता दे चुकी है तथा उनमें मजदूरों के लिये बोनस, प्रोवीडेन्ट फण्ड तथा महंगाई की क्या व्यवस्था है ?

Page No.34

उपउद्योगमंत्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल): (क) राजस्थान में निम्न ६ ग्लास फैक्ट्रियां हैं। जिनमें से नम्बर १ व २ में राजस्थान सरकार के शेयर्स हैं। ग्लास वर्क्स लिमिटेड, भरतपुर में कलक्टर भरतपुर सरकार की ओर से डाइरेक्टर हैं। धौलपुर ग्लास फैक्ट्री पर सरकार का कोई नियन्त्रण नहीं है।

(१) ग्लास वेयर्स लिमिटेड, भरतपुर।

(२) धौलपुर ग्लास वर्क्स, धौलपुर।

(३) राजस्थान ग्लास इन्डस्ट्रीज़, भरतपुर।

(४) बीकानेर ग्लास फैक्ट्री, बीकानेर।

(५) जयपुर ग्लास फैक्ट्री, जयपुर।

(६) मेवाड़ ग्लास वर्क्स, उदयपुर।

(ख) सिर्फ मेवाड़ ग्लास वर्क्स, उदयपुर को १५,०००) का ऋण दिया गया है। बोनस व प्रोवीडेन्ट फण्ड इत्यादि का प्रश्न नहीं उठता।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : दूसरी ग्लास फैक्ट्रियों को सहायता क्यों नहीं दी गई ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल: मांगी नहीं, इसलिये नहीं दी गई।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : क्या यह सही है कि धौलपुर ग्लास वर्क्स को भी सहायता मिली है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : धौलपुर ग्लास फैक्ट्री की ओर से सरकार को कोई सहायता के लिये दरख्वास्त नहीं दी गई। न सरकार की ओर से कोई सहायता दी गई है। लोन के रूप में भी नहीं दी गई।

तकावी वितरण

१३६०. **श्री बेनाराम गहलोत** (खारची) : क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सत्य है कि ३० सितम्बर से २ अक्टूबर ५७ तक तकावी कमेटी ने देसूरी तहसील में किसानों को तकावी स्वीकृत की थी ? यदि हां, तो कितनी धनराशि किस–किस कार्य के लिये किन–किन काश्तकारों को स्वीकृत की गई ?

(२) उपरोक्त धनराशि काश्तकारों को कब वितरण की गई ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उपराजस्वमन्त्री (श्री सम्पतराम) : (क) जी हां। रुपया २७,८००)। इसमें से रुपया २५,८००) बेरे खोदने के लिये तथा २,०००) बैल खरीदने के लिये जिन–जिन काश्तकारों को दी गई उसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ख) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट ५ देखिए)

श्री बेनाराम गहलोत : यह रकम सितम्बर में स्वीकृत की गई और जनवरी-फरवरी में दी गई, इसका क्या कारण है ?

श्री सम्पतराम : हां, यह सही है। इसमें डेवलपमेन्ट विभाग से रुपया दिया गया था। उन्होंने हमें पत्र लिखा कि अमुक रकम भेज रहे हैं। लेकिन बाद में किसी वजह से वह पत्र रुक गया, फिर दुबारा लिखा गया, तो तो इस लिखा पढ़ी में देर हो गई।

श्री बेनाराम गहलोत : किसकी गलती से हुई यह देर ?

श्री सम्पतराम : इसमें गलती का सवाल नहीं है। विकास कार्यों में जब एक जगह रुपया खर्च नहीं होता है तो उसे दूसरी जगह लगाना पड़ जाता है और इसकी कार्यवाही करने में देर लग जाती है।

श्री बेनाराम गहलोत : अब इस देर होने से किसानों का कितना लौस हुआ, इसका जिम्मेदार कौन है ?

श्री सम्पतराम : जिम्मेदारी का भी सवाल नहीं है। यह तो सरकारी कार्य है जितना जल्दी हो सकता है करने का प्रयत्न किया जाता है।

प्रश्न संख्या १३६१

श्री अध्यक्ष : श्री आबिद अली।

(अनुपस्थित)

श्री जुगलकिशोर।

भरतपुर जिले के भूमिहीन हरिजनों द्वारा भूमि प्राप्ति के लिए दिये गये आवेदन-पत्र

१३६२. **श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी** (डीग) : क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भरतपुर जिले के भूमिहीन हरिजनों ने भूमि प्राप्त करने के लिये सरकार के पास कोई आवेदन पत्र भेजे हैं ?

(ख) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही हुई ?

(ग) क्या उक्त भूमिहीनों को अपेक्षित भूमि देने की कोई व्यवस्था सरकार के विचाराधीन है ?

(घ) यदि है तो क्या और वह कब तक कार्यान्वित हो सकेगी ?

(ङ) यदि नहीं, तो उक्त भूमिहीनों को जीवका का और क्या साधन हो सकता है ?

उप राजस्व मंत्री (श्री सम्पतराम) : (क) जी हां,

(ख) भूमि उपलब्ध न होने से भूमि नहीं दी गई।

(ग) जी हां।

(घ) कहीं जमीन किसी तरह से खातेदारी में आई या नहीं, इस प्रश्न की जांच की जा रही है। बाद ही में कोई निर्णय किया जावेगा।

(ङ) राजस्थान कैनाल एरिया में जमीन दी जा सकती है।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : क्या भरतपुर जिले में और भी जमीन दी जावेगी जो फालतू पड़ी है।

Page No.36

श्री सम्पतराम : जो जिले में उपलब्ध होगी वह दी जावेगी, जो बचेंगे वे राजस्थान कैनाल एरिया में जाकर प्राप्त कर सकते हैं, और कर भी रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष : श्री पी. के. चौधरी ।

लोक सेवा आयोग द्वारा लघु एवं उच्च लिपिक अभ्यर्थियों से लिया जाने वाला शुल्क

श्री पी. के चौधरी : Will the Chief Minister be pleased to state:—

(a) Is it correct that the Rajasthan Public Service Commission charges a fee of Rs. 30/-from each candidate appearing for Upper Division Clerks selection and Rs. 25/-from candidates appearing for Lower Division Clerks selection ?

(b) Is it correct that the fees thus realised from the candidates are utilised for unemployment benefits ?

मुख्य मंत्री की अनुपस्थिति में

श्रम मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (क) राजस्थान सचिवालय में क्लर्कों की भरती प्रतिस्पर्द्धा परीक्षाद्वारा की जाती है, जो कि राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाती है । इसकी फीस निम्न प्रकार है :—

(१) अपर डिविजन क्लर्क एग्जामिनेशन ३० रुपया (१५ रुपया शिड्यूल्ड कास्ट्स एवं शिड्यूल्ड ट्राइब्स से)

(२) लोअर डिविज़न क्लर्क एग्जामिनेशन १५ रु० (८ रु० शिड्यूल्ड कास्ट्स एवं शिड्यूल्ड ट्राइब्स से)

(ख) नहीं, परीक्षार्थियों से प्राप्त परीक्षा शुल्क सरकारी खजाने में "मिसलेनियस डिपार्टमेंट इग्ज़ामिनेशन फी" के मद में जमा कराई जाती है ।

श्री पी. के. चौधरी : क्या दूसरा कोई राज्य कमीशन इस प्रकार की फीस चार्ज करता है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : और भी चार्ज करते हैं ।

श्री पी के. चौधरी : आपने ३० और २५ बताया ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : तीस और पन्द्रह बताये हैं । अपर डिविज़न क्लर्क के लिये ३०) और लोअर के लिए १५) और इसमें भी शिड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्स वालों के लिये कन्सेशन है; १५) और ८) हैं उनके लिये क्रमशः और टाइपिस्टों के लिये १०) और ४) हैं ।

श्री पी. के. चौधरी : क्या यह आप मानते नहीं कि इतनी फीस चार्ज करना अनएम्प्लोयड से, यह उनके लिये हार्डशिप क्रीएट करना है ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह तो सभी जगह ऐसा नियम है । परीक्षा की फीस होती है, इसमें पैसा खर्च करना पड़ता है, पेपर तैयार करने पड़ते हैं, छपाने पड़ते हैं, सारा इन्तजाम करना पड़ता है ।

श्री पी. के. चौधरी : क्या मंत्री महोदय यह बतावेंगे कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इसके इक्विवेलेन्ट पोस्ट के लिये कितना चार्ज करता है ?

Page No.37

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : सेन्टर में ज्यादा है ?

श्री पी. के. चौधरी : क्या है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : २६) रुपया है ।

श्री अध्यक्ष : श्री शिवचरणदास ।

मांडल तहसील में भूमि वितरण

१३६४. **श्री शिवचरणदास** (मांडल) : क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या जिला भीलवाड़ा की मांडल तहसील में भूमि का वितरण चरागाह कायम होने तक रोक दिया गया है ?

(ख) यदि हां, तो कब से ?

(ग) अब कब तक भूमि एलॉट होनी शुरु हो जावेगी ?

उप-राजस्व मंत्री (श्री सम्पतराम) :

(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

कई माननीय सदस्य : बिल्कुल सुनाई नहीं दिया, माइक की आवाज को खोलो।

श्री सम्पतराम : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

श्री शिवचरणदास : अध्यक्ष महोदय यह प्रश्न कैसे नहीं उठता ? यह समझ में नहीं आया ?

श्री अध्यक्ष : आपने पूछा है कि क्या भूमि वितरण का काम रोक दिया गया है और इन्होंने उत्तर दिया, जी नहीं।

श्री शिवचरणदास : रोका हुआ है। पहले एक प्रश्न पूछा गया था और उसका उत्तर था जब तक चरागाह निश्चित नहीं हो जाते, तब तक भूमि वितरण का काम नहीं हो सकता।

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : पहले जबाब दिया गया था, वह इस प्रकार था और मैंने अभी एक सवाल के जबाब में अर्ज किया था कि यह आदेश दिये गये हैं कि लैन्ड जितनी भी हैं उसके अलॉटमेन्ट के पहले चरागाह की जमीन निकाल दी जाये और अनआकुपाइड बाकी जो जमीन बचे उसको एलॉट करदी जाये। यह मांडल के लिए ही नहीं बल्कि दूसरी सभी तहसीलों के लिए ऐसे आर्डर्स हैं।

श्री शिवचरणदास : क्या मांडल में चरागाह निश्चित हो गए हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जहां कम होगी वहां निश्चित हो जायगी।

श्री शिवचरणदास : मेरा प्रश्न यह है कि क्या मांडल में हो गया है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मांडल के लिए जगह कम हो सकती है क्योंकि वहां की जमीन मेजा बांध पर आ गई है।

श्री शिवचरणदास : मेजा बांध की जमीन के लिए क्या कहना है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने अर्ज किया है कि मेजा बांध की जमीन जो इर्रिगेटेड है वहां जगह कम हो सकती है ।

श्री दयाकृष्ण विजय : यह ऑर्डर्स कब निकले ?

श्री दामोदरलाल व्यास : ये अलॉटमेंट के तरीके रूल्स में हैं ।

श्री शिवचरणदास : मेरा प्रश्न है मेजा बांध से ऊपर जहां जमीन नहीं पहुंची है वहां चरागाह निश्चित किये या नहीं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : किस–किस तहसील में कहां–कहां चरागाह निश्चित हो गये हैं, यह खबर नहीं है । लेकिन जो आर्डर्स दिये गये हैं वो इस प्रकार हैं कि जहां जमीन होगी वहां एलॉट कर दी जायेगी ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मांडल तहसील के किसी भी हिस्से में की गई है या नहीं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : हर तहसील के लिए ऐसे आर्डर्स हैं ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए ।

९.१४ म. पू.

सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति

सभा की कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि श्री मोहब्बतसिंह ने विधान सभा की बैठकों से दिनांक ७–४–५८ से १३–४–५८ तक अनुपस्थित रहने के लिए प्रार्थना की है ।

क्या सदन की यह अनुमति है कि उन्हें अनुपस्थित रहने की आज्ञा प्रदान की जाये ?

अनुमति प्रदान की गई ।

(विराम)

९.१५ म. पू.

विधायी कार्य

राजस्थान दहेज नियंत्रण विधेयक, १९५८

श्री अध्यक्ष : अब विधायी कार्य होगा । श्री मनोहर कोठारी ने जो राजस्थान डॉवरी रेस्ट्रेन्ट विधेयक, १९५८ भेजा है उस पर विचार किया जायेगा ।

(विराम)

श्री तनसिंह ।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक प्रिविलेज़ मोशन मूव किया है और उस पर सदन में आज निर्णय लिया जाने वाला था, उसका क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष : उसके बारे में कल व्यवस्था की जायेगी ।

श्री मनोहर कोठारी : मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान डावरी रेस्ट्रेन्ट विधेयक, १९५८ को विचारार्थ लिया जाये ।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक पाइन्ट आफ इनफोर्मेशन है कि नियमा-

(डॉ० चन्द्रकला)

वली के नियम ९८,९९ और १०० के अनुसार यह जो अमेंडमेंट है और हमें इस संबंध में जो दूसरे दूसरे अमेंडमेंट मिले हुए हैं यह मेम्बर इंचार्च के द्वारा उसी समय प्रस्तुत किये जा सकते हैं या और दूसरे लोग भी पहले से अमेंडमेंट दे सकते हैं ? नियमावली के नियम के अनुसार प्रस्ताव आने पर संशोधन प्रस्ताव पर उसी समय विचार कर सकते हैं। लेकिन यह अमेंडमेंट दो दिन पहले से दिया जाकर सर्कुलेट किया है। ऐसा करना क्या ठीक है ? यदि कोई अमेन्डमेन्ट देता है तो क्या पहले से उसकी सूचना देनी चाहिए ? यदि यह स्पष्टीकरण हो जाये तो अच्छा हो क्योंकि यह प्रश्न कोई बार उठता रहता है कि यदि किसी बिल को सिलेक्ट कमेटी अथवा पब्लिक ओपीनियन के लिए भेजना है तो उसकी सूचना पहले से देनी चाहिए क्या ? इससे हम लोगों को सुविधा होगी।

श्री अध्यक्ष : इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए क्योंकि सूचना पहले दी जा चुकी है।

डॉ० चन्द्रकला : लेकिन वह तो मेम्बर इंचार्ज मूव करता है। फिर अमेंडमेंट के रूप में यह देना होता है। ऐसा लिखा हुआ है।

श्री अध्यक्ष : पहले नोटिस दे सकते हैं।

श्री तनसिंह (बाड़मेर): माननीय अध्यक्ष महोदय मैं इसमें एक वैधानिक आपत्ति उठाता हूं और वह यह है कि इस बिल के क्लॉज ७ में "The State Government may, by notification in the Rajasthan Gazette make rules generally to carry out the purpose of this Act and to provide for rewards to be paid to persons giving information" तो यह रिवार्ड्स जो हैं यह स्टेट की कन्सोलीडेटेड फन्ड में से दिये जाते हैं और इस रिवार्ड की व्यवस्था होने से यह कान्सटीट्यूशन के आर्टीकल २०७ के अन्तर्गत आता है और राज्यपाल महोदय की स्वीकृति इसमें लेनी आवश्यक है और मैं समझता हूं कि इसमें स्वीकृति नहीं ली है इसलिए इसको स्थगित किया जाये।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व-मंत्री): यह कोई फाइनेन्शियल बिल नहीं है।

श्री तनसिंह : It is not a financial Bill but it contemplates expenditure from the consolidated fund of the State.

श्री दामोदरलाल व्यास : एक्सपेन्डीचर तो होता ही है।

श्री तनसिंह : Expenditure which is from the consolidated fund of the State, यह मनी बिल की तारीफ में आता है। आर्टिकल २०७ में देख लीजिए।

श्री अध्यक्ष : Any observations on this point ?

श्री तनसिंह : रिवार्ड तो गवर्नमेंट के पैसे से ही दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : We withhold discussion on this.

श्री मनोहर कोठारी (कुम्भलगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि दहेज निरोधक विधेयक के लिए गवर्नर महोदय की स्वीकृति लेना आवश्यक है ऐसा बताया जा रहा है, और उसके लिए यह कारण बताया गया है कि स्टेट के कन्सोलीडेटेड

Page No.40

(श्री मनोहर कोठारी)

फन्ड में से रिवार्ड देना होगा इसलिए इसमें गवर्नर महोदय की स्वीकृति लेना आवश्यक है। लेकिन अध्यक्ष महोदय मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस संबन्ध में गवर्नर महोदय से स्वीकृति लेने की इसलिए आवश्यकता नहीं होती क्योंकि रिवार्ड के लिए जो अभी व्यवस्था है उसमें यह प्रदर्शित नहीं किया गया है कि यह स्टेट के कन्सोलीडेट फन्ड से दिया जायेगा, बल्कि इसमें यह व्यवस्था हो सकती है कि हम इस तरह के केसेज़ में जो जुर्माना आदि की सजा है उसमें से रिवार्ड दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त रिवार्ड देने का अधिकार भी सरकार दे रही है, यह एक्सी-डेन्टल है। इसलिए मैं समझता हूं कि इस बिल को गवर्नर महोदय की स्वीकृति के लिए भेजा जाना कतई आवश्यक नहीं है।

श्री तनसिंह (बाड़मेर) : माननीय अध्यक्ष, मूवर महोदय ने इस बिल के लिए यह एतराज उठाया है कि गवर्नर महोदय की स्वीकृति लेना आवश्यक नहीं है। परन्तु मैं निवेदन करूंगा कि इसमें स्वीकृति आव-श्यक है, इसलिए हमारे सामने और कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

"If any question arises whether a Bill is or is not a Bill which repuires sanction or recommendation the question shall be referred to the Rajyapal whose decision on the question shall be final."

तो रूल ६४ के अनुसार इस क्वेश्चन को, क्योंकि उठाया गया है इसलिए इसे राज्यपाल महोदय के पास रेफर कर दिया जाय कि इसमें आवश्यक है या नहीं? उसके बाद में दूसरा बिज़नेस ले लिया जाये।

श्री अध्यक्ष : That is why I said that we defer discussion of this Bill.

श्री तनसिंह : डेफर करते हैं तो....

श्री अध्यक्ष : This point will be considered and a due ruling given.

श्री तनसिंह : यानी यह बिल....

श्री अध्यक्ष : We with-hold dis-cussion on it.

६.१५ म. पू.

अशासकीय संकल्प

राज्य का सम्पूर्ण काम-काज राष्ट्रभाषा हिन्दी में किया जाना

(अग्रेतर विचार विमर्श)

श्री अध्यक्ष : श्री जगदीश प्रसाद माथुर का एक रिजोल्यूशन था कि सदन की राय है कि सन् १९५९ तक राज्य में सम्पूर्ण काम राष्ट्रभाषा हिन्दी में किया जाना प्रारम्भ कर दिया जाय।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : अध्यक्ष महोदय, इस सदन में जो संकल्प प्रस्तुत हुआ है कि हिन्दी को राजस्थान राज्य प्रशासन के व्यवहार का माध्यम मान लिया जाय, और इसकी एक अवधि कायम कर दी जाय कि यहां १९५९ तक इसका व्यवहारिक रूप राज्य प्रशासन के अन्दर आजाय। मैं सम-झता हूं कि जब यह संकल्प सदन में आया है तो इस समय सारे भारतवर्ष में हिन्दी जो

(श्री जनार्दनराय नागर)

राष्ट्रभाषा के रूप में हमारे संविधान द्वारा प्रतिष्ठित हो चुकी है, उसके विरोध में एक व्यापक प्रक्रिया आरम्भ हो गई है। मुझे अत्यन्त खेद है, अध्यक्ष महोदय, कि हमारे देश के कई व्यक्तियों ने जिनको मैं महाशय और महोदय कह सकता हूं पिछले २ साल के अन्दर राष्ट्रभाषा के प्रसार को लेकर ऐसी प्रक्रिया इस देश में उत्पन्न की है जो कि मेरी राय में दुःख पूर्ण है, अध्यक्ष महोदय हम लोग आजाद हुए और आजाद होने के साथ साथ जो आत्मा की स्वतन्त्र भावना और चेतना आनी चाहिए थी वह मैं समझता हूं नहीं आ रही है।

भाषा का एक ऐसा प्रश्न है जो किसी भी जाति के लिए उसके जीवन के आधार से सम्बन्धित प्रश्न है। हमारा सारा विनिमय, हमारा सारा संयोजन — वियोजन, हमारा एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ सम्बन्ध और संपर्क की जो अवस्था है, मैं समझता हूं, वह एक माध्यम के द्वारा होती है, और वह माध्यम एक भाषा और एक आवाज का है। अध्यक्ष महोदय, मुझे नहीं समझ में आता है कि किसी देश में यदि जनतन्त्रता कायम होती है और जनराज्य व्यवहार में आता है तो जनता की जो भाषा है, उस भाषा के अलावा दूसरी भाषा के अन्दर उस राज्य के द्वारा किसी प्रकार का काम कराया जाता है तो यह दुर्भाग्य है, क्योंकि हमारे देश में अंग्रेजी साम्राज्य की कुछ विरासतें हैं और उन विरासतों में एक विरासत यह भी है कि अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग जो हैं, उनका सारा कामकाज व्यक्तिगत जीवन में और सामाजिक जीवन में, सभी अंग्रेजी में होता है। अध्यक्ष महोदय, यह दुःख पूर्ण विरासत इस देश में है और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे देश के कई गणमान्य नागरिक आज यह कहने लगे हैं कि हिन्दी का भविष्य जो संविधान द्वारा सुनिश्चित किया जा चुका है उसे सुनिश्चित न रखा जाय। मुझे यह कहते हुए अफसोस है कि इसका सारा प्रारम्भ दक्षिण से आज हो रहा है और उत्तर और दक्षिण की भाषा को लेकर एक प्रकार की संघर्षावस्था की स्थिति इस देश में उत्पन्न की जा रही है।

अध्यक्ष महोदय, मैं नहीं समझता कि राजस्थान हिन्दी भाषा राज्य कहा जाता है। आज जिन भाषाओं को, संविधान के अनुसार देश की भाषाएं मान ली गई हैं, उनमें राजस्थान को, अनायास ही, मुझे समझ में नहीं आता कि किन दलीलों के आधार पर राजस्थान को हिन्दी भाषा-भाषी क्षेत्र मान लिया गया है, जब कि यह मूलभूत रूप से, भाषा के व्यवहार और विकास की दृष्टि से, उसका अलग सम्यक् स्थान है फिर भी जब राजस्थान को हिन्दी भाषा—भाषी क्षेत्र मान लिया गया है तो कोई दलील, कोई आधार प्रशासन के सामने नहीं है कि हिन्दी को प्रशासन की भाषा न मान लें और उस प्रशासन का अधिक से अधिक काम करने के लिए वह प्रयत्न न करे। लेकिन इधर तो राजस्थान हिन्दी भाषी क्षेत्र मान लिया है बिना किसी वैज्ञानिक दलील और आधार के तो मैं आपके जरिये राजस्थान सरकार को इस प्रकार की आग्रहपूर्वक सूचना देना चाहता हूं कि भाषा की दृष्टि से, संस्कृति की दृष्टि से, और साहित्य की रचना दृष्टि से यदि हम राजस्थान को निष्पक्ष दृष्टि से देखें तो यह शुद्ध और आधारभूत

Page No.42

(श्री जनार्दनराय नागर)

रूप में हिन्दी भाषा–भाषी क्षेत्र नहीं कहा जा सकता है। यह ठीक नहीं है कि राजस्थान हिन्दी भाषा–भाषी क्षेत्र है, अध्यक्ष महोदय, आज से १० वर्ष पूर्व जब यह प्रश्न तय हो रहा था कि देश की किन किन भाषाओं को संवैधानिक रूप से स्वीकार किया जाय तो राजस्थान के लिए राजस्थानी भाषा का आन्दोलन चल रहा था और राजस्थान के गण्य–मान्य साहित्यवेत्ता और भाषाविद् जो कि राजस्थान की बोलियों का समन्वय करके, उनका एकीकरण करके राजस्थानी को भाषा के रूप में विकसित करने के लिए, मैं यह कहना चाहता हूं, अपना आन्दोलन और प्रगति को चालू रखा। आज राजस्थान के उदीयमान कवि, उदीयमान लेखक और उदीयमान प्रतिभा, राजस्थान की बोलियों के समन्वय से एकसम्पूर्ण राजस्थानी भाषा के साहित्य के विकास में लगे हुए थे, तब यह आन्दोलन उठा और राजस्थान के लोगों ने कहा कि राजस्थान हिन्दी भाषा–भाषी क्षेत्र है और जब लोक सभा के अन्दर भाषाओं का सुनिश्चय हो रहा था कि देश की कितनी भाषाएं मानी जायं तब राजस्थान के लोक सभा प्रतिनिधियों ने राजस्थान को हिन्दी भाषा–भाषी राज्य स्वीकार कर लिया। जब यह भाषा आयोग हमारे यहां आया था तो हमने कहा था कि एक मूलभूत रूप से गलती देखी जाय। राजस्थान हिन्दी भाषा भाषी राज्य हो सकता है कि देश में राष्ट्रभाषा के वर्चस्व को राष्ट्रभाषा की दृष्टि से मान लेते हैं, लेकिन राजस्थानी जिस भाषा में घरों में बोलते हैं, माताओं के स्तन पान के साथ वह भाषा राजस्थान के नागरिकों के जीवन में आती है और अभिव्यक्त होती है, तो अध्यक्ष महोदय, निश्चित–रूप से कहा जा सकता है कि राजस्थान हिन्दी भाषा–भाषी क्षेत्र नहीं है। लेकिन अब चूंकि एक व्यवस्था हो गई है और हमने मान लिया है कि राजस्थान हिन्दी भाषा–भाषी क्षेत्र है तो फिर समझ में नहीं आता कि हिन्दी के प्रसार में, हिन्दी को लागू करने के लिए और हिन्दी द्वारा प्रशासन का कामकाज करने की दृष्टि से बहुत सारी किन्तु, परन्तु और चुनाचे की जो दलीलें हमारे सामने आती हैं, उनमें मैं समझता हूं कोई भी शक नहीं है कि कोई वैज्ञानिक आधार पर परिस्थिति की दलील और व्यवहार की दलील राजस्थान सरकार के पास नहीं है कि वे हिन्दी के द्वारा प्रशासन का काम काज क्यों न करें। मेरा ऐसा अनुभव है और मुझे मालूम हुआ है, अध्यक्ष महोदय, २, ३ दलीलें सरकार हमारे सामने देगी। एक दलील फाउन्टेनपेन की दलील है। अध्यक्ष महोदय, फाउन्टेनपेन की दलील ऐसी है कि उनको फाउन्टेनपेन से दस्तखत करने पड़ते हैं और अंग्रेजी में दस्तखत करने में फाउन्टेनपेन से ज्यादा सुविधा होती है। दूसरी दलील टाइप राइटर की दलील है। टाइप राइटर की दलील यह है कि हिन्दी में सम्यक् रूप से टाइप राइटर नहीं है इसलिए बोलना हो वह अंग्रेजी में होना चाहिए, क्योंकि उसमें टाइप राइटर की सुविधा बहुत है। तीसरी दलील मैं कहता हूं मानसिक गुलामी की दलील है। हम अंग्रेजी में विचार करें और अंग्रेजी के विचार के अनुकूल उसका हिन्दी में उल्था करें। अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों की मानसिक गुलामी इतनी है कि वे अंग्रेजी में सोचते हैं और लिखते हैं और जब हिन्दी में करते हैं तो उसके अनुकूल तत्सम रूप से उल्था कर देते हैं, इसलिए

(श्री जनार्दनराय नागर)

हिन्दी में कमी मालूम होती है। इन तीनों दलीलों को दूर करके और सम्भावना से हम देखें, वस्तु स्थिति को देखें तो राजस्थान जो कि निश्चित संवैधानिक रूप से हिन्दी भाषा भाषी प्रान्त है और यहां की घर की बोली जो हिन्दी के रूप में है, वह विदेशी भाषा के स्थान में सारे भारत में प्रतिष्ठित होनी चाहिए। हमारी घर की बोली का प्रचार मैं समझता हूं कि हमारे यहां इतना नहीं हुआ है कि जितना होना चाहिये, और इसमें शायद समय लगे। जयपुर से अगर आप दो मील दूर चले जायं, उदयपुर से आप ३ मील दूर चले जायं या किसी भी शहर से आप २, ३ मील की दूरी पर जायेंगे तो आपको एक आश्चर्यजनक तथ्य का पता लगेगा। वह तथ्य यह है कि आप जिस बोली में उनसे बात करने लगेंगे तो उनको अपनी ढूंढाड़ी में लोगों को समझाना पड़ेगा, क्योंकि वह उनकी अपनी घर की बोली है। हिन्दी उनकी अपने घर की बोली नहीं है। उदयपुर से कुछ दूरी पर आप चले जायेंगे तो आपको मेवाड़ी में बात करनी पड़ेगी। बीकानेर शहर से कुछ मील दूर पश्चिम में जाते हैं गांवों में तो वहां पर पश्चिमी मारवाड़ी में बात करनी पड़ेगी। जब हम अपने राजस्थान के घरों में, मैं समझता हूं हम ढूंढाड़ी बोलते हैं, पश्चिमी मारवाड़ी बोलते हैं, मेवाड़ी बोलते हैं, बागड़ी भाषा बोलते हैं और इधर पश्चिम की तरफ गुजराती और राजस्थानी मिश्रित सिन्धी बोली बोली जाती है। लाखों की संख्या को माता के स्तन से मिली हुई बोलचाल की भाषा को जो हमारे जीवन के व्यवहार में काम में आती है तो मेरी समझ में नहीं आता है कि अंग्रेजी में प्रशासन का अधिक से अधिक काम करते रहने की बात कहकर कि अंग्रेजी बड़ी सुविधाजनक है, प्रशासन में यह दुहाई देकर, प्रशासन से दूर एक सम्यक् रूप से यथाविधि वैज्ञानिक रूप से प्रक्रिया के साथ हिन्दी को प्रतिष्ठित किया जायेगा। यह कोई दलील नहीं है।

यह दलील जैसा मैंने कहा टाइपराइटर्स की सुविधा की दृष्टि से, फाउन्टेन पेन की चमक की दृष्टि से और अंत में मानसिक गुलामी की आदत की दृष्टि से दी जाती है। मुख्य मंत्रीजी ने अगले दिन यह कहा था कि राजस्थान के कर्मचारियों की मातृ भाषा हिन्दी है लेकिन मैं उनसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि अधिकांश कर्मचारियों की मातृ-भाषा राजस्थानी है। उत्तर प्रदेश से आने वाले कुछ कर्मचारियों की मातृभाषा हिन्दी हो सकती है, लेकिन उनकी भी भाषा ब्रजभाषा या भोजपुरी आदि है........

डॉ० चन्द्रकला : ये तो बोलियें हैं।

श्री जनार्दनराय नागर : हिन्दी का जो स्वरूप संगठित हुआ वह तो बोलियों के आधार पर हुआ है। हमारे देश में बोलियें अधिक हैं और हमारी राजस्थानी भी बोली के रूप में है और इन बोलियों से ही हिन्दी भाषा का प्रादुर्भाव हुआ है और कवियों, महाकवियों और साहित्यकारों ने इसको उन्नत दशा में रखा। विशुद्ध रूप से कई बोलियों से भाषा का रूप बना। इसलिए यह कहना कि राजस्थान की जनता की भाषा हिन्दी है, तथ्य से दूर होगा। उनकी मातृभाषा राजस्थानी है और इसी भाषा में उन्होंने साहित्य की रचना की है। यह कहना कि राजस्थानी बोली में साहित्य नहीं है, गलत है। लेकिन हम सबकी राष्ट्रभाषा हिन्दी है। जो राजस्थानी में बोलते

(श्री जनार्दनराय नागर)

हैं वे हिन्दी में भी बात कर सकते हैं।

अंग्रेजी के माध्यम से काम करने की बात करते हैं तो हमारे यहां पर दो-तीन कर्मचारी ऐसे हैं जिनकी मातृभाषा अंग्रेजो हो सकती है। अब राजस्थान में इन्तजाम की दृष्टि से, सहयोग की दृष्टि से और जनजीवन की भावना की दृष्टि से मैं यह कहना चाहता हूं कि राजस्थान को सर्वाङ्ग में हिन्दी भाषा-भाषी मानते हैं तो क्या असुविधा है? भाषा की वजह से हिन्दी को प्रशासन में नहीं लाना चाहते। सरकार कहती है कि कुछ विभागों में इस बात की व्यवस्था की है कि वे हिन्दी में काम काज करें। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उनकी आज्ञा का कोई पालन नहीं हो रहा है। चाहे वह शिक्षा विभाग हो, माल विभाग हो, चाहे सहकारिता विभाग हो चाहे सार्वजनिक निर्माण विभाग हो, जिन जिन विभागों के लिये सरकार ने आदेश जारी किया है कि उनका काम हिन्दी में होगा, मैं कहना चाहता हूं कि सरकार निश्चित रूप से जांच कर ले, आज वहां पर ५ प्रतिशत भी काम हिन्दी में नहीं होता है। हमारे यहां पर जनतांत्रिक युग में राज्य के काम काज में अंग्रेजी को अनिवार्य रूप में लाया जा रहा है। हमारे देश के प्रशासनीय क्षेत्र में ह्रास होता जा रहा है। हमें उससे सावधान होना है। यदि हम इससे सावधान नहीं होंगे तो मैं कहना चाहता हूं कि देश की लक्षाविधि जो जनता है वह निरंतर प्रशासन से दूर चली जायगी और उसके दूर रहने से जनतांत्रिक समाज व्यवस्था नज़दीक नहीं आ सकेगी। आज हिन्दी भाषा भाषी समस्त देश की जनताका प्रशासन के साथ दिल और दिमाग रहना चाहिये। लेकिन आज ८० प्रतिशत जनता जो केवल मातृ भाषा और बोलियां बोलती है उसको हिन्दी का भी इतना ज्ञान नहीं है। इस पर भी अंग्रेजी के ज़रिये आज प्रशासन का काम चलाया जा रहा है, इसलिये हर मिनिट, हर सेकन्ड और हर स्तर पर हमारा प्रशासन जनता से दूर चला जा रहा है। इसलिये अंग्रेजी के ज़रिये प्रशासन चलाने की बात मेरे दिमाग में नहीं आती। जो दूसरे देश स्वतंत्र हुए हैं क्या उन्होंने विदेशी भाषा के जरिये अपनी उन्नति की है? इसलिये आज हमारी जनता को विदेशी भाषा की दीवार बीच में लगा कर प्रशासन से दूर रखा जाय यह उसके साथ में न्याय नहीं है न यह केवल अन्याय है, बल्कि यह जनता के साथ में खिलवाड़ है। आज यह कहा जाता है कि हमारे प्रशासक वे लोग हैं जो हिन्दी में बोल नहीं सकते, जो हिन्दी में विचार नहीं कर सकते, जो हिन्दी में मिसविदा नहीं बना सकते तो फिर उनको जनतांत्रिक राज्य का अधिकारी होने का कौनसा अधिकार प्राप्त है? यदि वे राष्ट्र भाषा नहीं जानते, मातृ भाषा का व्यवहार नहीं कर सकते तो जन राज्य के अधिकारी होने का अधिकार उनको कैसे मिल सकता है? यह मिसाल हिन्दुस्तान में ही मिल सकती है। दुनिया के अन्य देशों में यह चीज़ नहीं चल सकती। वहां पर कोई अधिकारी यह कहे कि मैं मातृ भाषा नहीं जानता तो उसको एक अवधि दे दी जाती है कि इतने समय में तुम मातृ भाषा सीख लो वरना तुम राज्य के अधिकारी होने के अयोग्य हो। आप इंगलिस्तान को लीजिये, रूस को लीजिये, पूर्व एशिया और पश्चिम एशिया के देशों को लीजिये और उन जातियों को लीजिये जो आज स्वतंत्रता

(श्री जनार्दनराय नागर)

के लिये संघर्ष कर रही हैं। उनके संघर्ष का जो आह्वान है वह यह है कि स्वतंत्रता की चिनगारी के साथ साथ भाषा की चेतना की चिनगारी भी शुरू हुई। राजनैनिक क्षेत्र में बढ़ने के साथ साथ भाषा के क्षेत्र में भी वे लोग बढे। अन्य देशों की तरह भारत भी स्वतंत्र हुआ परन्तु प्रशासन में भाषा के प्रयोग के मामले में दलील दी जाती है कि हम अभी तक उसके लिये तैयार नहीं है तो फिर आप क्या करने को तैयार हैं। आत्महीन जाति का विकास मुझे पसन्द नहीं है। यदि हम अपने देश के प्रशासन की व्यवस्था अपनी भाषा में नहीं कर सकते, अपनी ही वाणी और विचारों के द्वारा देश का विकास नहीं कर सकते तो आत्महीन अनुकरण करने वाली बात होगी। आज हमने लगातार ४०० वर्षों से दूसरों का अनुकरण किया है। जिसने हमको जीता उसने हमको अपना वेश दिया उसने हमको अपनी भाषा दी जिसने हमको जीता उसी ने हमको अपनी संस्कृति दी।

इंगलैंड के प्रधान मंत्री कुछ दिन पहले भारत आये थे। इंगलैंड के प्रधान मंत्री का एक भोज में स्वागत किया गया, उसके उत्तर में, मुझे याद है मैंने अखबारों में पढ़ा था, इंगलैंड के प्रधान मंत्री ने समस्त भारतीय जाति के अभिवादन का उत्तर व्यंग भरी मुस्कराहट के साथ दिया और भारत की आज़ादी का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि हिन्दुस्तान को विरासत में हमने जनतंत्रीय परम्परा दी, वह न्याय व्यवस्था भी हमारी है जिस पर आप चल रहे हो, प्रशासनिक व्यवस्था भी हमारी है जिस पर आप चल रहे हो। अंग्रेज जाति स्वभाव से ही एक चतुर जाति है इसलिये उन्होंने यह नहीं कहा कि तुम हमारी भाषा को लेकर अपना प्रशासन चला रहे हो। आज हम कहने लगे हैं कि हमारा आत्म लाभ नहीं होगा यदि अंग्रेजी नहीं होगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि रूस ने अपना आत्म लाभ किया केवल ४० वर्ष में। हज़ारों वर्षों की वैज्ञानिक प्रक्रिया उन्होंने केवल ४० वर्षों में साधी। उन्होंने वैज्ञानिक क्षेत्र में इतनी उन्नति की कि उन्होंने दो स्पुतनिक ब्रह्मान्ड में भेजे और वैज्ञानिक क्षेत्र में उन्होंने ऊंचे से ऊंचा लक्ष्य प्राप्त किया। क्या इस सब में उन्होंने विदेशी भाषा की शरण ली थी? उन्होंने अपनी ही भाषा में अपनी इतनी उन्नति की। उन्होंने विदेशी भाषा का प्रयोग न करके अपनी ही रूसी भाषा में चेतना प्राप्त की और उसी के कारण वे ब्रह्मान्ड में अपने स्पुतनिक भेज सके और लक्ष्य प्राप्त कर सके।

हमारा देश दो हजार वर्ष पुराना या पांच सौ वर्ष पुराना नहीं है। हजारों वर्ष पुरानी हमारी सभ्यता है। हमारा देश सुन्दर और अत्यन्त रमणीय देश है। हमारी भाषाओं का कलख संसार के प्रतिनिध मंडल के कलख से कम नहीं है। गंगा और यमुना के प्रवाह के साथ हमारे साहित्य और संस्कृत का प्रवाह चलता है। मेरी मान्यता है कि जो देश विश्व की भाषाओं का जनक रहा है जो देश विश्व की भाषाओं को प्रभावित करता रहा उसी देश में आज जब स्वतंत्रता की पुर्नचेतना हुई तब लोग कहने लगे कि यदि हमारी भाषा में काम चलाया गया तो हमारा काम नहीं चलेगा और चलेगा तो गड़बड़ से चलेगा। हमारा काम इस भाषा में चले न चले, गड़बड़ से चले लेकिन हम गिरते पड़ते अपनी मंजिल को

श्री जनार्दनराय नागर)

पूरा इसी भाषा के द्वारा कर लेंगे । लेकिन यह नहीं हो सकता कि अंग्रेजी को लेकर हम आगे बढ़ें । आखिर जीवन क्या है और जाति क्या है । आत्महीन जीवन को लेकर चलने से फायदा क्या है ? इसलिये मुझे सरकार की दलील समझ में नहीं आती ।

अंत में मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि प्रशासन में हिन्दी को नहीं लाया गया तो एक दिन आने वाला है जब कि प्रचंड रूप से राजस्थानी भाषा के लिये आन्दोलन होगा । जो लोग हमारे यहां से लोक सभा में गये हैं उन्होंने जनता के साथ न्याय नहीं किया उन्होंने राजस्थानी भाषा के साथ न्याय नहीं किया । वे राजस्थानी भाषा के महत्व को नहीं पहचान सके । आपकी दलील आप ही को मुबारक हो । आप इसको लेकर चलें यह दुर्भाग्य की बात है । मजबूती के साथ देश को आपका मुकाबला करना पड़ेगा । आज यह कहा जाता है कि अंग्रेजी के माध्यम के बिना हम विज्ञान का विकास नहीं कर सकते ।

मैं आपकी साक्षी से एक चेलेंज आज देना चाहता हूं, आप अंग्रेजी की कोई इबारत लाइये, अंग्रेजी का कोई लेखन आप लाइये, उसका सम्यक् तरीके से हिन्दी में आलेखन न हो जाय, तो मैं कहना चाहता हूं, जो भी दंड आप देना चाहेंगे, मैं उसे भुगतने के लिए तैयार हूं । कोई यह कहे कि हिन्दी में अभिव्यक्तियां नहीं हैं, शब्द नहीं हैं, शब्दों की कमी हो सकती है लेकिन हमारे पास शब्द बनाने का अक्षय भंडार है, वह संस्कृत की धातु का भंडार है, और उनसे सारे संसार के नवीन से नवीन और उत्तम से उत्तम शब्दों को पारिभाषिक शब्दों को बनाने की हिम्मत हम रखते हैं क्योंकि संस्कृत बहुत ही वैज्ञानिक भाषा है । आज लोग संस्कृत को नहीं जानते हैं, संस्कृत की धातु उनके समझ में नहीं आती है, संस्कृत की प्रक्रिया से लोगों का परिचय नहीं और वे कह देते हैं कि अंग्रेजी में शब्द विन्यास है, अंग्रेजी में वाक्य विन्यास है, लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि अंग्रेजी में शब्द उधार लिये हुए हैं । आप अंग्रेजी का ५०० वर्ष का विकास देखें तो आपको पता चलेगा कि अंग्रेजी एक कन्विक्शन भाषा है, वैज्ञानिक भाषा नहीं है । आप अंग्रेजी के शब्द विन्यास को देखिये, वाक्य विन्यास को देखिये, आपको ज्ञात होगा कि यह कन्विक्शन के ज़रिये बनाई गई भाषा है, जर्मन, लैटिन आदि भाषाओं से अंग्रेजी ने शब्द लिये हैं, इसलिए अंत में मैं कहना चाहता हूं कि आप साहसपूर्वक हिन्दी को लागू कर दीजिये, मैं नहीं कहता कि आप १९५९ में हिन्दी को लागू कर दें, मैं कहना चाहता हूं कि हिन्दी जल्दी से जल्दी लागू हो सकती है, अगर आपने शीघ्र ही लागू न की, तो मैं समझता हूं कि राजस्थानी भाषा का दावा राजस्थान के क्षितिज पर उठ रहा है, अगर आपने हिन्दी को लागू नहीं किया तो पांच साल में १० साल में, यह मान कर चलिये, राजस्थान सरकार के सामने एक दावा आने वाला है और वह है राजस्थानी भाषा का दावा । आज राजस्थानी कवि और लेखक राजस्थानी भाषा के साहित्य निर्माण में लगे हुए हैं । इसमें संशय नहीं, कि यदि हिन्दी को लागू न करें, तो १० साल के बाद राजस्थानी भाषा को प्रशासन में लागू करने के लिए सोचना पड़ेगा । सत्य बात तो यह है, राजस्थानी भाषा राजस्थान में होनी चाहिए क्योंकि हमको उत्तर प्रदेश, जो हिन्दी भाषा भाषी है, से संयुक्त कर दिया गया, उत्तर प्रदेशीय

Page No.47

(श्री जनार्दनराय नागर)

साम्राज्य में संयुक्त कर दिया गया, मैं कहना चाहता हूं इससे हमारे दिल में दर्द है। मैंने हिन्दी के क्षेत्र में २० साल तक काम किया है और मैं जानता हूं कि उत्तर प्रदेश, जो हिन्दी साम्राज्यवादी है, में राजस्थान को स्थान दिया गया, क्योंकि हमारे यहां पर कोई विश्व-विद्यालय नहीं था और राजस्थान के विद्यार्थी उत्तर प्रदेश परीक्षा देने जाते थे। परिणाम यह हुआ कि राजस्थान हिन्दी भाषा भाषी प्रान्त है, यह निश्चय कर दिया गया है। इसमें क्या मुजायका है, इससे हमारे दिल में दर्द है। अध्यक्ष महोदय, मुजायका नहीं, हमारे दिल में दर्द है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि मेहरबानी करके आप हिन्दी को लाइये और सरकारी कर्मचारियों को आज्ञा दे दें कि वे एक साल के अन्दर हिन्दी सीख लें, ६ महीने में वे हिन्दी सीख लें। हिन्दी सीखना मुश्किल है, जो यह सोचते हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं कि हिन्दी बड़ी वैज्ञानिक भाषा है, आप इसके शब्द विन्यास को देखिये, भाषा विन्यास को देखिये। मैं दावे के साथ कहता हूं कि चीफ सेक्रेटरी मेरे पास आये हैं, मैं उनको हिन्दी तीन महीने में सिखा सकता हूं। (थम्पिग)। मैं वायदा करता हूं कि वे भूल जायेंगे कि जनता के राज्य में जनता की भाषा को रखने की बात उनके समझ में नहीं आती। अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी हिन्दी प्रेमी हैं, हिन्दी के उत्थान के लिए उन्होंने काम किया है, वे हिम्मत के साथ अपने शासन काल में ही हिन्दी को लागू कर दें, तो हिन्दी लागू हो सकती है अन्यथा नहीं हो सकती। मैं बड़ी नम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि आज विज्ञान की बात कह कर, शब्दों की, वाक्यों की, टाइप-राइट की बात कह कर देरी कर दें, लेकिन कुछ समय बाद राजस्थानी बोली का एक अवतार होगा, पांच साल, १० साल के बाद ऐसा समय आयेगा, जब राजस्थानी भाषा के कवि होंगे, गीत गाने वाले होंगे, लेखक होंगे और वे यह मांग करेंगे कि राजस्थान का प्रशासन राजस्थानी बोली में हो, राजस्थानी भाषा में हो, राजस्थान के विश्व विद्यालय में राजस्थानी भाषा के माध्यम से राजस्थान की आत्मा के आवरण को हटाया जाय। यदि आप राजस्थानी भाषा को बनाना चाहते हैं, तो मुझे खुशी होगी क्योंकि मैं नहीं मानता कि राजस्थान एक हिन्दी भाषा भाषी प्रान्त है। मैं इसे सिद्ध करने के लिए भी तैयार हूं और सिद्ध किया है आयोग के सामने। इस आयोग के अध्यक्ष, जो अब इस दुनियां में नहीं है, ने कहा कि हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास आंसू मौजूद हैं, लेकिन आपके प्रतिनिधि लोक सभा में क्या करते हैं। मैंने कहा कि हमारी आंखों में आंसू हैं, राजस्थानी की महिमा, चारण बन्धु गा सकते हैं। हमारे दिल में दर्द होता है कि राजस्थान के करोड़ों लोग की मातृभाषा को अपदस्थ कर दिया गया है लेकिन फिर भी एक हजार वर्ष पुरानी भाषा अपदस्त नहीं हुई है। राजस्थानी भाषा का ही रुप डिंगल और पश्चिमी मार-वाड़ी को बताया है. यह एक हज़ार वर्ष पुरानी भाषा है, जिसका निरन्तर विकास होता रहा है। संस्कृत भाषा के पश्चात् डिंगल या पश्चिमी मारवाड़ी ही ऐसी भाषा थी, जिसने गद्य का विकास किया। आज का गद्य २०० वर्ष से अधिक पुराना नहीं है, लेकिन डिंगल और पश्चिमी मारवाड़ी का गद्य ६०० वर्ष पुराना है। हमें यह मानना पड़ेगा कि समाज की प्रान्त की जो भाषा है, उसकी अहमियत को महसूस न करके, जो स्वाभाविक भाषा है, उसको अपदस्थ करके चलें, तो मैं समझता

Page No.48

(श्री जनार्दनराय नागर)

हूं कि यह ठीक नहीं है। मैं, इसलिए अंत में कहना चाहता हूं कि यह कोई, दो चार, पांच आदमी की सुविधा को ध्यान में रखने का सवाल नहीं है। अगर कोई व्यक्ति कहे कि अंग्रेजी चली जायेगी तो क्या होगा? मेरा निवेदन है, इतनी व्यवस्थायें हुई, इतने धर्म हुए वे समय के साथ बदल गये। हम व्यक्ति के विचार से न सोचें। हम सोचें कि हो गया सो हो गया, अब भी वैसे ही चलें तो खराब हालत में चले जायेंगे। हमें आजादी की हालत में रहना चाहिए।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

हमारी आत्मा की आजादी का सवाल है, आजादी के शब्द को तथा कथित दलीलों से नहीं भुला सकते। हुक्म दे दीजिये, मुख्य मंत्री जी, आप कह दीजिये कि एक साल के अन्दर हिन्दी को सीख लीजिये, नहीं तो नौकरी से हाथ धोइये। हिन्दी को छः महीने में नहीं, तीन महीने में सिखाने के लिए मैं वायदा करता हूं, वे हिन्दी सीख कर खुश हो जायेंगे क्योंकि हिन्दी के अन्दर हमारी मां का दूध है, हिन्दी के अन्दर पत्नि का प्रेम है और मित्रों का मित्र भाव है। हिन्दी में क्या नहीं है? हिन्दी में सब कुछ है। हिन्दी में ही हमारे देश का भविष्य है।

श्री अध्यक्ष : रावराजा श्री सरदारसिंह।

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : अध्यक्ष महोदय, मावली से आने वाले माननीय सदस्य ने जो हिन्दी के लिए प्रस्ताव रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूं।

(हंसी)

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़): मावली से आने वाले सदस्य ने प्रस्ताव नहीं रखा है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : जो प्रस्ताव श्री जगदीशप्रसाद जी ने रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूं। माननीय अध्यक्ष, इसमें दो राय नहीं हो सकती कि हिन्दी अपनी मातृ भाषा है। राजस्थान में मेवाड़ी भाषा बोली जाती है और सब बोली बोली जाती है। तो हिन्दी भाषा इतनी सरल होनी चाहिए, जिसमें सभी भाषाओं का समावेश हो। मतलब यह है कि उसमें ऐसे बड़े शब्द नहीं होने चाहिए, जो आज कल हिन्दी में हैं, जैसा हिन्दी में अनुवाद किया जाता है। मसलन जैसे रेल विभाग के अन्दर सिगनल कहते हैं, उसके लिए हिन्दी में कहा गया था, यातायात गमनागमन सूचक यंत्र....

श्री बहादुर सिंह (धौलपुर): यह गलत है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : यह गलत नहीं है, साहब। इसको गांव वाले कैसे समझ सकते हैं। इसी तरह लैटर बौक्स के लिए है पत्र-भक्षक। इसलिए जो हिन्दी भाषा होनी चाहिए, वह ऐसी सरल भाषा होनी चाहिए जिसको ६० प्रतिशत देहाती लोग समझ सकें। इस वक्त मैं आपसे निवेदन कर देना चाहता हूं कि हमारे ऑफिसर जितने इलाकों में दौरा करते हैं वे न तो काश्तकारों की जबान को जानते हैं और न काश्तकार उनकी बात को समझते हैं। उनके जो कार्यकर्त्ता होते हैं, वे आमा-सामा (आमने-सामने) समझाते हैं। मेरा सुझाव है कि पटवारियों की ट्रेनिंग, तहसीलदार और नायब तहसीलदारों की ट्रेनिंग, आई. ए. एस. की ट्रेनिंग, आर. ए. एस. की ट्रेनिंग होती है, उसमें आप अनिवार्य कर दीजिए कि राजस्थान की सेवा के लिए हरएक को परीक्षा देनी होगी और उसमें हिन्दी अनिवार्य होगी।

Page No.49

(श्री बहादुरसिंह)

हिन्दी के साथ ही साथ जिस भाग में वे नौकरी करते हैं, उस भाग की भाषा जानना भी आवश्यक होगा। यह सुझाव मैं आपको देता हूं और मैं आपसे निवेदन कर देना चाहता हूं कि आज हिन्दी भाषा नहीं होने की वजह से, आज जो ८० प्रतिशत हिन्दी जानने वाले हैं, वे अन-एम्पलायमेंट होने की वजह से मारे मारे फिरते हैं। वे कहीं नौकरी के लिए दरख्वास्त देते हैं तो उनसे पूछते हैं कि तुम अंग्रेजी जानते हैं, कहां तक पढ़े हुए हो, कौनसी डिग्री है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो हिन्दी में विचार प्रगट कर सकते हैं हिन्दी में बयानात दे सकते हैं। जो अंग्रेजी नहीं जानते हैं वे अगर अंग्रेजी में कोई प्रार्थना पत्र टाइप कराते हैं तो वे कहते क्या हैं, और दूसरा व्यक्ति लिखता क्या है? इस तरह की डिफीकल्टी होती है। इसलिए मेरा निवेदन है कि हिन्दी को अपने यहां अनिवार्य करके इन्ट्रोड्यूज कर देना चाहिए। इसके साथ ही यह कह दें जो देहाती लेंगवेज है, वहां जितने कर्मचारी जाते हैं, उनके लिए अनिवार्य करदें, कि जो पटवारी से लेकर ऊपर तक परीक्षा में बैठें, उनके लिए यह हिदायत कर दें कि राजस्थान के जिस भाग में वे ओहदे पर नौकर रखे जायेंगे, उस हल्के की भाषा को सीखना, उनके लिए अनिवार्य होगा।

(अनेक सदस्यों के एक साथ बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायण वर्मा।

श्री रामनारायण वर्मा (पीपलदा) : अध्यक्ष महोदय, सीकर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संकल्प प्रस्तुत किया है कि १९५९ के अन्त तक सारा काम काज हिन्दी में हो, उसका मैं समर्थन करता हूं। इस पर काफ़ी विचार विमर्श हो चुका है और सभी माननीय सदस्यों ने इसका अनुमोदन किया है। कई माननीय सदस्यों ने अंग्रेजी के राग और गीत भी गाये हैं पर यह राग बिलकुल बेसुरा सा प्रतीत होता है। क्योंकि स्वराज्य के बाद हमारे देश में हिन्दी भाषा को अंग्रेजी का स्थान मिलना चाहिये और शीघ्र ही यहां से अंग्रेजी विदा हो जानी चाहिये। पर अभी १० साल के करीब हो गये पर हिन्दी को जो स्थान मिलना चाहिये था, वह नहीं मिला है। यद्यपि इस दिशा में कदम उठाये जा रहे हैं, पर हमारी गति बड़ी धीमी गति है, यदि उस गति से चले तो हमें हमारे लक्ष्य तक पहुँचने में काफ़ी समय लगेगा। अंग्रेजी के कारण हमारे देश की आत्मा अभी दबी हुई सी है। और जब तक अंग्रेजी यहां रहेगी यहां की जनता पूर्ण अंधेरे में रहेगी। क्योंकि अभी तक दो फ़ी सदी लोग ही अंग्रेजी को जान सके हैं, बाकी लोग अपना काम काज हिन्दी में करते हैं, इस लिये यहां की अधिकांश जनता नहीं समझ पा रही हैं। इसलिये मेरी मांग है कि यहां की भाषा हिन्दी होनी चाहिए। राजस्थान का सारा काम काज हिन्दी में होगा तो अधिकांश जनता समझ सकेगी और इसमें सभी का कल्याण होगा। इसलिए मैं मांग करता हूं कि हिन्दी को १९५९ के अन्त तक यहां लागू कर देना चाहिये।

(अनेक सदस्यों के बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष : श्री हीरा।

श्री हीरा (कुशलगढ़) :

माननीय अध्यक्ष, आज हमारे देश की भाषा पर वाद विवाद हो रहा है और माननीय सदस्य ने इस सम्बन्ध में जो संकल्प रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं, पर उन्होंने इसके लिए अवधि बढ़ा दी है उसके लिए उनसे और सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे देश हिन्दुस्थान में अंग्रेज लोग, विदेशी लोग मेहमान तरीके से आये और विदेशी सरकार ने हमारे देश पर कब्जा कर लिया था और उनकी भाषा को यहां ज्यादा से चला कर सारे हिन्दुस्तान के लोगों को अपनी तरफ़ करना चाहते थे, उनको देख कर, उन्हीं के सहारे चलने वाले कुछ लोगों ने उनका सहारा लेकर हमारी अधिकतर जनता को गुलाम बनाने की कोशिश की और इस कोशिश में रहे, पर आज हम हमारे देश के सामने देख कर अपने स्वार्थों को छोड़ कर उस तरफ़ नहीं जा सके। क्योंकि हमारी ६० प्रतिशत जनता अंग्रेजी को नहीं जानती। १० प्रतिशत लोग अंग्रेजी को जानने वाले हैं पर १० पर्सेंट लोग अंग्रेजी, विदेशी भाषा की आड़ में ६० प्रतिशत जनता का खून चूसने के लिये, उनकी आड़ रख कर हमारे देश में अपना मतलब करना चाहते हैं, अपना मतलब कर रहे हैं। नहीं तो हमारा देश आज़ाद हुआ था, अंग्रेजों को हटा दिया था तो हमारी भाषा को यहां लागू करना चाहिये था, अंग्रेजी भाषा का यहां प्रयोग करने की कोई बात नहीं थी, क्योंकि उन्होंने आकर हमारे देश की जनता को गुलाम बना लिया था उसी को हम लोग बोलते रहें, उसी में हम लोग काम करते रहें और १० पर्सेंट लोग उसी के अनुसार हमारे देश को चलाते रहें, अपने स्वार्थ की खातिर, यह अब हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन १० पर्सेंट लोगों का अंग्रेजी में यह स्वार्थ है कि यदि हमारे देश में हमारे देश की भाषा हिन्दी लागू हो जाय, और हिन्दी में सब कारोबार होने लग जायं तो सारी जनता उस काम को समझ लेती है, जान लेती है और हमको दुनियां को अन्धा बनाने का मौका नहीं मिलता और गरीब जनता को अन्धा बना कर के हम हमारे स्वार्थों की खातिर उनकी गाढ़ी कमाई का पैसा बटोरना चाहते हैं, वह फिर नहीं हो सकेगा।

आज बहुमत का ज़माना है, बहुमत की राय मानी जानी चाहिये, ६० प्रतिशत जनता अंग्रेजी नहीं जानती है, व १० पर्सेंट लोग जो अंग्रेजी जानते हैं, ६० प्रतिशत जनता को अपनी मुट्ठी में बन्द करके अपनी इच्छा के अनुसार नचाते हैं। देश की बात छोड़ दें हमारी विधान सभा की बात लेकर, हमारे सदस्यों के सामने रखना चाहता हूं। आज हमारी विधान सभाओं में २५ प्रतिशत लोग अंग्रेजी पढ़े लिखे हुए हैं। जिनको अंग्रेजी ही आती है, हिन्दी नहीं आती उनके लिये मैं नहीं कहता कि वे ऐसा क्यों करते हैं अंग्रेजी में क्यों बोलते हैं, वे मजबूर हैं तो बोल सकते हैं पर जहां तक माननीय सदस्य हिन्दी में बोलते हैं, कार्यवाही करते हैं, जन-लेखा समिति, महालेखा समिति, ऑडिट रिपोर्ट में सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट में सारे के सारे विवरण अंग्रजी में होते हैं, जिसको सभी माननीय सदस्य नहीं समझ सकते। कुछ को छोड़ कर अधिकांश माननीय सदस्यों को आप पूछ लीजिए कि वहां क्या क्या कार्यवाही होती है, रकम जायज खर्च होती है, या नाजायज खर्च होती है, यह अभी आप पूछ लीजिये, उनको अनुभव नहीं है, मुझे भी मालूम नहीं है। एक तरफ़ तो राजस्थान का राज्य चलाने के लिये १७६ सदस्य खड़े

Page No.51

(श्री हीरा)

हुए और दूसरी तरफ उनको वकील खड़े करने पड़ते हैं, यहां से जो भी बिल जाते हैं, उनके बारे में वकीलों से राय लेनी पड़ती है कि इस बिल में क्या है। अगर हमारी गवर्नमेंट को ऐसी कार्यवाही करनी थी, अंग्रेजी भाषा को, विदेशी भाषा का, यहां पर प्रयोग में लाना था तो शुरु से विधान सभा के सदस्यों के लिये अंग्रेजी पढ़ाई का माप दण्ड रख देते कि जो अंग्रेजी जानते हैं वे ही मेम्बर हो सकते हैं, तब तो सब समझ सकते थे और फिर भी हम जबरदस्ती विधान सभा में आ गये होते और उस हालत में हमारी राय नहीं लेते तो हमें कोई आब्जेक्शन नहीं होता। पर हमारे संविधान में सब लोगों के लिये बराबर का अधिकार रखा है, फिर भी हमारे साथ विश्वासघात हो रहा है, सारी रिपोर्ट अंग्रेजी में होती जा रही है, हम में से ज्यादा लोग पूरी तरह से नहीं जानते कि किस किस विभाग में क्या क्या खर्च हुआ।

हिन्दी में विवरण बता देते हैं तो जायज़ और नाजायज खर्च का सवाल आ कर पड़ता है, जनता की गाढ़ी कमाई का धन मुफ्त में बटोरने का इन १० पर्सेंट लोगों को मौका नहीं मिलता। इसलिये अंग्रेजी की आड़ रख कर धन बटोरना चाहते हैं, सेवा नहीं करना चाहते, अगर सेवा करना चाहते हैं तो अंग्रेजी को हटाना चाहिये। विदेशों में जायं तो अंग्रेजी में कार्यवाही करें, किसी रिश्तेदार को देश विदेश में चिट्ठी पत्री लिखें तो अंग्रेजी में लिखें, इसके लिये हम मना नहीं करते पर हिन्दुस्थान में ३६ करोड़ जनता में से केवल ५, ४ लाख लोग अंग्रेजी जानते हैं और वे लोग ३६ करोड़ जनता को हथेली में नचा रहे हैं और जनता को मालूम नहीं कि ये लोग क्या कर रहे हैं, जहां तक अंग्रेजी को पढ़ने पढ़ाने का सवाल है आप अपने स्वार्थों के लिए जो चाहें कर लिया करें पर हम हिन्दुस्थान के निवासी हैं, हम यहां अंग्रेजी का प्रयोग करना नहीं चाहते, विदेशी भाषा को अंग्रेजी भाषा को हिन्दुस्थान से हटायेंगे और फिर हटायेंगे, इतनी हम में हिम्मत है।

जो हमारी विधान सभा में संकल्प रखा गया है कि १९५९ के अन्त तक हिन्दी में काम—काज होना चाहिये उसके बारे में, मैं तो यह कहूंगा कि हमें तत्काल हिन्दी में काम-काज शुरू कर देना चाहिये।

१० म० पू०

हमें तत्काल विधान सभा की कार्यवाही हिन्दी में मिलनी चाहिये। लेकिन अभी तक एक साल होने को आया है, हिन्दी में विधान सभा की कार्यवाही नहीं दे रहे हैं। अगर आप अंग्रेजी में ही काम करेंगे तो अंग्रेजी बहुत कम लोग जानते हैं और आपको मालूम होगा कि कितने ही अनपढ़ लोग हैं, उनको चाहिये कि अपना त्यागपत्र दे कर चले जावें। हम यहां पर १२।। रू० रोजाना लेने के लिये नहीं आते हैं। हम कमाना जानते हैं और हम में से बहुत से व्यापारी हैं तो कोई किसान है। हमको कमाना याद है। हम केवल पैसे लेने के लिये और यहां पर बैठने के लिये नहीं आये हैं। लेकिन हम आये हैं अपनी जनता की रक्षा के लिये। अपनी जनता को सफल बनाने के लिये और देश को ऊंचा उठाने के लिये, सेवा करने के लिए आये हैं और हम चाहते हैं कि हमारा देश आगे बढ़े और स्वतन्त्रता का लक्ष्य पूरी तरह से सफल हो। हम यहां पर

(श्री हीरा)

इसलिये नहीं आये हैं कि हम यहां पर गूंगे बन कर बैठे रहें और पांच या १० अंग्रेजी जानने वाले जो कुछ भी करें, करते रहें और हम उनकी हां में हां करलें। यदि हम ऐसा करते हैं तो हमारे स्वराज्य को खतरा है और पार्टी या संस्था को खतरा है। यह नहीं कि हम यहां पर बैठे हुए १७६ सदस्य हैं, किसी बात को हां कर लें। अगर ऐसा करते हैं तो हमारी ११ करोड़ पब्लिक को हम धोखा दे रहे हैं और उसको मिट्टी में मिलाने की बात हो रही है। इसलिये यदि आपको पब्लिक के भावनाओं के आधार पर राज्य चलाना है और जनता और देश को ऊंचा उठाना है तो हम और आप जनता की भावना को समझें और जो कुछ यहां पर, किया जा रहा है उसको समझ कर अपनी राय पेश करेंगे तो उचित होगा और तभी हमारा देश आगे बढ़ सकता है। नहीं तो पार्टी या ग्रुप के आदेश रख दिये जावें और जो कुछ ग्रुप का आदेश हो उसके अनुसार मेज दें। वरना किसी भी हालत में हमको विदेशी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिये। अभी एक जगह हमारे पंडित नेहरुजी ने परसों के भाषण में कहा है कि हमारे यहां हिन्दुस्तानी और हिन्दी में काम होना चाहिये और एक दिन पार्लियामेंट में भी प्रश्न उठाया था, उस समय नेहरुजी ने कहा था कि माननीय सदस्य को हिन्दी में बोलना चाहिये और सवाल और प्रश्न हिन्दी में ही रखना चाहिये। हम लोग जो यहां पर बैठे हुए हैं उनमें से बहुत से अंग्रेजी नहीं समझने के कारण मजबूर हैं, अपनी राय देने को। जिस समय हम कहते हैं उस समय हमें डाट दिया जाता है। हम यहां पर डाट खाने के लिये नहीं आये हैं। हम तो जनता का प्रतिनिधित्व करने के लिये आये हैं। हम किसी बात को नहीं जानते और समझते, तो हम तो १८ वक्त पूछेंगे कि हमारे समझ में नहीं आई। ऐसी बात नहीं कि गुलामों की तरह हम प्रतिनिधि होने के नाते भी खड़े रहेंगे। यदि हमें देश की सेवा करनी है तो ऐसा नहीं करना चाहिये और यदि ऐसा ही करेंगे और खड़े रहेंगे तो हमारे देश की सेवा नहीं हो सकती। अगर हमें देश की सेव करना है तो हिन्दी में सब काम होना चाहिये।

आप जानते हैं कि व्यापारियों और गरीब लोगों में आपस में झगड़े होते हैं। ये दोनों अनपढ़ होते हैं और सारी अदालती कार्यवाही अंग्रेज़ी में होती है। व्यापारी को मालूम नहीं होता कि क्या हो रहा है और न गरीब को मालूम होता कि उसके मामले में क्या हो रहा है, क्योंकि दोनों ही अनपढ़ होते हैं। जिस समय वकील से पूछता है कि मामले में क्या हो रहा है तो वकील उनको समझा देता है कि तेरे मामले में अभी ठहर जा ठीक हो रहा है। अगर कुछ भी नहीं होने वाला है फिर भी वह वकील तो यही कहेगा कि तेरे मामले में ठीक हो रहा है। वह तो गरीब के पैसे बटोर लेता है और गरीब कुछ समझ नहीं पाता क्योंकि कार्यवाही अंग्रेजी में होती है। यह गरीबों की हालत होती है और वह इसीलिये कि वे पढ़े लिखे नहीं होते और अंग्रेजी जानते नहीं। वरना सभी लोग यह तो जानते ही हैं कि हमारा झगड़ा वास्तव में क्या है। सब लोग झगड़े को तो जानते ही हैं मगर अंग्रेजी नहीं जानते इसलिये जो कार्यवाही अदालतों में होती है उसको समझने में मजबूर होते हैं। कोर्ट वालों को और मजिस्ट्रेट को रिश्वत देनी होती है। अंग्रेज़ी नहीं जानने के कारण हमारा देश गड्ढे में जा रहा है।

(श्री हीरा)

(घंटी)

२०००रु० का केस होता है और उसमें अदालत में जाने पर उस व्यक्ति को २।। हजार रुपये खर्च हो जाते हैं। ऐसी हालत में जब कोई इसके लिये बोलने के लिये खड़ा होता है या अंग्रेजी का विरोध करता है तो आप मज़ाक उड़ाते हैं। या तो हमारे ऊपर राजनैतिक प्रतिबन्ध हो या हम अपने निजि स्वार्थ के कारण ऐसा करते हैं। तो आप करें लेकिन उसमें हम सबों को शामिल मत कीजिये। यदि आपको हमें शामिल करना है तो हमारी राय लेकर काम करें। हम नहीं कहते कि आप घर घर राय लेने जावें। घर घर राय लेने के लिये नहीं जावेंगे, लेकिन जो कुछ चीज हमारे सामने यहां पर आए, वह हिन्दी में होनी चाहिये। जो बिल और कागज हमारे सामने आए या हमें मिले, वे हिन्दी में मिलने चाहिये नहीं तो यह नहीं कह सकते कि सब को समझाया है। इसलिये अगर सब को समझाना है तो सारे बिल आदि हिन्दी में देने चाहियें।

दूसरी बात माननीय सदस्य ने रखी और उसे वापिस ले लिया। मैं समझता हूं कि हमारे राजस्थान में लागू करने या पाकिस्तान में लागू करने के लिये कुछ समझ में नहीं आया, इसलिये मैं बोलने वाला था। क्या मालूम कहां पर लागू होगा। इसलिये कोई भी बात यहां पर रखी जावे, उनको भी समझाकर रखनी थी। ऐसी हालत में एक बिल, किसी विषय में हजारों और लाखों लोगों पर आप लागू कर रहे हैं और उसमें पांच आदमी अपनी मनमानी करते हैं और जिस समय उनको कहा जाता है, तो कहते हैं कि इसको जनता में प्रचार कर लेते हैं और उसको अंग्रेजी में निकाल देते हैं। ऐसी हालत में मैं यह कहूंगा कि ये पांच दस व्यक्ति सारी पब्लिक को अपनी हथेली में पकड़ कर नचाना चाहते हैं। मगर अब ऐसा जमाना नहीं है कि वे जनता को अपनी हथेली में रखकर नचावें। हमें आजादी के बाद सारी बातों को आगे बढ़ाना चाहिये और देश को आगे बढ़ाना चाहिये और राज्य को ठीक तरह से चलाना चाहिये जब सब की राय हो तभी स्वतन्त्रता मानी जाती है। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि स्वतन्त्रता के युग में हमारे यहां पर सारा काम हमारी राष्ट्र भाषा में शुरू कर दिये जावें। यदि सरकार ऐसा नहीं करेगी तो कोई झगड़ा पैदा होगा तो पब्लिक की इसमें जवाबदारी नहीं होगी। राजस्थान सरकार की जवाबदारी होगी। आप जानते हैं कि अंधा तो जरूर कहेगा कि मुझे रास्ता बताओ और आपको अंधे को रास्ता बताना होगा। आप भले ही एक चीज को पकड़ कर रखें। फिर भी आपको आंख के अन्धे को तो रास्ता बताना ही होगा। अंधे को रास्ता नहीं दिखाई देता है। यदि आप अन्धों को सजा देते हैं तो उनको सजा देने से अंधे की आंख तो खुलने वाली नहीं है।

इसलिये मैं खास तौर से सदन से निवेदन करूंगा कि इस सम्बन्ध में हम आज तय कर लें और मैं समझता हूं कि इससे गरीबों को बहुत फायदा होगा। यदि आप यह समझ कर काम करेंगे कि हम ही हम हैं तो यह स्वतन्त्रता स्वतन्त्रता होगी और आप इस तरह से स्वतन्त्रता को डुबोने जा रहे हैं। इसलिये जितने हम एम. एल. ए. हैं और मिनिस्टर हैं उनसे मैं आशा करता हूं कि आप स्वतन्त्रता को नहीं डुबोवेंगे और अगर

(श्री हीरा)

आप ऐसा करेंगे तो पब्लिक अपनी आवाज उठावेगी। इसलिये मेरा तो यही निवेदन है कि राष्ट्र भाषा में सब कार्य हो और यदि जोश में मैंने कुछ कह दिया है तो आप इसे बुरा मत मानिये। पब्लिक के हित में विचार करें।

श्री पुरूषोत्तम लाल, (किशनगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव हिन्दी के बारे में हमारे सामने आया है और जो संशोधन डा. बहादुरसिंह ने रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान हिन्दी भाषा भाषी क्षेत्र है इसमें दो राय नहीं हो सकती। एक माननीय सदस्य ने कहा है कि राजस्थान राजस्थानी भाषा का क्षेत्र है। मैं इस सम्बन्ध में बताना चाहता हूं कि राजस्थान की कोई भाषा नहीं है। राजस्थान में कोई राजस्थान की भाषा नहीं पढ़ाई जाती और न कोई इसकी लिपि है। बोली अलग अलग हो सकती है। कहीं मेवाड़ी, कहीं ढूंढाड़ी और मारवाड़ी आदि अलग अलग बोली हो सकती है। इसलिये यदि हम कहीं कहें कि राजस्थान की कोई भाषा है तो राजस्थान की कोई अलग भाषा नहीं है राजस्थान हिन्दी भाषा का क्षेत्र ही कहा जा सकता है और इसी को भारत सरकार ने भी माना है कि राजस्थान हिन्दी भाषा का क्षेत्र है। इसलिये हमारे यहां राजस्थान भाषा का उपयोग नहीं है। आज हम सैकड़ों वर्षों से हिन्दी में काम करते आ रहे हैं और ऐसी हालत में यह कहना कि राष्ट्र भाषा का अन्दोलन होगा तो यह उपयुक्त नहीं होगा। हम देखते हैं कि राजस्थान में पहले बड़ी बड़ी और छोटी छोटी रियासतें थीं। उनमें हिन्दी में ही अधिकतर काम होता था और यहां तक कि न्यायालयों में भी हिन्दी का प्रचार था। किशनगढ़ में हाईकोर्ट के जज को २००) रु० रोज वेतन व भत्ता मिलता था वह भी स्थानीय व बाहर से आनेवाले वकीलों से कहता था कि हिन्दी में ही आप आरगूमेंट करीये। इस प्रकार सारी रियासतों में हिन्दी में ही प्रशासन चलता था और हिन्दी ही राजकीय कार्यों में सुचारू रूप से चलती थी। इसलिए आज हम यह कहें कि हमारा प्रशासन हिन्दी में नहीं चल सकता और दिक्कतें पैदा होंगी, तो मैं कहूंगा कि यह कहना उचित नहीं हो सकता।

एक तरफ से हम यह कहें कि राष्ट्र भाषा हिन्दी मान ली गई है, राष्ट्र की भाषा हिन्दी है और हिन्दी राष्ट्र भाषा होते हुए, अगर हम राजस्थानी, राजस्थान प्रदेश की भाषा भी हिन्दी होते हुए, हिन्दी में अपना राजकीय काम काज नहीं चला सकते तो इससे ज्यादा शर्म की बात और कोई नहीं हो सकती है। आज हिन्दी भाषा भाषियों पर यह ज़िम्मेदारी है कि वे अपने प्रशासन में हिन्दी भाषा को पूर्णरूप से प्रचलित करें। आज हम देखते हैं कि उत्तर दक्षिण में जो बड़ा भारी झगड़ा इस प्रश्न को लेकर चल रहा है। वे दक्षिण वाले यह कहते हैं कि जो राज्य हिन्दी भाषा भाषी हैं, यदि वह ही प्रशासन का कार्य हिन्दी में नहीं चला सकते हैं तो हम कैसे चला सकते हैं। ऐसी स्थिति में जब हम दावा करते हैं कि हमारा क्षेत्र हिन्दी भाषा भाषी क्षेत्र है तब हमारा यह कर्तव्य हो जाता है। कि हमें यथाशीघ्र अपने क्षेत्र में प्रशासन के कार्य हिन्दी में सुचारुरूप से चलाने का प्रयत्न करना चाहिए और राज्य सरकार के लिए यह अनिवार्य होना चाहिए कि जितना जल्दी हो सके प्रशासन का कुल कार्य हिन्दी चलाये। सन् ५६ की जो मयाद रखी गई है उसका थोड़ा विरोध मैं इसलिए करता हूं कि

(श्री पुरुषोत्तमलाल)

मियाद के बारे में ऐसी स्थिति है कि प्रशासन में ऐसे व्यक्ति भी हैं, जो हिन्दी नहीं जानते एक माननीय सदस्य ने कहा कि वे तीन महीने में, एक व्यक्ति को हिन्दी पढ़ा सकते हैं। लेकिन प्रश्न यह है कि सैंकड़ों ऐसे हैं जिनको हिन्दी नहीं आती है। हिन्दी में खाली बोलने का सवाल नहीं है। इसलिए डा० बहादुरसिंहजी ने जो प्रस्ताव रखा है कि यथाशीघ्र हिन्दी भाषा को लागू करना चाहिए, मैं उसका समर्थन करता हूं। हमारे राजस्थान की जनता १०. १२ पर्सेंट ही ऐसी है जो पढ़ी लिखी है और उसमें एक दो पर्सेंट अंग्रेजी के जानकार होंगे जो कि अच्छी तरह से अंग्रेजी जानते होंगे। ऐसी स्थिति में जो हिन्दी भाषा-भाषी क्षेत्र हैं वहां यदि अंग्रेजी में प्रशासन का कार्य चलता रहे और जहां अच्छी अंग्रेजो भी जानने वाले ज्यादे नहीं हैं वहां कार्य अंग्रेजी में हो तो यह उपयुक्त नहीं है। इसलिए हिन्दी भाषा-क्षेत्रों पर यह बड़ी भारी ज़िम्मेदारी है कि अंग्रेजी को अपने प्रशासन के कार्य से शीघ्र से शीघ्र हटायें यह हमारा परम कर्त्तव्य है। जो हम हिन्दी भाषा-भाषी क्षेत्र के राज्य हैं, उनके राजकीय प्रशासन में यदि हिन्दी में कार्य चलाया जाय तो हमारा अधिक भला हो सकता है। हम हिन्दी भाषा-भाषी क्षेत्रों पर इसलिए भी अधिक जिम्मेदारी है, क्योंकि हम हिन्दी में काम सुचारु रुप से चला सकते हैं लेकिन यदि उसके बावजूद भी हम अंग्रेजी में काम चलाते रहे हैं **तो** जो उत्तर दक्षिण में इस बात को लेकर झगड़ा चल रहा है, दक्षिण वाले यह बात कह सकते हैं कि जब आप ही हिन्दी में प्रशासन कार्य नहीं चला सकते हैं तो हम हिन्दी में कैसे चला सकते हैं और हम दक्षिण वालों को भी नहीं कह सकते कि आप हिन्दी में काम चलाओ। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार से कहना चाहता हूं कि यथाशीघ्र हिन्दी को पूर्ण रुप से लागू किया जाय।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : अध्यक्ष महोदय, जो संकल्प, माननीय श्री जगदीश प्रसाद माथुर ने रखा है, उसके समर्थन में दो शब्द कहना चाहता हूं।

इस विषय पर काफी लोग विचार प्रकट कर चुके हैं। पर मैं ऐसा मानता हूं कि हमारा देश गणतंत्र है और हमारे देश के लिए, हमारी व्यवस्था को चलाने के लिए, जनतन्त्र को अपना उसूल बनाया है और जिस उसूल को लेकर हम आज चल रहे हैं उस पर पहुँचने के लिए हमें बुनियादी तौर पर कुछ बातें माने करनी पड़ेगी, तब जाकर जिस गणतन्त्रीय राज्य की कल्पना की थी, उसमें सफल हो सकेंगे। महात्मा गांधी ने अपने विचारों में एक बार लिखा है कि हमारा देश सच्चा आज़ाद तब ही माना जावेगा। अपने स्वराज्य की कल्पना में, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जब देश का हर एक व्यक्ति यह महसूस करेगा कि राज्य चलाने में मेरा हाथ है, तब ही मैं समझूंगा कि हमारा देश आजाद हुआ, स्वराज्य प्राप्त किया। हर एक व्यक्ति यह महसूस करेगा कि राज्य चलाने में **मेरा** हाथ है यह व्याख्या महात्मा गांधी ने स्वराज्य की की, थी। जहां तक प्रशासन, राज्य का काम काज चलाने का सवाल है, राज्य की जो भाषा है, अधिकांश लोग जिसको बोलते हैं, उसको कार्य-रुप में परिवर्तित नहीं करते हैं तो. मैं समझता हूं कि चाहे हम यह मान लें कि हमारा मुल्क आजाद हुआ. हम आज़ादी में बैठे हैं, पर जो आज़ादी मिली है वह सब आदमियों

श्री मुरलीधर व्यास)

को महसूस होनी चाहिए, और महसूस ही नहीं, स्वराज्य की जो कल्पना थी वह तब तक पूरी नहीं हो सकती, जब तक कि हम अपनी भाषा में हम अपना काम न चलायें ।

अभी राष्ट्र भाषा और राजस्थानी भाषा का सवाल यहां आया । मैं मानता हूं कि यों तो राजस्थानी भाषा के रूप में है, लेकिन जहां तक कामकाज का सवाल है और बोली का सवाल है राजस्थानी एक बोली है और यह समय समय पर परिवर्तित होती रही है, लेकिन इसको काम चलाने के लिए मान्य कर ले कि राजस्थानी भाषा में काम चलाये, यह कठिन है और संभव नहीं है । राजस्थान में यदि कोई भाषा हो सकती है तो वह केवल हिन्दी ही हो सकती है, जिसमें काम काज चलाने से सारे राजस्थान के लोग समझ सकते हैं । राजस्थान में अलग अलग बोलियां हैं । बीकानेर का कोई व्यक्ति यदि उदयपुर में चला जाय तो बीकानेर की जो बोली है, उदयपुर की बोली जिस प्रकार से बोली जाती है उसको परस्पर समझने में आसानी नहीं हो सकती और कुछ फर्क अनुभव कर सकता है । मैंने खुद ने अनुभव किया है, उसमें फर्क होता है और यह सब में रहता है । यदि अगर आज राजस्थान में राजस्थानी भाषा में काम चलाये तो जो आज बीकानेर में बैठने वाला और ढंग से लिखेगा, जोधपुर में बैठने वाला और ढंग से लिखेगा और उदयपुर में बैठने वाला और ढंग से लिखेगा । जब एक व्यक्ति इधर उधर जाता है तो वहां की बोली को समझने में कठिनाई आती है और इस प्रकार सुभीता नहीं रहेगा । जहां तक राजस्थान में प्रशासन का काम चलाने का सवाल है, उसके लिए कोई भाषा होनी चाहिए, तो मैं समझता हूं कि हिन्दी के अतिरिक्त कोई दूसरी भाषा नहीं हो सकती और उसके अनुसार काम चलाना चाहिए ।

एक सवाल यह है कि सन् १९५९ में ही यह कार्य प्रारम्भ कर दिया जाय । इस सम्बन्ध में यह कहना चाहता हूं कि अगर राजस्थान की सरकार इस बात को मान्य करती है कि यह करना कठिन है, मैं समझता हूं यह बात किसी हालत में उपयुक्त नहीं है । यदि आज ही राजस्थान सरकार यह आज्ञा दे कि हिन्दी में काम काज हो तो कुछ ही लोग ऐसे हो सकते हैं जो हिन्दी को नहीं समझते हैं, छोटे बड़े अफसर, हर आदमी हिन्दी को समझता है, हिन्दुस्तानी में बोल सकता है और लिख सकता है । कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो हिन्दी नहीं जानते हैं, उनके पास ऐसे लोग हो सकते हैं जो हिन्दी में कार्य प्रारम्भ करा सकते हैं । यदि यह दलील दी जाय कि हिन्दी भाषा को सन् ५९ तक लागू करने में, दिक्कत है, अभी ५८ चल रहा है और एक साल से अधिक का मौका दिया गया है, मैं समझता हूं कि ऐसी कोई समस्या खड़ी नहीं होनी चाहिए । आप इसको पूरा कर सकते हैं । अगर यह दलील दी जाय कि यह होना कठिन है तो मैं समझता हूं कि यह हिन्दी के साथ उपहास होगा । इतना ही नहीं यह जनतन्त्र की उपेक्षा होगी और अगर महात्मा गांधी ने सबसे बड़ी आजादी की जो कल्पना की थी, उस आजादी की कल्पना में सही माने में हम नहीं पहुँच सकेंगे । इसलिए इसको गहराई से समझना चाहिए । जगह जगह भ्रष्टाचार की बातें देखने को आती हैं, अनियमितताओं की बातें आती हैं, जगह जगह लोगों को ठगने और धोखा देने की बातें आती हैं । मैं समझता हूं हम सबको इस बात से बड़ा दुख होता है । आज ठगाई होती है,

(श्री मुरलीधर व्यास)

धोखा होता है और भ्रष्टाचार होता है और इसके पीछे अंग्रेजी में काम चलाने का बड़ा कारण है और इसी बड़े कारण के कारण यह ठगाई होती है। साधारण आदमी को ठगा जाता है। जिस व्यक्ति से अंग्रेजी के कागजों में दस्तखत लिये जाते हैं, वह उस मजमून को समझता नहीं। बहुत से आदमी हिन्दी बोल लेने पर भी अंग्रेजी नहीं समझ सकते। इस बात को लेकर दस्तखत ले लिये जाते हैं। इनको अपने काम को चलाने के लिए, छोटी छोटी बातों के लिये, दरख्वास्तें जमीन आदि के बारे में लिखानी पड़ती है अगर वे वहां पर हिन्दी में लिखते हैं तो काम नहीं चलता है इसलिए उसके साथ साथ अंग्रेजी में लिखवा कर टाइप करवाकर के देते हैं। जिसमें उन गरीबों को पैसा देना पड़ता है। इस प्रकार से गरीब आदमी के अशिक्षित होने की वजह से हिन्दी जानते हुए भी अंग्रेजी के नाम पर जुर्माना देना पड़ता है। हिन्दी जानते हैं, बोल सकते हैं, लिख सकते हैं फिर भी उनका उत्तर उन्हें मिलता है, अंग्रेजी में। जो अंग्रेजी नहीं जानते हिन्दी जानते हैं फिर भी उत्तर मिलता है अंग्रेजी में, इस प्रकार की जितनी भी दिक्कतें हैं उन दिक्कतों को दूर करना है।

भ्रष्टाचार को हटाना है, छोटे मोटे भ्रष्टाचार अंग्रेजी के कारण ही होते हैं। गांव के आदमियों से अंग्रेजी के नाम पर पैसा लिया जाता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर हम राष्ट्र भाषा के अन्दर अपना काम प्रारम्भ कर देते हैं। तो सबसे बड़ी बात तो हल हो जायगी वह यह कि हर आदमी को यह महसूस होगा कि राजकाज चलाने के अन्दर हम लोगों का भी हाथ है, हम भी अपनी राय ज़ाहिर कर सकते हैं। जहां तक विधान सभा का सवाल है, यहां पर भी जो बिल लाये जाते हैं वे शुरू से ही हिन्दी में बनकर आने चाहिए आजकल होता क्या है कि पहले बिल अंग्रेजी में तैयार किये जाते हैं उसके बाद में उसका हिन्दी में अनुवाद होता है ऐसी हालत में होता क्या है कि ठीक विचार सही रूप में आ नहीं सकते क्योंकि अनुवाद में काफी दिक्कतें रहती है। जब हम बिल पर बहस करते हैं, मूल बिल जब अंग्रेजी में होगा तो जहां तक हिन्दी जानने वाले व्यक्तियों का संबंध है वे मूल बिल को तो समझ ही नहीं पायेंगे तो फिर विचार उस पर किस प्रकार से प्रकट कर सकेंगे। आप बिलों को मूल रूप में अंग्रेजी में तैयार न करवाकर हिन्दी में ही तैयार करवाइये। क्योंकि अंग्रेजी का अनुवाद अपनी राष्ट्रभाषा में हिन्दुस्तानी में जिस ढंग से होना चाहिये वह हो नहीं पाता। बिल को सामने रख लिया जाता है और हिन्दी के शब्दों को मिलाकर के अनुवाद कर लिया जाता है। इससे जो ठीक विचार हिन्दी में आते हैं, वे लग नहीं सकते। इससे होता क्या है कि मूल बिल जब अंग्रेजी में होता है तो बहस जब करनी होती है तो अंग्रेजी में करनी पड़ती है। अत: हमें यह भी करना होगा कि जो बिल विधान सभा में प्रस्तुत किया जाय वह मूल रूप में हिन्दी में ही हो इससे क्या होगा कि हमारा काम धीरे धीरे हिन्दी में चलना प्रारम्भ हो जायेगा। मूल अंग्रेजी में रखते हैं तो हमेशा दिक्कत आती रहेगी और हर काम अंग्रेजी में चलाने की कोशिश करेंगे।

अगर हमें और आपको राष्ट्रभाषा को मान्य करके काम चलाना है तो बुनियादी परिवर्तन करने होंगे। आजादी के दस वर्ष के बाद भी हम आज यह कहने की स्थिति में हैं कि हमें अपना राज का कारबार राष्ट्रभाषा

Page No.58

(श्री मुरलीधर व्यास)

में करना चाहिये, यह बात कितनी कमजोर मालूम होती है, हम अपनी चीज को छिपाये चले आ रहे हैं इससे स्पष्ट ज़ाहिर होता है कि आप हिन्दी का उपहास कर रहे हैं। इस उपहास के अन्दर जहां तक राजस्थान सरकार और केन्द्रीय सरकार की नीति का सवाल है मैं उस नीति की आलोचना नहीं करूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि इस बात में भी लालफीताशाही है। हमारे साथ में बैठकर जो काम करते हैं उनकी अधिकांश की राय इस प्रकार की बनी है कि जो भी आदेश दिये जाते हैं, उसे कार्य रूप में परिवर्तित नहीं किया जाता। इस कारण भी जो बहुत कुछ काम आज तक हिन्दी में प्रारम्भ हो जाना चाहिये था, वह नहीं हो पा रहा है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस प्रकार के आदेश बड़ी कड़ाई के साथ पालन करवाने चाहिये। केन्द्रीय सरकार ने जब कुछ कड़ाई से काम करना शुरू किया तो बहुत से दक्षिण के निवासी थे, उन्होंने हिन्दी सीखना प्रारम्भ कर दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू के मुख्य सचिव जो हिन्दी नहीं जानते थे, वे भी हिन्दी में पत्र लिखने लगे उनकेहस्ताक्षरों से ऐसा प्रतीत होता था कि उन्होंने नयी नयी हिन्दी सीखी है। आज केन्द्र में, इस प्रकार से कड़ाई से आदेश पालन करवाया जाने लगा तो काफी लोग हिन्दी सीख गये। आज आपके यहां के आदेश होते हैं, उनका खयाल नहीं किया जाता, इसका खास कारण है, और वह यह है कि वे लोग महसूस करते हैं अंग्रेजी चलती रहेगी तो हमारा काम भी चलता रहेगा, इससे विशेष प्रतिष्टा रहने वाली है इसलिये जान बूझकर आदेशों की अवहेलना की जाती हैं। मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि इसमें सरकार की नीति पर ज्यादा मुनहसर हैं, जहां सरकार देखती हो कि उनके आदेशों का पालन नहीं होता वहां सरकार को सख्त कदम उठाना चाहिये। यह जो प्रस्ताव आया है है सन् १६५६ तक हिन्दी में सब कार्य प्रारम्भ हो जाना चाहिये इसको मान्य कर लेना चाहिये। दलील एक यह भी दी गई टाइप-राइटरों की कमी रहेगी, इस प्रकार की छोटी मोटी दलीलें, जहाँ राष्ट्रभाषा का सवाल हो टिकने वाली नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार के मंत्रीगण इस चीज़ को मानते होंगे और वे इस बात को भी मानते होंगे कि इसमें उनको वाकई बहुत कुछ दिक्कतें हैं। इसलिये संबन्धित मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि वे यह न सोचें कि यह संकल्प विरोधी पक्ष की ओर आया है इसलिये स्वीकार नहीं होना चाहिये, ऐसा सोचना ठीक नहीं है। जहां तक इस प्रस्ताव के महत्व का प्रश्न है चाहे किसी भी तरफ से आया हो, इस संकल्प को मान्य कर लेने में हमें गौरव अनुभव करना चाहिये। आज हिन्दुस्तान में जो वाद चल रहा है वहां हम यह घोषणा कर देते हैं कि राजस्थान सरकार का सारा काम काज सन् १६५६ के अन्त तक हिन्दी में होना शुरू हो जायगा तो यह हमारे लिए तो गौरव की चीज़ होगी ही अन्य प्रान्तों के सामने हम उदाहरण रख सकेंगे, इससे आम जनता को लाभ मिलेगा और इसमें जनराज्य की सफलता होगी।

श्री सम्पतराम (अकलेरा) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सदियों से हिन्दी भाषा-भाषी क्षेत्र रहा है, राजस्थान में विलीनीकरण के पूर्व, राजस्थान की अधिकांश रियासतों का काम हिन्दी भाषा के अन्दर चलता था और जनता भी राज के कार्य से परिचित रहती थी। उस समय राज्य का काम कर वसूली के साथ साथ शान्ति

(श्री सम्पतराम)

और व्यवस्था कायम रखना, ये दो मुख्य काम थे। विलीनीकरण के समय यह आशा की जाती थी कि महान राजस्थान का कार्य भी हिन्दी में चलेगा, और कुछ रियासतों में जहां अंग्रेजी में काम चला करता था, वहां का काम भी हिन्दी में होगा और सारे राजस्थान में हिन्दी का साम्राज्य होगा। महान राजस्थान बनने के बाद राजस्थान राज्य की ज़िम्मेदारियां बढ़ीं उस समय केवल कर वसूली या शान्ति व्यवस्था ये दो ही काम मुख्य रूप से नहीं रहे, अन्य विकास कार्यों को आगे बढ़ाना, पंचवर्षीय योजनाओं को सफलीभूत बनाना ये भी कार्य महान राजस्थान बनने के बाद शुरू हुए। इसके साथ साथ सामाजिक असमानता को भी दूर करने का काम आरम्भ हुआ। इस तरह से राज्य का कार्य विस्तृत और व्यापक होने लगा और जनता का अधिकाधिक सम्पर्क सरकार से होने लगा। इतना होने पर भी प्रथम पंचवर्षीय योजना और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के जितने भी साहित्य प्रकाशित हुए अधिकतर अंग्रेजी भाषा में हुए। थोड़े बहुत हिन्दी भाषा में भी प्रचारित किये गये। पहली पंच वर्षीय योजना के और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के साहित्य अंग्रेजी में होने के कारण इन कार्यों से जनता पूरी तरह से परिचित नहीं हो पायी। आज राज्य का कार्य नीचे से लेकर ऊपर तक अंग्रेजी में होता है, अंग्रेजी में होने के कारण जनता का इन कार्यों में इतना सम्पर्क नहीं। आज हमारे यहां दस प्रतिशत अंग्रेजी भाषा-भाषी लोग हैं ज्यादातर जनता अंग्रेजी से अपरिचित है। यह ठीक है कि कुछ साहित्य हिन्दी भाषा में भी बांटा जाने लगा है फिर भी अंग्रेजी साहित्य के मुकाबले बहुत कम है। आज विधान सभा में ही ले लीजिये यहां १७६ मेम्बर्स हैं इसमें से ११६ माननीय सदस्य ऐसे हैं जो हिन्दी भाषा जानते हैं। यानि दो बटा तीन हिन्दी जानते हैं लेकिन फिर भी सारा विधान सभा का कार्य अंग्रेजी में होता है जितने भी कानून कायदे होते हैं, या हमारे सदन की जो कार्य करने की नियमावली है वह भी अंग्रेजी के अन्दर है।

अध्यक्ष महोदय, मैं नम्रतापूर्वक कहना चाहूंगा कि इस विधान सभा की, इस अंग्रेजी की कार्यवाही का आम सदस्यों के लिये क्या अर्थ हो सकता है यह सोचने की बात है।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह विधान सभा बड़ी चीज़ है, उस पर राज्य के शासन की बड़ी ज़िम्मेदारी है, कानून यहां बनते हैं, उन पर संशोधन आते हैं, रिपोर्टें आती हैं, प्रतिवेदन पेश होते हैं और वे सब के सब जब अंग्रेजी में आते हैं तो यहां के दो तिहाई सदस्यों का क्या हाल है। ये संकोचवश यहां बोलने में शर्म महसूस करते हैं कि हम हिन्दी भाषी हैं, अंग्रेजी हमें आती है नहीं, तो अब अंग्रेजी में आने वाली इस सारी कार्यवाही को क्या समझें और क्या कहें ? यह स्थिति है आज हमारी ! यह तथ्य है कि दो तिहाई सदस्य आज इस अंग्रेजी में कार्य होने से दुःखी हैं। वे जब यहां होने वाली कार्यवाही को समझ नहीं सकते तो फिर अपने देहातों में जाकर अपने वोटरों को क्या बता सकेंगे। उनके दुःख का कारण यह है। कुछ अंग्रेजी जानने वालों को यहां लाभ मिलता है। आज इस कारण राजस्थान की अधिकांश जनता अन्धेरे में है। यह तो हाल है विधान सभा का।

अब सेक्रेटेरियट का हाल देखिये। तहसील और ज़िलों में यहां से जितने ऑर्डर

(श्री सम्पतराम)

जाते हैं, सब अंग्रेजी में, जितना साहित्य जाता है, जितना जो कुछ जाता है सब अंग्रेजी में आज जो तहसीलदार, पटवारी या सब इन्सपेक्टर जो अंग्रेजी नहीं जानते उन अंग्रेजी के हुक्मों को जो कई तो कॉन्फीडेन्शल होते हैं, बाजार में या उस गांव में या गांव के आसपास में जो एक आध अंग्रेजी पढ़ा लिखा आदमी मिलता है, उससे पढ़वाते हैं और फिर कार्यवाही करते हैं। तो इससे प्रशासन के कार्यों में भी देरी होती है, परेशानी लोग महसूस करते हैं। इसके कारण आपकी तमाम विकास योजनायें भी ढीली पड़ी हैं। जनता तक उनके ध्येय और उसके बारे में आप उनको क्या कहना चाहते हैं, यह जनता तक नहीं पहुँच पाती। आपकी अच्छी से अच्छी योजनाएं आज अंग्रेजी में होने से खटाई में पड़ जाती हैं। आप सोच लेते हैं कि अंग्रेजी में गज़ट छप जाने से सब जान गये। जनता जिस भाषा से परिचित नहीं वे उसमें क्या समझेगी। फिर उस भाषा में गज़ट छपवा देने का क्या अर्थ है ?

यह कोई भावना का सवाल भी नहीं है। व्यवहार का सवाल है। जनता तक पहुंचने का सीधा सवाल है। आज मुश्किल से पांच प्रतिशत लोग ६५ प्रतिशत लोगों पर जो अंग्रेजी नहीं जानते अपने विचार थोपने की चेष्टा करते हैं, उनको अपने मन माने ढंग से चलाना चाहते हैं। यह है वस्तु स्थिति आज ये पांच प्रतिशत केवल अंग्रेजी जानने के कारण उन ६५ प्रतिशत पर शासन कर रहे हैं। आज ६५ प्रतिशत जनता शासन को चुनती है, पर उसका काम अंग्रेजी में होने से आज वह उस शासन की गति विधियों को पहचानने से महरूम है।

आज राजस्थान तो सब तरह से हिन्दी भाषी है। यहां के लोग हिन्दी बोलते हैं, नागरी में लिखते हैं। यहां तो आपके तामिल तेलुगु और मलयालम का झगड़ा नहीं। फिर आप यहां हिन्दी में काम—काज चलाने में क्यों संकोच कर रहे हैं, यह समझ में नहीं आता। यहां आपको हिन्दी लागू करने में कौनसी दिक्कत है ? उन ५ प्रतिशत में से कुछ को शायद कुछ दिक्कत है। कई तो उनमें भी हिन्दी अच्छी जानने वाले हैं। पर आज जिस ढर्रे पर वे पड़ गये हैं उस ढर्रे से हटने की उनमें हिम्मत नहीं है। आज हिम्मत की आवश्यकता है।

आज तो सरकार यह हिम्मत करे और हिम्मत के साथ घोषणा कर दे कि अमुक दिन से राजस्थान की राजभाषा हिन्दी है और हिन्दी में काम शुरू हो जायगा। आज अंग्रेजी सीखने में जहां दो साल लगते हैं, वहां हिन्दी में तीन महीने ही लगेंगे। अगर कोई ऐसा व्यक्ति या अधिकारी हुआ कि जो हिन्दी नहीं जानता हो तो वह तीन माह में हिन्दी सीख लेगा। पर आज हमारी यह मानसिक कमज़ोरी है कि हम दावे के साथ यह कहने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं कि फलां तारीख से यहां अंग्रेजी हट जावेगी और हिन्दी लागू हो जायगी। मैं निवेदन करूं इन्डोनेशिया को देख लीजिये। वहां पर २५ बोलियां बोली जाती थीं। पर वहां के शासकों ने कह दिया कि हमारे यहां हमारी भाषा ही चलेगी, विदेशी भाषा कल से हटा दी जावेगी और कल से वह हटा दी गई। इससे जो मुश्किलें उनके सामने आईं, बहादुरी से उन्होंने उनका मुकाबला किया, हिम्मत नहीं हारी। तो आज हमें भी वैसी हिम्मत की

Page No.61

(श्री सम्पतराम)

आवश्यकता है। इसमें अगर आप का कुछ खर्चा भी हो तो आप करें। आज भारत सरकार से आपको लिखा पढ़ी करनी पड़ती है, उसकी भाषा आज भी अंग्रेजी है तो उनको अंग्रेजी में पत्र भेजने करने में, अगर आपको करोड़ों रुपया तीन चार करोड़ रुपया भी खर्च करना पड़े, तो करें। इस खर्चे के बदले में हिन्दी में काम काज करने से जनता का जो लाभ होगा वह कई करोड़ का होगा। आपकी विकास योजनाएं तेजी से सफल होगीं जनता का हार्दिक सहयोग मिलेगा, जनता समझ बूझ कर उसमें योग देगी। तो अगर राज्य सरकार, इस जनता जनार्दन का सहयोग अपने इन विकास कार्यों में लेना चाहती है, अपनी ये योजनाएं जनता तक पहुँचना चाहती है, इनमें उसको सहयोग लेना चाहती है तो हिम्मत के साथ किसी तारीख की स्वयं निश्चित घोषणा कर दे कि फलां तारीख से हिन्दी लागू हो जावेगी। इन शब्दों के साथ मैं बहादुरसिंहजी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री ज्वालाप्रसाद, (नसीराबाद): अध्यक्ष महोदय, सदन में जितने भाषण हुए, उनमें दो राय नहीं कि सरकारी काम काज हिन्दी में हो।

लेकिन इस विषय में अधिक भावुकता से काम नहीं लिया जाकर, सही स्थिति को सामने रखा जावे तो ज्यादा अच्छा होगा।

जहां तक ५६ तक करने का सवाल है। इसके लिये संविधान में हमने एक मर्यादा इस समय भी निर्द्धारित कर रखी है। अब देश की परिस्थितियों को देखते हुए अगर भारत सरकार इस रिकमन्डेटरी क्लॉज़ में, संविधान में संशोधन करती है तो बात दूसरी होती है। इसलिये सीमा निर्धारण की बात कहां तक उचित होगी, यह सदन को सोचना चाहिये। बहादुरसिंहजी ने जो अमेन्डमेन्ट पेश किया है वह ठीक है। उसे स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है।

लेकिन आज जिस ढंग से इस प्रश्न को उठाया जा रहा है, वह देश के लिये खतरनाक है। आज कांग्रेस हिन्दी को राष्ट्रभाषा घोषित करती है तो दूसरी राजनैतिक पार्टियां आज उसको भी राजनैतिक फायदा उठाने का साधन बना रही हैं। इससे हिन्दी का नुकसान होने वाला है, इसमें दो राय नहीं।

जिस कांग्रेस पार्टी ने हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाया, हिन्दी का आन्दोलन चलाया और जिसकी सरकार आज उसको क्रियान्वित करने की कोशिश कर रही है। लेकिन कुछ ऐसे तत्व जो विचार भेद देश में पैदा करना चाहते हैं, वे उसकी कोशिशों में रोड़ा अटकते हैं। वे ऐसे मौके से भी नहीं चूकते और देश में एक गन्दा वातावरण पैदा करते हैं। इसकी प्रतिक्रिया दूसरे लोगों पर होती है। यहां जिस तरह की हम बातें करते हैं, उसकी एक प्रतिक्रिया देश में होती है, उससे हिन्दी का नुकसान ही होगा। आज इन दूसरी पार्टियों वालों ने तो एक बात सीखी है जो कांग्रेस का प्रोग्राम है उस को ही एक्सप्लोइट करने के लिये अपने सारे मोर्चे बनाते हैं। इसमें वे यह देखना भूल जाते हैं कि यहां वे जो मोर्चा लगाते हैं, उसकी प्रतिक्रिया दक्षिण में क्या होती है। राजस्थान में यहां सरकार हिन्दी को उचित स्थान देने के लिये कटिबद्ध है, तो भी यहां पर एक सोशलिस्ट पार्टी है या दूसरे आदमी हैं वे जयपुर में इकट्ठे होते हैं। राज-

(श्री ज्वालाप्रसाद)

स्थान में हज़ारों नोटिस निकलते हैं, साइनबोर्डों को तारकोल से पोत देंगे। मैं पूछता हूं क्या इससे हिन्दी का प्रचार होगा ? मुझे एक किस्सा याद आता है जो मशहूर है। कांग्रेस ने स्वाधीनता का आन्दोलन चलाया, अंग्रेजों को यहां से भगाया कुर्बानियों के बूते पर। आज ये लोग नहीं सोचते कि आज यहां जनता का राज्य है उस वक्त अंग्रेजों का राज्य था। उसके विरोध में खड़े होना, प्रचारकरना और कुर्बानियां करनाऔरबात थी। आज जनताके चुने हुए लोगों द्वारा राज्य हो रहा है, इसलिए इन सब चीजों का कहां तक महत्व है, यह देखने की बात है। आपने देखा होगा कि किसी से खून हो गया और वह वकील के पास गया तो वकील ने उससे कहा कि कटहरे में जाकर जो भी सवाल तुझ से पूछा जाये 'मेंऽ' कह देना। उससे जो भी सवाल किये गये, उसके उत्तर में वह 'मेंऽ मेंऽ' बोलता रहा और उसका नतीजा यह हुआ कि उसको पागल करार देकर छोड़ दिया गया। जब वकील ने उससे फीस मांगी तो वह फिर 'मेंऽ मेंऽ' करने लगा। आखिर वह इस नतीजे पर पहुंचा कि जिस 'मेंऽ मेंऽ' ने मुझे फांसी से छुड़ाया, तो क्या वह तुम्हारी फीस से नहीं छुड़ायेगी ? इसी तरह यह सोचते हैं कि कांग्रेस जिस तरह प्रचार करती उसी तरह 'मेंऽ मेंऽ' करने से हम जनता को अपनी ओर खींच लेंगे........

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : यह लोग इसी तरह 'मेंऽ मेंऽ' करते हैं। यह आपत्ति की बात है।

श्री अध्यक्ष : ऐसा नहीं कहा।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं यह नहीं कह रहा हूं। मैं तो यह समझाना चाहता हूं कि कांग्रेस का प्रोग्राम है कोई आर्थिक या....

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : आपने जो इस शब्द का प्रयोग किया कि जिस प्रकार मुवक्किल ने 'मेंऽ मेंऽ' करके फीस नहीं दी, उसी तरह यह 'मेंऽ मेंऽ' करके कांग्रेस के खिलाफ़ प्रचार करना चाहते हैं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं........

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : मैं यहां समझने नहीं आया हूं। मैं यह कह रहा हूं कि यह जो 'मेंऽ मेंऽ' शब्द का प्रयोग किया गया है यह अनपार्लियामेन्टरी है।

श्री अध्यक्ष : लेकिन उन्होंने किस रूप में इस्तेमाल किया, यह देखना होगा।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : इन्होंने कहा कि हम बोलते हैं, उसके लिए 'मेंऽ मेंऽ' करते हैं।

श्री अध्यक्ष : यह नहीं कहा।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैंने तो मिसाल दी है और कांग्रेस ने जिस तरह आन्दोलन विदेशी हुकूमत को हटाने के लिए चलाया और उस समय जो हमारे सिर में दर्द होता था। तो हम कहते थे कि यह अंग्रेजों ने कर दिया। हर चीज के बारे में हम आन्दोलन उठाना चाहते थे। आज जो बदलाव आया है, देश में जो जनता की हुकूमत कायम हुई है उसमें जो यह दूसरी विरोधी पार्टियां, सोशलिस्ट पार्टी और दूसरी पार्टी आन्दोलन करती हैं वह कभी कामयाब

७४८२]
(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

होने वाली नहीं है। वह हिन्दी के पोषक होने के बजाय उसका नुकसान कर रहे हैं, ऐसी मुझे दुर्गन्ध आती है। इसलिए हिन्दी को इस तरह फ़ायदा होने वाला नहीं है। हिन्दी को राष्ट्रभाषा........

श्री हीराभाई : किस आधार पर हिन्दी को नुकसान हो रहा है, यह तो कम से कम बतायें। सोशलिस्ट पार्टी वाले वह कौन हैं जो हिन्दी का नुकसान कर रहे हैं। यह तो आप कम से कम बतायें।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) अध्यक्ष महोदय, यह क्या भाषण हो रहा है, या क्या हो रहा है ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : (जारी) मैं यह निवेदन कर रहा था कि इस तरह बड़े संयत ढंग से सारी बात को सोचनी होगी। हिन्दी का जहां तक सवाल है सभी एक राय हैं कि राजस्थान में जहां की प्रान्तीय भाषा हिन्दी है, वहां यह सवाल क्यों उठ खड़ा हुआ है। कौन ऐसे सदस्य हैं जो हिन्दी का काम जल्दी से जल्दी सभी जगह करवा सकते हैं। लेकिन इसमें जो सरकार का प्रोग्राम है वह निश्चित है। प्रस्तावों के ज़रिये देश में एक बवन्डर खड़ा करने के लिए, एक अन्धड़ पैदा करने के लिए जो आज उठाया जा रहा है पंजाब की तरफ़ से, मद्रास की तरफ से उसमें राजस्थान को भी ऐसे प्रस्तावों के ज़रिये एक तरफ खड़ा कर देने की कोशिश की जाती है। मैं कहना चाहता हूं कि इस मातृभाषा के सवाल को राजनैतिक सवाल नहीं बनाया जाये। यह देश के एक एक बच्चे का सवाल है। इसलिए इसके ऊपर बड़े व्यवहारिक ढंग से सोचना चाहिए। मैं उसके साथ ही साथ [पृ० ७४८३] कहूंगा कि मातृभाषा की कितनी सेवा की जाती है इस तरफ़ हमें गौर करना चाहिए। देश को इसके लिए प्रयत्न करना चाहिए जिससे हमारा काम मातृभाषा में सुचारू रूप से चले। देश में बहुत कुछ काम हो रहे हैं उनमें कोई भी तारीफ़ लगाना मैं समझता हूं कि बहुत नाजायज़ होगा। और उसकी जो प्रतिक्रिया पैदा होगी दूसरे प्रान्तों में जहां कि हिन्दी नहीं है और जो हिन्दी भाषी नहीं है, यह भी देखने की बात है। हिन्दी को जब राष्ट्रभाषा मान लिया गया तो वह राष्ट्रभाषा के पद पर प्रतिष्ठित होनी है। जो हम हिन्दी भाषी हैं उनका यह कर्तव्य हो जाता है कि हमारे देश के साथ सारे देश में मान लिया जाये। हमारा कर्तव्य है कि हम उसकी प्रगति की ओर बढ़ें। न कि ऐसे एजीटेशन में पड़ें, जिससे कि दूसरे लोगों को ऐसा मालूम पड़े मद्रास वालों को, पंजाब वालों को कि हिन्दी भाषी प्रान्त ही आन्दोलन कर रहे हैं। हमें मातृभाषा के ऊपर पूरा विश्वास है। फिक्र की इतनी बात नहीं है। पाकिस्तान की ही मिसाल लीजिए भाषा के प्रश्न पर वहां कितना विचार किया जाता है। क्या असर पड़ता है। इससे देश को टुकड़े टुकड़े के ढंग से सोचने का तरीका पड़ जाता है। पहले राजाओं के तहत और सारा देश छोटी छोटी रियासतों में बंटे रहने कारण हम गुलाम बने। जिन चीजों से हमें पहले नुकशान पहुंचा और टुकड़ों टुकड़ों में बंटे रहने के कारण जो नुकसान हुआ उसका ध्यान रखना है। जिससे कि हम आज़ादी की रक्षा कर सके। अगर हमारी आज़ादी की रक्षा होगी तो सारे देश में मातृभाषा की प्रतिष्ठा होगी। हिन्दी मातृभाषा है उसको स्वाभाविक ढंग से, अपने ढंग से, अपनी योग्यता के आधार पर हमें सारे देश में फैलाना है।

Page No.64

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

उसके अन्दर वक्त का कोई सवाल नहीं होना चाहिए और वक्त का सवाल राजस्थान में इस तरह लादना गलत होगा, ऐसी मेरी मान्यता है।

इसके साथ ही मैं कुछ व्यवहारिक चीजें आपके सामने रखता हूं। मैं नहीं कहता कि आज के कानून की जो व्यवस्था है और जो सरकार ने प्रशासन का ढांचा बनाया हुआ है, जिस तरह कानून के ज़रिये सरकार राज्य करना चाहती है, उस तरफ प्रगति हुई है। आज हमारे यहां विधान सभा में बिल्स हिन्दी में आते हैं। जितने सवालात आते हैं वह हिन्दी में आते हैं लेकिन आज परिस्थिति इस प्रकार की है कि अंग्रेजी हमारे देश में साथ साथ चलेगी। जैसा अभी एक भाई ने कहा कि देशी रियासतों में हिन्दी में काम होता था। तो इन सब चीजों को देखकर राजकीय ढंग से हमें चीजों को देखना होगा, जिससे हिन्दी उसकी जगह पहुँच जाये और इस तरह से पहुँचे कि हम लोगों को और सरकार को कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े। आप देखेंगे कि ऐसा गजट में निकला है कि हाईकोर्ट या और दूसरी दूसरी जगहों पर कोई निश्चित भाषा का उपयोग नहीं किया जायेगा। तो राज्य का काम चलना मुश्किल हो जायेगा। हां उसमें प्रगति हुई है या नहीं और जो प्रगति हुई है वह संतोषजनक है या नहीं उसके ऊपर नुकताचीनी करने का अधिकार है। उसमें प्रगति मिले और सरकार उसको प्रगति की ओर ले जाये यह कर्तव्य हो जाता है हमारा भी, न कि हम इस तरह के नारों के पीछे इस प्रश्न को एक राजनैतिक रूप दे दें। आज कांग्रेस ने ही हिन्दी को मातृभाषा के पद पर प्रतिष्ठित किया है और उसको लागू करने की जिम्मेदारी भी कांग्रेस सरकार की ही है। और कांग्रेस के चुने हुए लोगों ने जिन्होंने कॉन्सटीट्युशन तैयार किया, यह उनका निश्चिय है। उसमें भी मैजोरिटी कांग्रेस वालों की ही थी। उन्होंने ही हिन्दी भाषा को यह प्रतिष्ठा दी है कि वह राष्ट्रभाषा बने। जब इतिहास लिखा जायेगा तो यही लिखा जायेगा कि कांग्रेस सरकार के ही लोग थे, उसमें मद्रास के थे, उसके अन्दर कश्मीर के लोग थे, उसमें गुजराती बोलने वाले भी थे, महाराष्ट्रियन थे और यह कांग्रेस का ही प्रताप था, जिसने भाषा के प्रश्न पर सारे देश के लिए यह राय दी कि मातृभाषा के पद पर हिन्दी को प्रतिष्टित किया जाये।

इस तरह सारे देश को एक बनाने का प्रयत्न करती है जिससे कि सारे देश में एक भावना का प्रचार हुआ है, उस वक्त इस तरह की फिरकापरस्ती की एक्टीविटीज् को रोका जाना चाहिए, और इस तरह से हमारे यहां पर विचार करते वक्त ऐसी दलीलें नहीं आनी चाहिए जिससे कि मद्रास वाले या दूसरे लोगों को यह पता लगे कि मातृभाषा जो इस प्रान्त की हिन्दी है इसलिये उस मातृभाषा को हमारे ऊपर चलाने या लादने की कोशिश की जा रही है। मैं इस तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। मुझे इस बात का अफसोस नहीं है कि सरकार इस ओर प्रगति करे और जिस तरह का संशोधन डा बहादुरसिंह का है उस संशोधन को मेरे मित्र स्वीकार करेगें। एक राय से उस संशोधन के साथ यह सदन उस प्रस्ताव को स्वीकार करेगा। ऐसी प्रार्थना करते हुए मैं अपने इस भाषण को समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष : बहस काफी लंबी हो गई है, इसलिए ऐसी व्यवस्था की जाती है कि ११.३० बजे तक बहस चलेगी और उसके बाद माननीय मुख्य मंत्रीजी इस बहस का

(श्री अध्यक्ष)

उत्तर देंगे।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू) : अध्यक्ष महोदय, मैं उस दिन नहीं बोला था, इसलिए थोड़े से लफ्ज़ों के अन्दर निवेदन कर देना चाहता हूं।

मैं, अध्यक्ष महोदय, श्री जगदीशप्रसादजी ने जो प्रस्ताव किया है, उसका समर्थन करता हूं, और साथ ही यह निवेदन करता हूं, कि यह प्रश्न इस समय उठ रहा है तो देखा जाय, अगर सब के हृदय को टटोला जाय तो ट्रेजरी बेन्च से लेकर और जितने भी सब हैं, उन सब के हृदय के अन्दर यह भाव और प्रेरणा है कि जल्दी से जल्दी राजस्थान में कम से कम जो भाषा का प्रश्न है, वह है कि यहां हिंदी शीघ्रातिशीघ्र चालू करदी जाय। मेरा निवेदन यह है कि वैसे तो यह बराबर हो रहा है और यह देखा भी जाता है कि सुदूर दक्षिण में ज्यादा हिन्दी को कम समझा जाता है और इसके लिए इस भाषा के वास्ते उन लोगों के हृदय में यहां तक कि राजाजी तक के हृदय में थोड़ा सा विचार रहता है कि हिन्दी को राष्ट्रभाषा के रूप में लाया जाय या नहीं। मेरा तो निवेदन यह है कि इस विषय में कि राजस्थान ही ऐसा प्रान्त है, बल्कि मैं तो यू. पी. और मध्यभारत से भी ज्यादा राजस्थान के बारे में तरजीह देता हूं कि हिन्दी का जितना प्रसारण और प्रचार जितना यहां हुआ है वह और जिस तरह से यहां यह सारा हिसाब रहा है, यह कोई गौरव की बात नहीं है।

१०.५४ म० पू०

(श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन)

तो ऐसे समय में जब भारत के वास्ते देखा जाय तो हिन्दी, हिन्दुस्तान और हिन्दू इन तीन नामों के ऊपर, जब तक हिन्दी में नहीं चलेंगे उस वक्त तक यह तीनों नाम भी ज्यादा ठोस नहीं समझे जा सकते हैं। यह मैं पूर्णतया मानता हूं कि दूसरे भाषा भाषी क्षेत्र हैं उनमें भी ख्याल किया जाता है, और यह सब है, और जैसे सेन्टर हैं और जो सेन्टर के तहत हिसाब है तो उनको इस बात के लिए बहुत दिक्कत पैदा हो। यह रहता है कि सभी प्रान्तों के जो महानुभाव हैं और जो वहां को जनता है, उनके विचारों पर थोड़ी सी देर सोचना पड़ता है लेकिन यहां तो केवल इस बात का सवाल है कि राजस्थान प्रान्त में यह भाषा शीघ्रातिशीघ्र क्यों न प्रारम्भ की जाय। सन् १६५६ का जो समय निर्धारित किया है वह मेरे विचार के अन्दर बिल्कुल ठीक है। यहां तो हिन्दी का क्षेत्र इस तरह का जमा हुआ है कि दिक्कत होने जैसी बात नहीं है।

अपने प्रान्त की भाषा के वास्ते हरेक आदमी के हृदय में एक लगन होती है और विचारों में यह सवाल रहता है कि क्यों न जल्दी से, इसको काम में लाई जाय। मैं एक छोटी सी नजीर बाहर की आप को दे देना चाहता हूं इसी मामले की। जिस समय १८७० में जब बिस्मार्क ने फ्रान्स के पार्टस पर कब्जा कर लिया और फ्रान्स का करीब २ सारा भाग जर्मनी के अन्दर आ गया तो उसमें एलिसबरी फ्रान्स का एक भाग था। उसमें स्ट्रासबर्ग के अन्दर प्रिन्स बिस्मार्क गया और वहां के विद्यार्थियों से सवाल पूछे और वहां के एक विद्यार्थी ने उस समय वहां पर बहुत से अच्छे जवाब दिये तो प्रिन्स बिस्मार्क ने पूछा कि हमें यह बतलाओ कि तुम्हें क्या इनाम दिया जाय, तो उस समय एलिसबरी और स्ट्रासबर्ग फ्रान्स

(रावल श्री नरेन्द्रसिंह)

के हिस्से थे वहां की जनता फ्रेन्च होने पर भी वहां जर्मनी की भाषा कर दी है तो वहां वापिस फ्रेन्च भाषा का प्रसार किया जाय। एक छोटे से लड़के का यह भाव था। प्रिन्स बिस्मार्क ने उसको थपेड़ा और उसको अलग इनाम दिया और आश्वासन दिया कि यह चीज़ होकर रहनी चाहिए। इन भावों से मुल्क और देश भाषा के प्रेम से प्रेरित होकर वह अक्सर फिर जाते हैं और कई दफा हज़म की हुई चीज़ फिर पेट में से निकाली गई है। निवेदन करूंगा कि भारत में अगर देखा जाय तो काश्मीर और जो गढ़वाल के ऊपर का हिस्सा है वह हिम की किरीट से सुशोभित हमारी जन्म-भूमि का स्थान हो सकता है और इनके पैरों के स्थान पर जहां पैरों के धोने के वास्ते कन्याकुमारी के शिलाखण्ड हैं वह भारतीय समुद्र, इन्डियन ओशन के अन्दर काम में दे सकता है। बायें भाग में बायां हाथ जो है वह बंगाल और आसाम है वे इसके वास्ते काफी ऊंचे दर्जे के समझे जा सकते हैं। दायां भाग जो इन्डस तक फैला हुआ था और जिससे इन्डिया इन्डस से सिंध से हिन्द उसका नाम था, वह आखिर कटा हुआ है। उसके बिना भी काम चल सकता है, लेकिन राजस्थान भारत का फेफड़ा और दिल का हिस्सा है। पागल आदमी जिन्दा रह सकता है। पैर कटा हुआ भी जीवित रह सकता है, दायें-बायें हाथ से खोड़ा भी हो सकता है। मध्य भारत उस स्थान से थोड़ा दूर है तो चल सकता है, लेकिन दिल उसका जो है, या फेफड़े जो हैं वे राजस्थान का भाग हैं, यह अगर इसमें, इस भाषा के प्रसारण और प्रचार में सचेत रहेगा और इसके वास्ते जल्दी से जल्दी इसका प्रबन्ध होगा तो कोई बात नहीं कि दूसरे प्रान्त भी इसका अनुकरण न करें। वे अवश्य करेंगे। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके जरिये माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा और मैं खुद जानता हूं कि उनसे यदि अन-ओफिशियल केपेसिटी में पूछा जाय तो जितना उनका हिन्दी भाषा के वास्ते प्रेम है, और इसके लिए जितना उनमें उत्साह है उतना शायद ही किसी दूसरे के दिल में हो। ऐसी दशा में यह होना चाहिए कि शीघ्र ही हिन्दी भाषा में काम-काज। मैं तो यह समझता हूं कि इधर ट्रेजरी बैन्च इस पर विचार करके शीघ्र ही यह भाषा प्रयोग में आवें, ऐसी बात करनी चाहिए। मैं आदर करता हूं माननीय सदस्य बहादुर सिंह जी के प्रश्न का, जिसके अन्तर्गत उन्होंने कहा था कि यदि इसको जल्दी से जल्दी काम में नहीं लिया गया या इसकी घोषणा शीघ्रातिशीघ्र नहीं की गई तो इसका जो मुख्य ध्येय है, वह मेरे विचार में काफी गिर जायगा। मैं जानता हूं कि इसमें बहुत सी दिक्कतें आयेंगी। लेकिन दिक्कत और सुभीते का संतुलन और तारतम्य किया जायगा तो इस बात का ज्यादा सुभीता रहेगा कि हिन्दी में काम हो। हिन्दी राष्ट्र भाषा है, इसलिये शीघ्रातिशीघ्र इसका प्रचार होना चाहिये।

११. १. म० पू०

मावली से आने वाले महानुभाव ने बहुत जोर दिया राजस्थानी भाषा के लिये। राज-स्थानी भाषा का समावेश हो तो अच्छी बात है। मैं राजस्थानी भाषा जानता हूं मेरा इसके साथ प्रेम है, मैं इसमें कविता भी करता हूं और मैंने यह भाषा पढ़ी भी है। मैं निवेदन करूंगा कि यहां राष्ट्र भाषा हिन्दी का ही प्रयोग होना चाहिए। यदि इसके साथ राज-स्थानी का प्रश्न आयगा तो उसके साथ कई प्रश्न खड़े हो जायेंगे। अभी पंजाब में यही हो

(रावल श्री नरेन्द्रसिंह)

रहा है। जैसे एक शरीर में कांटा चुभ जाता है तो उसका दर्द सारे शरीर में रहता है। उसी प्रकार पंजाब में थोड़ा असंतोष हुआ। मैं गुरुमुखी को वही स्थान दूंगा जो स्थान राजस्थानी का आज हमारे यहां है। पंजाब में हिन्दी गुरुमुखी का जैसा पचड़ा चल रहा है वैसे पचड़े में मैं नहीं पड़ना चाहता। लेकिन इस प्रकार की विचारधारा रखने वाले लोगों को यह ध्यान रहे कि हिन्दी को वही स्थान देना चाहिए, जो एक राष्ट्र भाषा को देना चाहिए। हिन्दी वह भाषा है जिसमें संस्कृत के शब्दों का समावेश हो जाता है, इसमें उर्दू और अंग्रेजी भाषाओं के शब्दों का समावेश हो जाता है और अन्य प्रान्तीय भाषाओं का भी समावेश इसमें हो जाता है। उर्दू भाषा फौज से तालुक रखती थी। सेना में सब प्रान्तों के लोग रहते थे। उन सब लोगो की भाषा को मिलाकर हिन्दुस्तानी भाषा का रूप दिया गया। उस हिन्दुस्तानी भाषा और संस्कृत भाषा का समावेश भी इसमें हो जाता है। दूसरे प्रान्तों की भाषाओं के शब्द संस्कृत से तालुक रखते हैं इसलिये वे इसमें समा सकते हैं। उर्दू के लिये थोड़ा एतराज हो सकता है। उसमें अरबी डाइलेक्ट है....

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

मैं दो ही मिनट में खत्म करता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो इस कुर्सी पर जो भी बैठेंगे उनको अध्यक्ष ही कहूंगा वे अध्यक्ष ही हैं, मैं खुद ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता।

श्री उपाध्यक्ष : आप कुछ भी मानिये, लेकिन दो मिनिट में खत्म करिये।

श्री रावल नरेन्द्रसिंह : मेरा यह निवेदन है कि हिन्दी इस तरह की भाषा है जिसमें सभी भाषाओं को मिला सकते हैं। सारी भाषाओं को लेकर यह मुख्य भाषा बनी है। ऐसी हालत में शीघ्रातिशीघ्र इसको उच्च स्थान दिया जाय। क्योंकि यह प्रश्न उधर से आया है, इसलिये यह समझा जाय कि इसको मानना ठीक नहीं है। सभी के हृदय में आग सुलग रही है, इसलिए जल्दी से जल्दी इसकी पूर्ति की जाय। और उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो अध्यक्ष महोदय ही कहूंगा और साथ ही मैं मुख्य मंत्री जी से भी निवेदन करूंगा कि दोनों तरफ के महानुभावों को प्रेरणा आपने दी है। मैं खुद जानता हूं कि आप इसमें रुचि रखने वाले हैं, फिर इसमें देर होने की क्या बात है, यदि ट्रेजरी बेन्च का यह विचार हो कि ऊपर से सवाल आता है इसलिए दिक्कत आती है तो थोड़े चुप रह जांय। इधर का या उधर का सवाल आवे तो न इधर कमी हो न उधर। क्योंकि यह दोनों तरफ का प्रश्न है, मंत्री मंडल का सवाल है इसलिये शीघ्रातिशीघ्र घोषणा हो जानी चाहिये जिससे राजस्थान की बहुत सी प्रजा को दिक्कत न हो। मैंने सुना उस समय मेरा हृदय बड़ा ही क्षुब्ध हुआ। यहां के भील एरिया के कार्य कर्त्ताओं को कितना कष्ट होता है, शायद शब्दों से वे अपने भाव प्रकट नहीं कर सके लेकिन सब के हृदय में यह बात होती है। यह भी प्रश्न आता है कि कोई कागज़ लेकर सेक्रेटेरियेट में जाते हैं तो सवाल आता है कि फाइल मिसिंग है। 'मिसिंग' शब्द अंग्रेज लोग जर्मन कैदियों के लिए काम में लाते थे। वे कहते थे इतने मरे, इतने घायल हुए और इतने मिसिंग हो गये यानी ला-पता हो गये। हिन्दी में यह सवाल कभी नहीं आना चाहिये। 'मिसिंग' शब्द

(श्री रावल नरेन्द्रसिंह)

आपके मंत्री मंडल की वोकुबलरी से सदा के लिये निकल जायगा तो अच्छा रहेगा। मेरा कड़ा विरोध है कि क्यों न जल्दी से जल्दी हिन्दी लागू करने की कोशिश की जाय।

श्री रामचन्द्र (डग) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी सदन के सामने जो एक संकल्प उपस्थित हुआ है कि राजस्थान की राज्य-भाषा जल्दी से जल्दी हिन्दी करदी जाय, इस विषय पर बोलते हुए, सदन के अनेक सदस्योंने, अपने विचार रखते हुए कुछ ऐसी भयंकरता प्रकट करदी कि यदि अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहा और हिन्दी का प्रयोग जल्दी से जल्दी नहीं किया गया तो राजस्थान में बड़ा जलजला आने वाला है और उससे राजस्थान नष्ट हो जायगा और ये विचार उन सदस्यों की ओर से आ रहे हैं जो राजस्थान की जनता के प्रतिनिधि हैं। यदि राजस्थान सरकार के कर्मचारियों के दिमाग में कोई बात राजस्थान का नुकसान होने की अब तक नहीं आई है और इन विशेष महानुभावों के दिमाग में आ रही है कि राजस्थान सरकार द्वारा गलती होने से बड़ा भारी भूकंप आने वाला है तो मैं उनसे नम्र निवेदन करूंगा कि राजस्थान के हित के लिए इस भयंकरता को रोकने के लिये अच्छे से अच्छा सुझाव प्रस्तुत करते और राजस्थान सरकार को ऐसे सुझाव प्रस्तुत करते और राजस्थान सरकार को ऐसे सुझाव देते जिससे हिन्दी का प्रचार हो जिसके प्रयोग होने में देरी हो रही है तो वह काम जल्दी से जल्दी हो जाता। लेकिन ऐसा सुझाव किसी की ओर से नहीं आया। सबने भयंकरता तो इतनी प्रकट की। जितनी भयंकरता प्रकट की उसका दसवां हिस्सा भी सुझाव देने में खर्च करते तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि राजस्थान सरकार को बहुत बल मिलता और उनको लेकर नई प्रकार की प्रणाली जारी करते, जिससे राजस्थान में हिन्दी का प्रयोग जल्दी से जल्दी होता।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर हिन्दी, अंग्रेजी का प्रश्न था लेकिन एक प्रश्न और खड़ा हो गया और वह यह कि राजस्थान की भाषा हिन्दी नहीं बल्कि राजस्थानी है। लेकिन साथ ही साथ राजस्थानी भाषा नवीन भाषा नहीं है, यह तो हिन्दी भाषा की ब्रान्च है। भाषा के प्रश्न को तय करने के वास्ते हम को प्रत्येक क्षेत्र में उसकी क्रियाओं आदि का प्रयोग होता है उसकी तरफ देखना होगा। राजस्थान के कई क्षेत्र हैं, चाहे मारवाड़ हो, चाहे मेवाड़ हो, चाहे हाड़ोती हो, चाहे धुंधाड़ी हो उन सब की क्रियाएं समान हैं। भूतकाल, भविष्या काल और वर्तमान काल सब समान हैं, सर्वनाम भी बराबर है केवल संज्ञा विशेषणों में फर्क होता है। तो इन संज्ञा और विशेषणों में फर्क होने की वजह से अगर राजस्थान की भिन्न भिन्न भागों की बोलियों को लेकर एक अलग भाषा का निर्माण कर दिया जाय तो मैं उचित नहीं समझता। उपाध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान सरकार ने अंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी का प्रचार करने के वास्ते जो एक प्रणाली अपनाई है, मैं उसके विषय में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। अब तक राजस्थान सरकार हिन्दी का प्रयोग ऊपर से लेकर नीचे की तरफ करने जा रही है। राजस्थान सरकार चाहती है, इस सदन के माननीय सदस्य भी यह चाहते हैं कि हमारे सेक्रेटेरियेट में अंग्रेजी के बजाय हिन्दी में काम हो, लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे सेक्रेटेरियेट में और उच्च विभागों में जो

(श्री रामचन्द्र)

लिखा—पढ़ी होती है, वह तीन प्रकार की है, कुछ तो इस प्रकार की होती है जो राजस्थान राज्य और दूसरे राज्यों के बीच होती है या केन्द्र से होती है, दूसरे प्रकार की लिखा—पढ़ी वह होती है, जो एक वरिष्ट विभाग से दूसरे वरिष्ट विभाग की होती है और तीसरा भाग वह होता है जिसका सम्बन्ध जनता से होता है। हमें यह देखना पड़ेगा कि इन तीनों विभागों में अंग्रेजी के बजाय हिन्दी को जल्दी से जल्दी लाने के लिए क्या प्रयास करने चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि जितनी कॉरेस्पोन्डेन्स डॉइरेक्टरली जनता से सम्बन्ध रखती है, वह कलेक्टर लेवल से जितने नीचे जाय वह तमाम हिन्दी में ही जाना चाहिए, चाहे कमिश्नरी और सेक्रेटेरियेट में किसी भाषा में काम हो, लेकिन जब कलेक्टरी में जायं और वहां से जब म्युनिसिपल कमेटी, पंचायत को भेजे तो उसका ट्रान्सलेशन हिन्दी में जाना चाहिए, अंग्रेजी में कागज न जाय। लेकिन आज वैसा नहीं होता है। कारण क्या है? कारण यह है कि कागजों को डील करने का काम क्लर्कों का होता है, उनका अंग्रेजी का या हिन्दी का इतना ऊंचा दर्जा नहीं होता है कि वे अंग्रेजी से ट्रान्सलेशन कर सकें। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि प्रत्येक कलेक्टरेट में में एक ट्रान्सलेटर हिन्दी अंग्रेजी का रखा जाय ताकि जो कोई भी कागज सेक्रेटेरियट से या कमिश्नरी से आये, वह चाहे अंग्रेजी में भी आये, परन्तु उस पर जितनी भी कार्यवाही हो, वह हिन्दी में आगे जायें। ऐसा किया जायगा तो जनता की जो शिकायत है कि वे अंग्रेजी नहीं समझते और यह बात ठीक भी मालूम नहीं होती, काफी दूर हो जायेगी। इसलिए मैंने जैसा निवेदन किया था कि यह काम ऊपर से नहीं होना चाहिये, नीचे से होना चाहिए, कलेक्टरेट से हो, उससे आगे कमिश्नरी में हो और उससे आगे से सेक्रेटेरियट में हो। इससे बहुत हद तक जनता की शिकायत दूर हो जायगी। उपाध्यक्ष महोदय, आजकल प्रायः यह शिकायत रहती है कि सप्ताह तक, महीने तक कागज पड़े रहते हैं लेकिन कार्यवाही नहीं होती है। उसका कारण यह है कि जितने आदेश और जितने नियम बनकर जाते हैं, वे प्रायः अंग्रेजी में जाते हैं। वे किनके हाथ में जाते हैं? वे उन क्लर्कों के हाथ में आते हैं, जो यद्यपि मैट्रिक पास किया है, किन्तु वह एक सेन्टेन्स भी सही नहीं लिख सकते। उनके पास जो अंग्रेजी में कोरेस्पोन्डेन्स जाती है उस कोरेस्पोन्डेन्स को ठीक समझकर उसके अनुसार तामील किस प्रकार करें, यह उनके वश की बात नहीं है। अगर आप तमाम कोरेस्पोन्डेन्स हिन्दी में कर देंगे तो आपके काम में प्रगति आ जायेगी। यह मेरा सुझाव है, इसलिए जो कुछ भी काम किया जाये, उसमें जनता का ख्याल कर जल्दी से जल्दी तेजी लाने के ख्याल से किया जाना चाहिए। यह जो मांग की गई है कि अंग्रेजी के बजाय हिन्दी को राष्ट्र भाषा के रूप में प्रयोग में लाया जाय, इस पर जल्दी से जल्दी निर्णय करेंगे, इस आशा से मैं इसका पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सूबेदारसिंह।

श्री सूबेदार सिंह (बाड़ी) : उपाध्यक्ष महोदय, श्री बहादुरसिंहजी ने जो संशोधन रखा है कि सरकारी काम-काज में हिन्दी का ही प्रयोग किया जाय, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। उपाध्यक्ष महोदय,

(श्री सूबेदारसिंह)

कोई भी सरकारी काम काज उस भाषा में होना बिल्कुल ठीक है जिस भाषा का जनता द्वारा प्रयोग किया जाता है। इस दृष्टि से हम देखें तो राजस्थान प्रान्त की एक भाषा है। निश्चय ही हमको इधर देखना पड़ेगा। हम भारतवर्ष में कहीं भी जायं, अक्सर हमें देखने को मिलता है कि जब १०—१५ मील चलते हैं, तो भाषा स्थानान्तर हो जाती है, भाषा बदल जाती है १५—१० मील के बाद। एक नदी के इधर उधर रहने वालों की भाषा भी अलग अलग हो जाती है। इस प्रकार भाषायें बढ़ गई हैं और जगह जगह फैल गई हैं। इसलिए इस बात को अच्छी तरह से सोचना पड़ेगा। यदि राजस्थान में कोई भाषा है, मेवाड़ी, मारवाड़ी आदि; वैसे राजस्थान में २० भाषाएं हैं। मैं अपने बारे में कहुं, मैं जिस इलाके से आता हूं, मैं आपको, उपाध्यक्ष महोदय, साफ़ साफ़ निवेदन कर दूँ कि जिस भाषा में यहां पर बात होती है, मैं बिल्कुल मूक सा बैठा रहता हूं क्योंकि समझ में नहीं आती। हमारे देश हिन्दुस्तान, जिसे हिन्दी भाषा में इस नाम से पुकारा जाता है, उसके अन्दर अगर देखेंगे तो ज्ञात होगा कि इस देश में हिन्दी भाषा ही ऐसी भाषा है जो हर प्रान्त में बोली जाती है। इसलिए यह आवश्यक हो गया है कि भारतवर्ष की भाषा हिन्दी होनी चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, जब हम भाषा की बात करते हैं, तो हमें इस ओर भी देखना होगा कि हम देश के इतिहास को तब तक जिन्दा नहीं रख सकते जब तक कि स्वयं की भाषा न हो। इस सम्बन्ध में आपने देखा होगा कि जब हमारे मुल्क में में विदेशी लोग आये, तो उन्होंने अपनी २ भाषा का प्रयोग किया। मैं आलोचना नहीं करता, उन मुसलमानों की, जिन्होंने यहां आकर अपनी भाषा को अपनाया। वे यहां आकर हमारे बीच में बस गये थे, वे हमारे साथ हो गये थे। लेकिन उन्होंने अपनी भाषा इसलिए अपनाई कि यहां उनके इतिहास और सभ्यता का असर हो, मुसलमानों की सभ्यता बढ़े, मुसलमान के इतिहास का प्रभाव हो, इसलिए मुसलमानों ने उर्दू भाषा को रखा। यही नहीं अंग्रेजों ने आते ही उर्दू भाषा को हटा कर अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया। इसके साथ ही साथ यह हुआ, यह देखने को मिला कि वे अपने इतिहास को धीरे धीरे उसमें बढ़ाते गये, अपनी सभ्यता को उसमें बढ़ाते गये। आप देखते हैं कि हमारा इतिहास कहता है कि हमारे देश में शक, मंगोल और आर्यन जातियां आईं। कौन नहीं जानता कि हमारा सनातन धर्म कितना पुराना धर्म है, उसने धीरे धीरे उनको खत्म किया। लेकिन आपने देखा कि अंग्रेजी भाषा अपने देश में थोड़े दिनों से ही चली है, इसको भी खत्म कर रहे हैं। धीरे धीरे यह भी समाप्त होगई, लेकिन कुछ प्रान्त, मद्रास आदि, देश में ऐसे हैं जहां कुछ सज्जनों की, कुछ परिवारों की, कुछ इलाकों की मातृ भाषा अंग्रेजी होगई है। दुःख का विषय है कि उनकी मातृ भाषा अंग्रेजी हो गई है। जहां हमारी मातृ भाषा हिन्दी थी, वहां अंग्रेजी कितनी जल्दी सीख ली, इसी प्रकार जिन इलाकों की, जिन परिवारों की और जिन सज्जनों की मातृ भाषा अंग्रेजी है, वे हिन्दी को जल्दी सीख सकते हैं। हमारे मावली से आने वाले माननीय सदस्य ने यह प्रतिज्ञा की थी, 'मैं दावा करता हूं, प्रतिज्ञा करता हूं कि जिन महाशयों को हिन्दी बोलना नहीं आता, लिखना पढ़ना नहीं आता, उनको हिन्दी छः महीने में नहीं, तीन महीनों में सिखाऊंगा।' उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निश्चित मत है कि हिन्दी ऐसी सरल भाषा है कि जिसके अन्दर हम प्रेम देखते

(श्री सूबेदारसिंह)

हैं। जब हम कहीं घूमने जाते हैं, तो कहीं पंजाबी भाई मिल जाये, तो वह बड़े प्रेम से बातें करता है। वह हिन्दुस्तान का रहने वाला है। अगर वह हिन्दी से डरता है, तो अगर जो अड़ोसी-पड़ोसी हैं, उनके जो भाई हैं, उनसे उसे स्वाभाविक प्रेम है, तो उसे हिन्दी सीखनी होगी। हमने देश में स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए इतने बड़े बड़े त्याग किये, सेक्रीफाइस किये, अब थोड़े बहुत ऑफिसर रह गये हैं, जो सिर्फ अंग्रेजी समझते हैं, क्या वे इतना त्याग, अपने देश के उत्थान के लिए, अपने इतिहास के उत्थान के लिए सभ्यता के उत्थान के लिए, नहीं कर सकते कि अगर उन्हें हिंदी न आवे तो वे तीन चार महीने की छुट्टी ले लें, तीन चार महीने घर पर बैठ कर हिंदी सीख कर फिर सर्विस जोइन करें। उपाध्यक्ष महोदय, आज सरकार हमारी है, स्वतंत्र नागरिकों की है, मैं चाहता हूं कि सरकार इस प्रकार के नियम बना सकती है, जो भी सरकारी कर्मचारी, छोटी छोटी जगह, चौथी क्लास से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक आये, एक टेस्ट दें, जब तक वे हिन्दी लिख पढ़ नहीं सकते, कोई अधिकार नहीं है कि उनसे काम लिया जाय (थम्पिंग) क्योंकि हिन्दी हमारी भाषा है।

अब समय हो गया है, और चीफ मिनिस्टर इसका उत्तर देंगे। उपाध्यक्ष महोदय, यह कह कर मैं इस संशोधन प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ, और इस सदन में सब भाई, सदस्य बैठे हैं, उनसे निवेदन करता हूं, इतनी जल्दी करने में थोड़ी आपत्ति आ सकती है, इसलिए राजकीय काम में हिन्दी का प्रयोग किया जाय, और यह संशोधन जो श्री बहादुरसिंहजी का आया है इसको स्वीकार किया जाय, यह मैं प्रार्थना करता हूं।

(अनेक माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष : श्री मुक्तिलाल मोदी।

देखिये आपने इसमें आधे घंटे का लिखा है आपको ५ मिनिट दिये जा सकते हैं।

श्री मुक्तिलाल मोदी : माननीय उपाध्यक्ष, १० मिनिट तो दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : देखिये १५ मिनट मेग्जिमम है उसमें से ५ मिनिट आपको दिये हैं, इतने समय में आप जो कहना चाहें काफी कह सकते हैं।

श्री मुक्तिलाल मोदी (बैराट) : श्री जगदीशप्रसाद माथुर ने हिन्दी भाषा के बारे में सदन में प्रस्ताव रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूं। यह हिन्दुस्तान बहुत पुराना देश है आज जो हिन्दुस्तान की तरक्की हुई है, वह हिन्दी से, संस्कृत भाषा के ज़रिये बहुत बहुत ज्यादा तरक्की हुई है और हिन्दुस्तान से ही दूसरे देशों के अन्दर इस संस्कृत भाषा के ग्रन्थों को ले जाने के बाद उन दूसरे देशों में आज इतनी रिसर्च की जानकारी हुई है। हिन्दुस्तान के ग्रन्थ दूसरे देशों में गये हैं, उनके आधार पर दूसरे देशों में साइन्स बढ़ रहा है, वह इन्हीं के कारण हैं।

श्री उपाध्यक्ष : संस्कृत हिन्दी से निकली है क्या ?

(हंसी)

Page No.72

श्री मुक्तिलाल मोदी : नहीं, साइन्स बोल रहा हूं।

(हंसी)

श्री उपाध्यक्ष : जारी रखिये।

श्री मुक्तिलाल मोदी : दूसरे देशों में हम लोगों ने जाकर देखा है........

श्री उपाध्यक्ष : हम लोग कौन ? आप ही अकेले गये थे ।

श्री मुक्तिलाल मोदी : हिन्दुस्तान के और भी बहुत से लोग गये थे, महाराज ।

(हंसी)

माननीय उपाध्यक्षजी, हमने दूसरे देशों में हिन्दी का कितना प्रचार देखा आज दूसरे देश हिन्दुस्तान के बारे में जितना सोच सकते हैं। उतना हिन्दुस्तान के लोगों को भी चाहिये और हर बच्चे को चाहिये कि हिन्दी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करे। आज दूसरे देश हिन्दी के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, हर स्कूल में यह चीज़ लागू करने के बारे में भी वहां की सरकारें विचार करना चाहती हैं कि हर स्कूल में हिन्दी लागू करें जिससे हिन्दुस्तान और हमारे पुराने सम्बन्ध हैं ये और ज्यादा बढ़ें, हम हिन्दुस्तान के बारे में ज्यादा जानकारी रखें, और हमारे बारे में हिन्दुस्तान के लोग ज्यादा जानकारी रखें । हिन्दुस्तान के लोग जो अंग्रेजी नहीं जानते, संस्कृत भाषा को पूरी तरह से जानते हैं, वहां के लोग भी संस्कृत जानते हैं........

(समय समाप्त सूचक घंटी)

पूरी बात तो कहने दीजिये, साहब ।

श्री उपाध्यक्ष : दो मिनिट और दिये जाते हैं ।

श्री मुक्तिलाल मोदी : ५ मिनिट तो दीजिये, साहब ।

श्री उपाध्यक्ष : आरम्भ रखिये ।

श्री मुक्तिलाल मोदी : वे लोग यह सोचते हैं कि आज एटम बम के बारे में जो बातें चल रही हैं, उसी तरह हिन्दुस्तान ने आज........

श्री उपाध्यक्ष : हिन्दी में एटम बम कहां से आ गया ?

(हंसी)

श्री मुक्तिलाल मोदी : साहब बता रहा हूं सब बातें ।

उसी तरह हिन्दुस्तान के जो लोग हैं, हिन्दी के बारे में हर एक साथी देश को जानकारी करानी है। आज हमारे देश के अन्दर यह चीज होती है और हिन्दुस्तान के अन्दर इस तरह की चीजें पैदा होती हैं। रशिया, चेकोस्लावाकिया और दूसरे कन्ट्रीज़ हैं, वहां हिन्दी के बारे में बहुत से स्कूलसकायम किये हैं। बड़े बड़े ग्रंथ हमने वहां अपनी आंख से देखे संस्कृत के, जो हिन्दुस्तान में बड़े से बड़े विद्वान् हैं उसी तरह वहां संस्कृत के बड़े बड़े विद्वान् हैं और उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा तरक्की करने की सोच रहे हैं। वहां स्कूलों में हिन्दी के बारे में काफ़ी तरक्की की है और हिन्दी के बारे में दिन

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

प्रतिदिन आगे बढाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहां हिन्दुस्तान के अन्दर और खास तौर से राजस्थान के अन्दर तो हिन्दी करना बहुत जरूरी है।

मैं यह नहीं कह सकता कि जगदीश प्रसादजी माथुर के प्रस्ताव में १९५९ का रखा है, वही किया जाय। इससे सरकार के सामने दिक्कत आ सकती है इसके बारे में माननीय सदस्य ने एक अमेंडमेंट रखा है, उस अमेंडमेंट के बारे में भी सरकार सोच सकती है।

श्री उपाध्यक्ष : कौनसा संशोधन ?

श्री मुक्तिलाल मोदी : यथा शीघ्र वाला, यानी तत्काल वाला।

(हंसी)

तत्काल के बारे में कहा है उसके बारे में भी सरकार को विचार करना चाहिये और यह सरकार यह भी सोचे कि आज जो यह प्रस्ताव सदन के सामने आया है, उस प्रस्ताव के बारे में आज फिलहाल ही जवाब नहीं दे तो सरकार आश्वासन तो दे कि हम हिन्दी जल्दी से जल्दी करेंगे और नहीं तो इतना आश्वासन तो सरकार कम से कम दे।

(अनेक माननीय सदस्यों के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष : श्री पी. के. चौधरी।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारे सामने जो प्रस्ताव है, हिन्दी को १९५९ तक यहां पर लागू करने के लिये। मैं समझता हूं प्रस्ताव बहुत अच्छा प्रस्ताव है और उपयुक्त भी है और इसके पीछे जो भावना है वह भी अति सुन्दर भावना है सराहनीय है पर साथ ही साथ मेरा निश्चित मत है कि यह प्रस्ताव अव्यवहार्य है, इम्प्रेक्टिकेबल है। आज हम चाहें कि हिन्दी को अगले साल तक सरकार के सब कामों के लिये लागू कर दें तो वह नहीं हो सकता। इसके सिलसिले में, इसके समर्थन में जो भी भाषण हुए हैं उनसे इस बात को साबित करने की कोशिश नहीं की कि किस तरह इसको अगले साल तक लागू किया जा सकता है। ज्यादातर भाषण इस तरह के हुए हैं कि वाकई में राजस्थान में हिन्दी लागू होनी चाहिये कि नहीं, इस मसले पर भाषण दे रहे थे, ऐसा मालूम हुआ। मैं कहना चाहता हूं कि जहां तक हिन्दी में काम काज चलाने की हिन्दी को प्रादेशिक भाषा मानने की बात है इस सम्बन्ध में सरकार की ओर से ऐलान किया जा चुका है कि हिन्दी राजस्थान की प्रादेशिक भाषा रहे तो इस बारे में कोई समस्या नहीं है हिन्दी को प्रादेशिक भाषा एडोप्ट करने के लिये सरकार को समझाने की जरूरत हो ऐसी कोई बात नहीं है। इस संबंध में सरकार खुद तत्पर है। जहां तक मैं समझता हूं जो दलील पेश की गई है कि लोगों को चूंकि अंग्रेजी में सरकार का काम काज चलता है इसलिये लोग बात नहीं समझ पाते। जहां तक मेरी जानकारी है पब्लिक डीलिंग्स में जो पत्र व्यवहार किया जाता है, वह हिन्दी में किया जाता है। दूसरे बिलों के बारे में कहा गया है, मेरा ख्याल है कि तमाम के तमाम बिलों का हिन्दी में तर्जुमा किया जाता है। सब बिलों को अंग्रेजी में ड्राफ्ट किया जाता है, उसकी वजह यह है कि हमारे हाई कोर्ट्स की लेंग्वेज अंग्रेजी रही है और

Page No.74

(श्री पी. के. चौधरी)

प्रचलित कानूनों का हिन्दी अनुवाद हम आज तक नहीं कर पाये हैं। मैं समझता हूं इन सब बातों को सामने रखते हुए सदन में इस तरह की चर्चा करना, इस तरह की भावना फैलाना, इसका मतलब यह है कि सरकार हिन्दी के खिलाफ है या इस प्रान्त में इस देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो हिन्दी को प्रादेशिक भाषा माना जाय, हिन्दी को अमल में लाया जाय ऐसा नहीं चाहते हैं, ऐसा प्रतीत होता है। पर मैं कहना चाहता हूं कि यह बात नहीं है। जो लोग आज हिन्दी के काम को को एडवोकेट करते हैं हिन्दी को अपनाते हैं, इस किस्म का फेनेटिज्म क्रियेट करके हिन्दी के लिये एक जिहाद शुरू कर दिया है, जहां अंग्रेजी साइन बोर्ड है, उनको मिटा दिया जाय, रंग पोत दिया जाय, यह करने से क्या नतीजा होता है, इससे जिस हिन्दी को बढ़ावा देना चाहते हैं, उसको सरासर नुकसान पहुं-चाते हैं। जहां तक राजस्थान में हिन्दी का सवाल है, कोई इस बात के खिलाफ नहीं है। राजस्थान की भाषा हिन्दी हो आज देश के सामने जो समस्या है वह यह है कि हिन्दी को राष्ट्र भाषा बनाई जावे और अगर बनाते हैं तो आप जानते हैं कि यह हिन्दी २५ प्रतिशत लोगों की मदर टंग यानि मातृ भाषा है। जहां तक मैं समझता हूं ३० करोड़ में से ७ या ८ करोड़ लोग हिन्दुस्तानी में बोलते होंगे।

श्री जनार्दनराय नागर : २१ करोड़ जनता है।

श्री पी. के. चौधरी (जारी) : बाकी के लोग दूसरी भाषा में बात-चीत करते हैं। इसके अलावा अभी जैसा कि मालवी से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया कि २१ करोड़ जनता है, जो हिन्दी जानती है। मगर मैं यह कहूंगा कि उन्होंने खुद ने अभी कहा है कि यहां पर कोई लोग राजस्थानी भाषा में बातें करते हैं और कोई किसी प्रकार की भाषा बोलते हैं और गांवों के लोग हैं राज-स्थानी चाहते हैं। इसलिये यह कहना कि हिन्दी २१ करोड़ पब्लिक जानती है, यह गलत है। मगर सही माने में, हिन्दुस्तान में, ७ या ८ करोड़ पब्लिक की भाषा है और उसके लिये हम यह मानते हैं कि ४० करोड़ पब्लिक उसको स्वीकार करे, एक्सेप्ट करे। आप इसको राष्ट्रीय भाषा माने या नेशनल लेंग्वेज माने मगर दूसरे कई प्रान्त ऐसे हैं, जिनमें हिन्दी भाषा में नहीं बोलते हैं और न हिन्दी भाषा समझते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो उनके प्रति प्रतिरोध की भावना पैदा करते हैं और आप यह बताते हैं कि हिन्दी....

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

थोड़ा समय और चाहिये। इस लिये मान-नीय उपाध्यक्ष, मेरा प्रस्ताव है कि जो यह प्रस्ताव सदन के सामने रखा गया है, उसके पीछे बहुत सुन्दर भावना है लेकिन मैं इस प्रस्ताव को इमप्रेक्टीकेबल समझता हूं।

दूसरी बात मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये कह देना चाहता हूं कि यह मोरटल इश्यू करके लागू करना चाहिये तो यह असंभव बात नहीं है। आपको मालूम है कि पहले पैलेस्टाइन में यहूदियों ने लिब्र भाषा को जबरदस्ती थोप दिया था। लिब्र भाषा, जिस तरह से संस्कृत डेड लेंग्वेज है उसी तरह से थी, मगर उन्होंने उसको वहां की भाषा बनाई। हिन्दी को आप प्रेक्टीकल शेप देना चाहते हैं आप यह चाहते हैं कि

(श्री पी. के. चौधरी)

३० या ४० करोड़ लोग हिन्दी को राष्ट्रभाषा माने तो आपको इन सब को साथ लेकर चलना होगा और इन सब बातों को देखते हुए, कोई भी बात ऐसी नहीं पैदा हो, जिससे किसी प्रकार का झगड़ा पैदा हो। जैसा कि आज पंजाब में हो रहा है। मैं सिर्फ इस संबन्ध में आपको इशारा करना चाहता हूं। यदि एक दफे आप भावनाओं को उभारने की कोशिश करेंगे तो फिर उसको रोकना मुश्किल होगा। इसलिये माननीय सदस्य डा० बहादुरसिंहजी ने जो प्रस्ताव रखा है कि जितना जल्दी संभव हो सके हिन्दी को इस प्रान्त में राइज़ किया जाए, इसको पास किया जाए।

श्री भैंरवलाल (कालाबादल) : उपाध्यक्ष महोदय,

एक माननीय सदस्य : On the point of order, Sir. अभी थोड़ी देर पहले उपाध्यक्ष महोदय ने कहा था कि ११. २० तक बहस चलेगी और बाद में इसका उत्तर दिया जावेगा क्या उस निर्णय को बदल दिया गया है?

श्री उपाध्यक्ष : कुछ समय एक्सीडेन्ट कर दिया गया है।

श्री भैंरवलाल कालाबादल (अकलेरा) : उपाध्यक्ष महोदय, आज हाउस में, हमारी राष्ट्रभाषा हिन्दी को जल्दी से जल्दी कार्यरूप में परिणत की जावे, इस बारे में वाद विवाद चल रहा है। माननीय उपाध्यक्ष मैं आपके द्वारा हाउस का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि हमारे देश में बहुत वर्षों पहले यह प्रथा थी कि निंदक नियरे राखिये आंगन कुटी छवाय, यानि जो व्यक्ति निन्दा करता है उसको अपने आंगन में कुटी छवा कर रखना चाहिए, और रखा जाता था. जिससे यह होता था कि काम करने वालों की अच्छाई और बुराई का पता लगता रहे। मगर आज इन बहस के दरमियान में सुनने के बाद मुझे तो ऐसा लगता है कि माननीय कई सदस्य केबिनेट में बैटने वालों की तरफ देखते रहते हैं। वे वह सोचते हैं कि केबिनेट में बैठने वाले माननीय सदस्य शायद यह चाहते हैं कि अंग्रेजी भाषा बनी रहे। वे उनका रुख देख कर बोलना चाहते हैं। यदि केबिनेट के माननीय सदस्यों की भावना देख कर बोलेंगे तो हमारा क्या भला होगा। लेकिन मैं यह कह देना चाहता हूं कि केबिनेट के माननीय सदस्य भी यह नहीं चाहते कि हमारे देश में अंग्रेजी भाषा रहे और कितने ही सदस्य यह चाहते हैं कि कहीं वे नाराज नहीं हो जावें इसलिये, वे उनके पक्ष में बोलेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : आप किसी माननीय सदस्यों के बारे में न कहिये, तथ्यों पर ही चलें।

श्री भैंरवलाल कालाबादल : मैं किसी माननीय सदस्य के बारे में नहीं कह रहा हूं। मैं यह बताना चाहता हूं कि अंग्रेजी भाषा ने हमारे देश को गुलाम बनाया। हमारे बच्चों को गोली के घाट उतारा। वह किस लिये, इसलिये कि जिस समय विदेशों से अंग्रेज आये तो सबसे पहले उन्होंने विदेशी अपनी अंग्रेजी भाषा को घर घर में फैलाया और उन्होंने उसको सैंकड़ों वर्षों तक कायम रखा। आज अंग्रेज चले गये बहुत अच्छा हुआ। अंग्रेजों ने जाना मान लिया, मगर अंग्रेजों के एजेन्टों ने अभी तक अंग्रेजी को

Page No.76

(श्री भैवरलाल कालाबादल)

यहां से निकालना नहीं माना ।

(करतल ध्वनि)

अंग्रेज चले गये, महात्मा गांधी ने हमको संदेश दिया और कहा कि अंग्रेजों भारत छोड़ कर चले जाओ । अंग्रेज बेचारे अच्छे थे, वे महात्मा गांधी की बात पर भारत छोड़ कर चले गये । मगर अंग्रेजों के एजेन्टों ने इस भाषा को अभी तक तिलाजंली नहीं दी और फिर भी ज्यों की त्यों कायम रखना चाहते हैं । माननीय उपाध्यक्ष, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जहां हम राजाओं को बुरा बताते थे, वे लोग भी अपना राज काज हिन्दी में ही चलाते थे । माननीय उपाध्यक्ष, हमारे यहां के चीफ़ मिनिस्टर उस क्षेत्र से आये हुए हैं जहां सारा कार्य हिन्दी भाषा में होता था । वहां की सारी चिट्ठियें हिन्दी में लिखी जाती थीं, उनकी लिखावट इस प्रकार थी, श्री श्री १०८ श्री इकलिंगजी महाराज साहब ने हुक्म फ़र्माया है" इस तरह की सरल भाषा होती थी, वहां के हमारे सदन के नेता महोदय हैं और सदन का भार सम्हाले हुए हैं ? यह तो दुःख उनको भी होता है अंग्रेजी भाषा में काम हो रहा है, वे भी यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हिन्दी भाषा में काम किया जाय । लेकिन इतना होते हुए, इतने दिनों तक यह भाषा अंग्रेजी, यहां पर नहीं रहनी चाहिये थी ।

इसके अलावा मेरे कहने का मतलब यह है कि आज जो राज्य का गजट निकलता है उस पर लिखा जाता है हिन्दी , में"राजपत्र विशेषांक' । जब हम उसको देखते हैं तो यह समझते हैं कि सारी बातें हिन्दी में ही होंगी लेकिन जब हम अन्दर से देखते हैं तो हम देखते क्या है कि सारा राज-पत्र अंग्रेजी से भरा मिलता है ।

इसके अलावा दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस बिल को प्रस्तुत करते हैं उसमें हिन्दी में यह लिखा रहता है कि आज वित्त मंत्री फलां बिल प्रस्तुत करेंगे मगर बिल हिन्दी में न मिल कर हमको अंग्रेजी में मिलता है । मैं समझता हूं कि यह हिन्दी कितने दिन में लागू होगी । मगर मैं यह कहूंगा कि जिस अंग्रेजी भाषा के कारण जलियान वाला कांड हुआ, कई लोग गोली के शिकार बने और उसके बाद अंग्रेजी का घर घर में प्रचार हुआ, लाखों की जानें गई, उसके लिये, एक बार तो हमारे मुख्य मंत्रीजी को जवाब यही देना चाहिये कि राजकाज में अंग्रेजी भाषा नहीं रखनी चाहिये । अंग्रेज तो यहां से चले गये, मगर यहां पर विदेशी अंग्रेजों के काले अंग्रेज एजेन्ट यानि काले अंग्रेज रह गये ।

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

इन शब्दों के साथ मैं यह कहूंगा कि माननीय सदस्य जो इस तरह से बोलते हैं कि राजा साहब जब पूछते कि अभी दिन है या रात दिन के समय बोलते हैं या रात में तो जी हजूर ये कहते, राजा की भावना के अनुसार दिन को कहते हैं, कि अन्दाता रात है । तो मैं यही कहूंगा कि इस प्रकार आप न करें । आप यह न समझें कि मंत्री महोदय अंग्रेजी के पक्ष में होंगे

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

इसलिये माननीय सदस्य भी अंग्रेजी भाषा का पक्ष करें । इन शब्दों के साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि राष्ट्रभाषा हिन्दी हो ।

Page No.77

श्री शिवचरणदास (मांडल) : उपाध्यक्ष महोदय, इस देश की आज़ादी को निभाने के लिए, मैं समझता हूं, जब तक यहां की वेष-भूषा और भाषा को आगे नहीं बढ़ायेंगे, मजबूत नहीं बनायेंगे तब तक उसकी आज़ादी को हम नहीं निभा सकते, ऐसा मेरा मत है। उपाध्यक्ष महोदय, हम एक तरफ यह मानते हैं कि राष्ट्र भाषा हिन्दी करेंगे, लेकिन येन केन प्रकारेण उसको गुज़ारना चाहते हैं, जैसा कि एक संशोधन आया है कि "यथा शीघ्र" शब्द इसमें जोड़ दिया जाय और एक प्रकार से इसको जो टालने की कोशिश की जा रही है उसका एक ही मतलब है, उपाध्यक्ष महोदय, कि हिन्दी को जल्दी से लागू नहीं करना चाहते। हिन्दी हमारी मातृ भाषा है। प्रत्येक नागरिक, चाहे देहाती हो, उसकी मातृभाषा हिन्दी है, एक बच्चा बोलना सीखता है तो वह स्वभावत: हिन्दी में ही बोलना सीखता है, यह हमारी जन्मसिद्ध अधिकार की भाषा है। उसके लिए यह कह देना की कठिनाई आ जायगी, कोई यह उपयुक्त बात नहीं हुई। यह भी कह दिया जाय कि सचिवालय में ऐसे लोग हैं जो हिन्दी को नहीं समझते हैं, उन लोगों के लिए अन्य सबों पर यह कानून थोप दिया जाय कि विदेशी भाषा में काम काज चलायें, मैं समझता हूं कि यह हमारे इस आज़ाद देश के लिए, उसकी आज़ादी के लिए भी उपयुक्त नहीं है। मैं समझता हूं कि फिर से उसी गुलामी को निमंत्रित करते हैं। जिसके लिए काफी कुर्बानी हुई थी और इतनी बड़ी आवाजें उठाकर कामयाबी प्राप्त की थी, उसी गुलामी को फिर से निमन्त्रित करना चाहते हैं। किसी देश की आज़ादी, जब तक उसकी मातृभाषा को, राष्ट्रभाषा का रूप नहीं देंगे, वह आज़ादी अधूरी रहेगी, उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा मैं मानता हूं। एक नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा कि इस तरह से इतनी जल्दी भावुकता में नहीं बह जाना चाहिए कि जिससे नुकसान कर बैठें। लेकिन मैं नहीं समझता, उपाध्यक्ष महोदय, अपनी मातृभाषा के लिए, उन्हीं के शब्दों में भावुकता कहें, यह ठोस मांग है। जिससे हम अपनी मातृभाषा को राष्ट्रभाषा बनाने जा रहे हैं। यह भावुकता नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो यहां तक कहने के लिए तैयार हूं कि हमारे इस संकल्प को बिना किसी विचार के यदि यह सदन पास कर देता तो हमारी उस भावना को, जो वर्षों से कुचली जा रही हैं, लागू कर सकते थे। एक माननीय सदस्य के लिए कह सकता हूं कि भले ही उनके संस्कार अंग्रेजी राज्य के ज़माने में नसीराबाद अंग्रेजों की छावनी थी, वैसे पड़े हों।

(घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : Order! Order! माननीय सदस्य ऐसे शब्दों का प्रयोग न करें।

श्री शिवचरणदास : शब्दों का नहीं, यह संस्कार जिसके साथ रहते हैं।

(घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : मेरी व्यवस्था का निवेदन है।

श्री शिवचरणदास : उनके अपने विचारों को सब पर थोपें, मैं समझता हूं यह सब के लिए जरूरी नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे दुःख इस बात का है कि कुछ दिन पहले ऐसी आज्ञा जारी की गई थी कि जितने भी विभाग हैं उनके नाम पट हिन्दी में लिखे जांय। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज तक

(श्री शिवचरणदास)

उसकी तामील नहीं हो पायी और कई विभागों के नाम अंग्रेजी में नज़र आते हैं। हमारी मातृभाषा की अवहेलना हो, तिरस्कार हो यह शोभनीय चीज़ नहीं है। इसलिए मैं समझता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, अगर हम हमारे इस शासन को प्रजातंत्र कहते हैं, सच्चे माने में संचालन करना चाहते हैं, प्रत्येक नागरिक का मत हॉसिल करना चाहते हैं, उनकी राय हॉसिल करना चाहते हैं, उनके द्वारा शासन संचालन करना चाहते हैं, तो हमारे लिये यह जरूरी हो जाता है कि हमारे राज काज हिन्दी भाषा में हों, जिससे ग्राम्य जीवन व्यतीत करने वाले नागरिकों का सम्बन्ध, हमारे यहां के काम काज से बना रहे। अभी वे कोसों दूर पड़े हुए हैं। ग्राम्य जीवन व्यतीत करने वाले जो व्यक्ति हैं अंग्रेजी नहीं समझ सकते। हमने यहां तक देखा है कि अदालत से जो अंग्रेजी में सम्मन जारी होते हैं, उस व्यक्ति को अंग्रेजी में सम्मन जारी होता है जो हिन्दी भी पढ़ा लिखा नहीं है, हालांकि उसकी बोलचाल की भाषा हिन्दी है लेकिन हिन्दी पढ़ा लिखा नहीं होता। वह सम्मन उसको अंग्रेजी में जारी होता है और ऐसे तावान के साथ कि यदि तुम पेशी पर हाजिर नहीं हुए तो तावान वसूल किया जावेगा। कितने खेद और दुःख का विषय है। एक नागरिक आज़ादी के इन्तजार में था, उसको आज़ादी मिली, लेकिन अंग्रेजी भाषा को उसकी मातृभाषा पर इस प्रकार थोपना चाहते हैं, लोगों के विचारों पर थोपना चाहते हैं, मैं समझता हूं यह हमारे लिए शोभनीय चीज़ नहीं है।

(घंटी)

इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, सदन से निवेदन करूंगा कि वह कौनसे दिन फिर ऐसा मौका आयगा। विपक्ष की ओर से चाहे कोई अच्छी बात कही जाय, किसी तरह की बात कही जाय, केवल बहुमत के प्रमाद में टालते रहे हैं। मैं कई बार निवेदन कर चुका हूं कि सदन का बहुमत आकिये, प्रान्त के बहुमत को आंकिये। आप हमारी आवाज नहीं सुनते हैं जो इन बातों का प्रान्त के ऊपर प्रभाव पड़ता है उसका क्या असर हो सकता है, इसको आप गंभीरतापूर्वक सोचें। इन शब्दों के साथ मैं सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि यह सामयिक संकल्प जो हमारे सामने प्रस्तुत हुआ है, उसको बिना किसी सोच विचार के मान लेना चाहिए। यदि "यथा शीघ्र" के स्थान पर "शीघ्रातिशीघ्र" जोड़ दिया जाय तो उपयुक्त होगा, इन शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्री।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य-मंत्री) : माननीय उपाध्यक्षजी, जो प्रस्ताव इस सदन के समक्ष प्रस्तुत हुआ है और जिस पर करीब दो दिन से, दो दिन यों कहना चाहिए कि एक दिन पहले भी, वादविवाद हुआ है वह एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव है, इसमें दो राय नहीं हो सकती है और इस प्रस्ताव को लेकर यहां पर बहस हुई है वह भी बहुत हद तक उपयोगी है; क्योंकि सदन के विचार पहले जानते हैं उससे भी और बहुत सी बातों की जानकारी मिली है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक इस सरकार का प्रश्न है, हम इस बात के समर्थक रहे हैं कि राजस्थान के अन्दर हिन्दी भाषा को जितना हो सके राज-काज में लाया जाय। हां, यह ठीक है, जो इस प्रस्ताव की मंशा है, संशोधन की मंशा है या जो भाषण हुए हैं उनसे यह

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

बात स्पष्ट मालूम होती है कि राजस्थान में यह जल्दी से जल्दी लागू हो। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हम यह भली प्रकार समझते हैं कि राजकाज की भाषा और आम लोगों की भाषा के बीच में अन्तर नहीं होना चाहिए। दोनों के बीच में सामन्जस्य होना चाहिए जिससे राज्य और आम लोगों की जो भाषा है उसके बीच की बाधा दूर हो जाय और वे समझने लगे कि जो भाषा हम प्रयोग करते हैं वह उन्हीं की भाषा है। इसके वाद-विवाद में कई चर्चायें हुई। जहां तक राजस्थान का प्रश्न है मैं समझता हूं, हमारा यह सोचना उचित है कि जितना जल्दी हो सके हिन्दी भाषा के अन्दर काम चलायें। यह प्रस्ताव जो मूल रूप में प्रस्तुत किया गया है, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, उसमें यह कहा गया है कि सदन की राय है कि सन् १९५९ के अन्त तक राज्य का सम्पूर्ण कामकाज राष्ट्र भाषा हिन्दी में किया जाना प्रारम्भ कर दिया जाय। अब जब हम सम्पूर्ण कार्य की बात करते हैं तो उसका मतलब स्वाभाविक तौर से यह होता है कि राजस्थान में दूसरे अन्य विभाग है, एकॉउन्टेन्ट जनरल का दफ्तर है, जिनसे हमारा सम्बन्ध रहता है, हमारे विभाग हैं, टेक्निकल विभाग हैं उन सब की भाषा हिन्दी हो जानी चाहिए, सन् ५९ के अन्त तक। जब हम इस प्रश्न पर विचार करते हैं तो यह सारा प्रश्न राजस्थान सरकार पर ही निर्भर हो यह बात नहीं, बल्कि बहुत सी बातें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। आज हाईकोर्ट को ही लेकर चलें न्याय व्यवस्था किस भाषा में हो, इसके फैसले किस भाषा में हो, इस बारे में नियम बना देते हैं कि हिन्दी में फैसले होंगे तो इस पर विचार करना होगा। कानूनों के बारे में विचार करना होगा। क्योंकि जो फैसले हाईकोर्ट से होते हैं वे सुप्रीम कोर्ट तक चले जाते हैं, इन सारे पहलुओं पर विचार करना होगा। एकॉउन्टेन्ट जनरल का दफतर भारत सरकार का दफतर है, जब तक अंग्रेजी भाषा के अन्दर यहां का कार्य होता है, यदि हम इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं तो इस बारे में भी व्यवहारिक दृष्टि से विचार करना होगा। इसके अलावा भारत सरकार से कई पत्र अंग्रेजी में आते हैं टेकनिकल डिपार्टमेन्टस् के मुतल्लिक तो यदि हम इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं तो इसका मतलब होगा हरेक का जवाब दिया जाय वह हिन्दी के अन्दर दिया जाना चाहिये, चाहे वह पत्र किसी भी विभाग से सम्बन्धि रखने वाला हो।

हमारा इस राय से कतई मतभेद नहीं है कि राजस्थान के अन्दर हिन्दी भाषा का प्रयोग जितना जल्दी किया जा सके किया जाना चाहिये। लेकिन ऐसा करने के लिए हमें किन किन स्टेजेज से गुजरना होगा, इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करके, हर पहेलू के आधार पर नतीजा निकालें तो यह रास्ता सुगम हो सकता है। इसमें कोई विरोधात्मक बात नहीं। इस बारे में इस पक्ष के लोगों में और उधर बैठने वालों में किसी प्रकार का अन्तर हो यह मानकर चलने का प्रश्न नहीं है।

आजादी की लड़ाई इसलिये लड़ी गई कि हमारा देश हो और हमारी भाषा हो ऐसी बातें उस पक्ष वालों ने ज्यादा कहीं। आजादी की लड़ाई लड़ने के दौर में हम लोग गुजरे हैं, हमारी ओर से इस बारे में ज्यादा कहा जा सकता है कि किसी भी भाषा में काम हो, किसी भी भाषा को हम लागू करें इस बारे

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

में भावनाओं की कमी इधर बैठने वालों में कम नहीं है। जो भी भाषण यहां हुए, इस बारे में और भी अधिक कहा जा सकता है। इसमें कोईअन्तर की बात नहीं। इस विषय में पहले कमेटियां बिठायीं, उन्होंने जो रिपोर्टस दी उसके अनुसार आदेश भी हुए। इस बारे में मुझे यह स्वीकार करते हुए झिझक नहीं होती कि जो आदेश दिये गये थे, उनको पूर्ण रूप से कार्यान्वित नहीं किया गया। कई जगह अन्तर आया भी इस बारे में, माननीय सदस्यों ने भी कहा इसके अलावा ये बातें हमारे सामने भी आयी इन चीजों के अन्दर हम सोच विचार कर रहे हैं कि इनको ठीक करने की कोशिश की जाय और उसी के अनुसार दुबारा आदेश जारी किये गये, इनको ठीक करने के। मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा सदन से निवेदन कर देना चाहता हूं कि माननीय सदस्यों और सरकारी व्यक्तियों और दूसरे जो इस मामले में अनुभव रखते हों इन सब को मिलाकर जल्दी से जल्दी राज्य सरकार एक कमेटी स्थापित करना चाहती है। जो इस बात पर सोच विचार करके रास्ता निकाले कि किस तरह से जल्दी से जल्दी राजस्थान के अन्दर हिन्दी भाषा को हम लागू कर सकें। इसमें कोई विरोधाभास का प्रश्न नहीं है। जहां हम एक दूसरे के विचारों को सुनने के लिये बहस करते हैं, वहां हमें एक दृष्टिकोण समझने का ज्यादा मौका मिलता है और वह अवसर देना चाहते हैं। और इसलिये कमेटी का निर्माण करना चाहते हैं ताकि वह इस संबंध में विचार करके कोई मार्ग निकालें। वह न भावनाओं का प्रश्न है और न विरोध का ही प्रश्न है। जैसा कि अभी जिक्र किया गया अगर इस बारे में आन्दोलन किया जाता है बोर्ड लगाने से या किसी साइन बोर्ड पर स्याही आदि पोतने से, हिन्दी भाषा की सही सेवा हो सकती हो, यह बात मैं मानने के लिए तैयार नहीं। आप मुझे इस बात के लिये क्षमा करें। मैं यह भी निवेदन कर देना चाहता हूं कि आज दिन तक भारतवर्ष के अन्दर बहुत आन्दोलनात्मक कार्य करके हिन्दी भाषा की शायद ज्यादा सेवा नहीं की। जहां हम जिस भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में लाना चाहते हैं वहां हमें कई बातों पर विचार करना पड़ेगा। सदन के कुछ माननीय सदस्यों ने इसका जिक्र भी किया और भारत के अन्य प्रान्तों का क्या दृष्टिकोण है उसको भी रखा। सारे देश का यह प्रश्न है इस बारे में गोहाटी के कांग्रेस अधिवेशन में जो प्रस्ताव पास किया गया वह देश की एकता और देश की स्वतन्त्रता और देश की बेहबूदी को देखते हुए, बहुत उचित है। अगर हम भाषा के प्रश्न को लेकर इसको यदि आन्दोलनात्मक स्वरूप हम दे पाये तो मैं यह मानता हूं कि जिस उद्देश्य को लेकर हम चलना चाहते हैं। उस उद्देश्य सक पहुँचना दूर होता चला जायगा। आज तो आवश्यकता इस बात की है कि हम हिन्दी भाषा को अधिक से अधिक समृद्धिशाली बनायें, जिससे सारा देश इसे स्वीकार करके इसको आगे बढ़ा सके, इस प्रयत्न की ओर हमें गंभीरता से लगना पड़ेगा। जहां हम आन्दोलन का रूप देकर इसको हल करना चाहेंगे वहां मेरी ऐसी मान्यता है, जिस भाषा को देश व्यापी बनाने का इरादा रखते हैं उसमें ज्यादा मुश्किलें पेश होती जायगी। हमें देश के अन्दर एकता कायम रखनी है। यह सही है कि दक्षिण में हिन्दी भाषा के बारे में कई दृष्टिकोण हैं फिर भी मैं अपनी जानकारी के आधार पर इतना कह सकता हूं कि हिन्दी

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

भाषा को पढ़ने के लिए और प्रचार के लिये जितना प्रयत्न दक्षिण में किया गया उतना अन्य जगहों पर नहीं हुआ और मेरी तो यह निश्चित मान्यता है कि अगर हम आन्दोलन करते तो यह स्थिति दस वर्ष तक भी आने वाली नहीं थी। वे आज यह समझते हैं कि देश के अन्दर एक राष्ट्रभाषा के रूप में भाषा जायगी और वह हिन्दी होगी और उसको सीखने के लिये वे प्रयत्नशील हैं। किसी भी राज्य के लिये कटु वातावरण पैदा करने से हम कुछ हासिल कर लेंगे यह मान्यता बिल्कुल गलत है। हमें इस बात को देखना चाहिये कि जहां विधान के अन्दर इस बात को स्वीकार किया गया है कि अलग अलग राज्यों में उनकी अपनी प्रादेशकि भाषा का विकास हो। मद्रास में तामील में काम करना चाहते हैं, दूसरे मलयालम के अन्दर करना चाहते हैं, बंगाल में करें और हम अपनी हिन्दी भाषा में काम करें। प्रादेशिक भाषाओं में काम करने से राष्ट्रभाषा को किसी प्रकार का आघात नहीं पहुंचता। हमने अपने प्रान्त के लिए जहां तक प्रादेशिक भाषा को स्वीकार करने का सम्बन्ध है हमने हिन्दी को प्रादेशिक भाषा के रूप में माना है। राजस्थानी का भी यहां प्रश्न उठाया गया। मैं इस वाद विवाद में पड़ना नहीं चाहता फिर भी मेरी यह मान्यता है कि राजस्थान की एकता को कायम रखते हुए यहां हिन्दी भाषा ही ज्यादा उपयोगी हो सकती है। जहां हम इस वाद विवाद में पड़े कि हाडोती के शब्द कितने रह गये या बागड़ी भाषा के कितने शब्द आ गये या बृजभाषा के या ढूंढारी के कितने शब्द काम में लाये गये तो यह एक प्रकार से अलग बहस का विषय बन जायगा। जब भी राज काज की भाषा का प्रश्न आता है इसमें दो राय नहीं है कि यहां भी राजस्थानी भाषा की यदि किसी ने चर्चा की है तो उनकी यह मन्शा नहीं थी कि राज-काज इसी भाषा में हो। उन्होंने इशारा इस बात का किया कि इस तरह की लोगों के अन्दर भावना पैदा हो रही है, लोग तरक्की करना चाहते हैं अलग अलग जगहों पर बोली जाने वाली भाषा का साहित्य बढ़े और इसी के अन्दर ही देश की समृद्धि हो सकती है। राजस्थानी भाषा का यदि साहित्य समृद्ध होता है तो हमें इससे कतई विरोध नहीं, हम तो यह चाहते हैं कि राजस्थानी साहित्य आगे बढ़े।

लेकिन राज काज की भाषा का जहां तक प्रश्न है, मैं ऐसा समझता हूं कि सदन में और आम तौर से सभी जगह हम लोग यह चाहते हैं कि हिन्दी भाषा में काम वहां ज्यादा से ज्यादा हो और जैसा मैंने आपसे निवेदन किया। यह विषय बहुत वाद विवाद का है मैं नहीं मानता कि जिसके अन्दर पक्ष और विपक्ष की बात हो। हमने तो शुरू से ही इस मामले में प्रयत्न किया और जैसा मूल में सवाल आया कि हिन्दी भाषा में टाइप करने वालों की ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी इसके लिए हमने क्लासें खोली और इसका पहला बैच जो पास होकर निकला, वह एक तरह से तैयार हो गया। दूसरे बैच की तैयारी जारी है। यह क्रम हम चलाते रखना चाहते हैं। तो इस तरह के काम हमें पहले करने पड़ेंगे क्योंकि इनके अभाव में हम चाहें तब भी, अगर एकदम से इसे करें तो मुश्किलें आती हैं।

अब इसको किस स्टेज में, किस विभाग में कैसे इन्ट्रोड्यूस किया जावे, कब तक किया जावे, क्या क्या दिक्कतें हमारे सामने आ

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

सकती हैं, इन सारे पहलुओं पर विचार करके एक निश्चित योजना सरकार के समक्ष पेश करने के इरादे से हमने यह तै किया है और जैसा कि मैंने निवेदन किया हम इसके लिए जल्दी ही एक कमेटी कायम करेंगे जिसमें सरकार के प्रतिनिधि, सरकार के बाहर के सरकारी और गैर सरकारी सभी होंगे जो मिलकर और जो समस्यायें हैं उनको, यह ध्यान में रखते हुए कि कोई हमारे और आपके उद्देश्य में अन्तर नहीं है, और इस सारे प्रश्न पर इस दृष्टि से विचार किया जावे।

अन्त में, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन से निवेदन करना चाहूंगा कि जो प्रस्ताव आया है और इसमें जो संशोधन डॉ० बहादुरसिंहजी ने अपनी तरफ से दिया है उसमें यह कहा गया है कि हम यथाशीघ्र हिन्दी को राजस्थान के अन्दर लागू करें इस बात से मैं भी सहमत हूं और इस संशोधन के सहित इस प्रस्ताव को अगर सदन एकमत से स्वीकार कर लेता है तो उचित बात होगी। जहां तक सरकार की भावना है सदन में मैंने उसे रख दिया। इसके बाद ज्यादा वादविवाद में मैं पड़ूँ ऐसी आवश्यकता नहीं है। इसलिए इतना ही कह कर, अपनी बात समाप्त करता हूं।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : शीघ्रातिशीघ्र की कोई लाइन भी निर्धारित हो जावे तो ठीक है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैंने निवेदन किया कि जो कमेटी है, वह बैठकर सोच विचार करके जो समय तय करना है करे।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मन्त्री महोदय ने मेरे संकल्प के सम्बन्ध में उत्तर देते हुए, जिस भावना को व्यक्त किया है, वह सराहनीय है। लेकिन देश की स्वतन्त्रता के बाद जब से हिन्दी को १४ वर्ष का बनवास दिया गया है तब से आज तक जब भी हिन्दी को तुरन्त लागू करने का प्रश्न आता है, उस समय अजीब से तर्क हमें सुनने को मिलते हैं।

जहां तक हाई कोर्ट का प्रश्न है और उससे सम्बन्धित टेक्नीकल शब्दों का प्रश्न है उनके लिये हम अलग रास्ता सोच सकते हैं। पर इन बातों को लेकर हमेशा इस प्रकार का प्रयास होता रहा है कि हिन्दी का प्रश्न आगे के लिये टाल दिया जाय। यह अवान्छनीय है। इसमें कारण मैं और देखता हूं। अगर ये दो ही कारण हिन्दी को जल्दी लागू नहीं कर सकने के लिये होते तब तो हम इनके लिये कोई मार्ग निकाल सकते हैं कि जहां प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट या नीचे के कोर्ट हैं वे हिन्दी में अपना काम करें और आजकल करते भी हैं और हाई कोर्ट में अगर दिक्कत आती है, तो वह फिलहाल अंग्रेजी अपना सकती है। हालांकि यह तथ्य है कि हाई कोर्ट में भी राजस्थान में तो जितनी गवाहियां होती हैं करीब करीब ९९ प्रतिशत हिन्दी में होती हैं। फिर भी अगर इन दोनों प्रश्नों पर ही हिन्दी का सवाल अटका हुआ है तो इन दोनों बातों के लिये आज भी मार्ग निकल सकता है कि हाई कोर्ट भी जहां तक टेक्नीकल शब्दों के प्रयोग का सम्बन्ध है, उनको अलग रख कर बाकी को तो हिन्दी में करे। पर खेद का विषय है कि इन दोनों बातों की आड़ लेकर, इस प्रश्न को टाले जाने की कोशिश की जा रही है।

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

अन्य प्रान्तों की बात कही गई। मैं समझता हूं कि उन्होंने मेरे संकल्प की भावना को समझा नहीं। हमें इस प्रश्न पर बाह्य प्रान्तों की बात लानी ही नहीं चाहिये थी।

अन्य प्रान्तों से पत्र व्यवहार का या केन्द्र से पत्र व्यवहार का जहां सम्बन्ध आता है तो इसे आप अंग्रेजी में कर सकते हैं, जब तक उनकी भाषा हिन्दी न हो जाय और इसके लिये हमारे पास अधिकारी हैं। बाकी जिनको अन्य प्रान्तों से या केन्द्र से बात नहीं करनी पड़ती उनको हिन्दी में अपने काम करने में क्या दिक्कत आ सकती है। मेरा कहना यही है कि हम अपने अन्दरूनी मामलों में हिन्दी में व्यवहार करना शुरू कर दें। ऐसी स्थिति में दूसरे प्रान्तों की बात का हौवा खड़ा करना इस मूल प्रश्न को टालना है और सारे मामले को उलझाने की नीयत साफ़ नज़र आती है।

अब यह भी कहा गया कि इस प्रान्त में हिन्दी को लागू कर देंगे तो अन्य प्रान्तों में विवाद खड़े हो जावेंगे। मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में........

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह किसने कहा ?

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा। आपने नहीं।

श्री ज्वालाप्रसाद : मैंने कहा।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : मैं समझता हूं कि सोचने का सवाल नहीं है। मैंने पहले कहा था कि हिन्दी के सम्बन्ध में अगर हमारा प्रान्त आगे होकर कदम उठाता है तो दूसरे प्रान्तों को प्रेरणा मिलेगी। फिर यह भी सवाल है कि हमारे यहां तो हमारी भाषा और लिपि ही सारी की सारी हिन्दी और नागरी है। अगर हम अपने प्रान्त की भाषा में अपना काम काज करते हैं तो इसमें दूसरे प्रान्त में विवाद खड़े होने का कहां सवाल आता है। मद्रास में आज तामिल भाषा का प्रयोग अधिकाधिक करने का प्रयास किया जा रहा है और जितना काम हमारे यहां हिन्दी में इस समय नहीं हो सका है। उन्होंने जितने भी टैकनीकल शब्द हो सकते थे, उनका तामिल भाषा में अनुवाद कर लिया है। और अपने राज काम की भाषा को जिस प्रकार राजस्थान प्रयोग में नहीं ला रहा है उससे कहीं अधिक प्रयोग मद्रास प्रान्त तामिल का करने लग गया है। तो यह तो हमारी प्रान्तीय भाषा है। इसमें अगर हम अपना काम काज करते हैं तो दूसरे प्रान्तों में क्या विवाद खड़ा हो जावेगा, यह मेरी समझ में नहीं आया। विवाद उनके प्रान्त दिमागों में जरूर खड़ा हो गया है। तो जहां हम मद्रास से प्रेरणा लें, वहां इस तरह की बातें करना अनुपयुक्त है।

जहां तक केन्द्रीय नीति का प्रश्न है। माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने गोहाटी अधिवेशन के प्रस्ताव का जिक्र किया। गोहाटी के प्रस्ताव को मैंने अच्छी तरह पढ़ा है, इस पर हुआ वाद–विवाद भी अच्छी तरह पढ़ा है और अपने ही प्रान्त के एक प्रतिनिधि श्री कमलनयनजी बजाज ने इस प्रस्ताव की जो आलोचना की वह भी मैंने पढ़ी है। उन्होंने यह कहा है कि इस प्रस्ताव से तो हिन्दी के प्रश्न को टालने का प्रयास किया जा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : आप इस सम्बन्ध में

(श्री उपाध्यक्ष)

कुछ नहीं करेंगे। जो माननीय सदस्य यहां नहीं हैं और जिनकी आलोचना यहां नहीं है, उनका यहां जिक्र नहीं करेंगे।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : आलोचना नहीं कर रहे हैं उपाध्यक्ष महोदय, यह तो उनकी प्रशंसा हो रही है।

(हंसी)

श्री उपाध्यक्ष : किस आधार पर प्रशंसा कर रहे हैं, वे सदन के सामने नहीं हैं।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : वह तो मैं उनकी प्रशंसा ही कर रहा था, उपाध्यक्ष महोदय। कुछ लोग आज देश के अन्दर अंग्रेजी को लादे रखने के लिये इस प्रकार की फूट देश में डालने की कोशिश कर रहे हैं। जिस प्रकार आज श्री राजगोपालाचार्य हैं वैसे दक्षिण में सब लोग नहीं हैं। दक्षिण के अधिकांश विवेकशील व्यक्ति हिन्दी को राज्यभाषा मानते हैं। हमारे केरल के मुख्य-मन्त्री हैं वे बिलकुल अहिन्दी भाषी हैं। पर अभी जब वे चीन गये थे, तो वहां उन्होंने हिन्दी में भाषण दिया। और उन्होंने यह घोषणा की कि केरल प्रान्त तो पक्ष में है कि अंग्रेजी को हटा दिया जाय और राजभाषा हिन्दी की जाय। तो केवल कुछ लोगों के पुष्टीकरण के लिये ही यह प्रस्ताव था और यह पुष्टीकरण की नीति अच्छी साबित न तो हुई और न होगी।

अब यह जो संशोधन आया है कि यथा शीघ्र लागू की जायगी। तो यह यथाशीघ्र की जो भाषा है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह टालने की भाषा है। यदि किसी बात को टालना है तो आज आदमी यह कह देता है यथाशक्ति काम करेंगे। यथाशक्ति काम करूंगा इसका मतलब यह हुआ कि यह काम नहीं करूंगा। तो आज यथाशक्ति और यथाशीघ्र का यह मतलब रूढ़ हो गया है।

श्री उपाध्यक्ष : इस प्रकार किसी माननीय सदस्य के मोटिव के सम्बन्ध में प्रकाश नहीं डालें। यथाशक्ति तो माननीय सदस्य द्वारा अमेन्डमेन्ट प्रस्तुत किया गया है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : यथा शक्ति नहीं है, यथा शीघ्र है, उपाध्यक्ष महोदय, और फिर मैं किसी के मोटिव की बात नहीं कह रहा हूं। मैं तो इस यथाशीघ्र शब्द के पीछे जो आज समाज में एक प्रचलित भावना है उसकी अभिव्यक्ति के बारे में बोल रहा हूं। किसी बात को टालना हो, लम्बा करना हो या न करना हो तो आज की गोलमाल भाषा में यह कह दिया जाता है कि यथाशीघ्र हम यह काम कर देंगे, या यथाशक्ति यह कर देंगे।

आप ५६ की तिथि निश्चित करने को तैयार नहीं हैं। ६५ की जो एक तिथि थी, उसको टालने की कोशिश की जा रही है। पर यह केन्द्र का और संविधान से सम्बन्धित प्रश्न है। हमारे यहां तो हम पहले भी कर सकते हैं तो ऐसी स्थिति में अगर आपको ५६ तक की अवधि नजदीक मालूम पड़ती है तो आप ६० रख सकते हैं। इस अवधि तक तो सारा का सारा काम राज्य का हिन्दी में हो सकता है। अब यथाशीघ्र शब्द भी अगर आप जोड़ना चाहें तो इस तरह जोड़ सकते हैं कि यथाशीघ्र ६० तक कर दिया जावेगा। और फिर अगर आपको संशोधन ही स्वीकार करना है तो डॉक्टर चन्द्रकला ने जो तत्काल

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

लागू करने का संशोधन रक्खा है, वह स्वीकार कर लिया जावे। इसको तो मैं मानने को तैयार हूं। पर बाकी के संशोधनों का तो अर्थ ही यह है कि जिस तरह चल रहा है, जैसी आज की स्थिति है उसे चलने दिया जाय। उसमें कोई परिवर्तन न हो। सदन ने विचार कर लिया इस प्रकार का हमने निर्देशन दिया है, यह बहुत है। यह स्थिति मुझे मन्जूर नहीं एक कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया कि प्राइमरी स्कूलों में आज इस प्रकार के आदेश दिये जाते हैं कि जन मन गन शुद्ध कैसे बोला जावे तो यह आदेश अंग्रेजी भाषा में है। 'जन-मन-गण' को अंग्रेजी भाषा में उल्टा करके उसे सही बोलने का ढंग प्राइमरी स्कूलों को अंग्रेजी में बताया जाता है। प्राथमिक स्कूलों में भेजा गया इस प्रकार का आदेश अंग्रेजी में। यह हमारी स्थिति है आज जैसा मावली से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि अगर किसी को हिन्दी नहीं आती हो तो वह तीन महीने में हिन्दी सिखा सकते हैं। यहां हिन्दी सिखाने का सवाल नहीं है। आज हमारे जितने भी अधिकारी हैं, वह सब हिन्दी जानते हैं। उनमें से कोई भी ऐसा अधिकारी नहीं है जो हिन्दी नहीं जानता। यहां तक कि जो हमारे चीफ सेक्रेट्री मुख्य सचिव हैं, वह कहते हैं कि यदि कोई सदस्य हिन्दी में प्रश्न पूछे तो मैं जवाब दे सकता हूं। तो राज्य के सर्वोच्च अधिकारी ही जब इस तरह कहते हैं और वह भी हिन्दी जानते हैं फिर मैं नहीं समझता कि कौनसा अधिकारी बच रहता है जो हिन्दी नहीं जानता। इस प्रश्न को यों नहीं टाला जा सकता कि हिन्दी नहीं जानते हैं। हाईकोर्ट की भाषा के लिए क्या करेंगे, इस बात को लेकर हिन्दी के प्रश्न को नहीं टाला जा सकता। जिला अधिकारी भी हिन्दी में ही लिखते हैं और जब उन्हें वह चीज़ हाईकोर्ट में भेजनी होती है तो उसके लिए वह अंग्रेजी में लिखते हैं। कोर्टस में जितनी भी गवाहियां दी जाती हैं, वह हिन्दी में ही दी जाती हैं। गांव के सारे लोग जितने भी कचहरियों में आते हैं सब हिन्दी में ही गवाही देते हैं। साथ ही मजिस्ट्रेट भी जिस समय गवाही लेता है तो वह भी हिन्दी में लेता है, मगर क्योंकि उनको हाईकोर्ट का ध्यान रहता है इसके लिए वह साथ ही साथ अंग्रेजी में अनुवाद करते जाते हैं और फिर वह उसको हाईकोर्ट में भेज देते हैं। यदि हाईकोर्ट के आधार पर भाषा के प्रश्न को टालना चाहें तो यह गलत होगा। लेकिन मुन्सिफ की अदालतें हैं, मजिस्ट्रेट्स की अदालतें हैं, यह सब हिन्दी में ही अधिकतर काम करती हैं और कहा जाय कि हाईकोर्ट की भाषा ऐसी है इसलिए उनको भी छुट्टी मिल जाती है और वह भी आराम से अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करते हैं। अगर माननीय मुख्य मंत्री महोदय को ५६ के बारे में कोई एतराज है तो ६० कर दें ६१ करदे इसमें मुझे एतराज नहीं है। लेकिन यथाशीघ्र शब्द का जो प्रयोग किया गया है, वह ५६ के पहले कर दिया जाय तो वह मुझे स्वीकार होगा। लेकिन ५६ को उड़ाकर केवल यथाशीघ्र लागू करना चाहिए तो यह मुझे मान्य नहीं हो सकता और इस प्रकार से यह प्रस्ताव जैसा माननीय सदस्य चाहते हैं, उनके भावों को प्रकट नहीं करता है और जयपुर से आने वाली माननीय समस्या ने कहा है कि यथाशीघ्र जोड़ दिया जाय, इसके लिए मैं कहूंगा कि यह ५६ के पहले जोड़ दिया जाय तो मुझे कोई एतराज नहीं है।

Page No.86

श्री उपाध्यक्ष : श्री मूलचन्दजी डागा आप अपना संशोधन वापिस लेते हैं ?

श्री मूलचन्द डागा : जी हां।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री मूलचन्द डागा ने प्रस्तुत किया है उसको वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

संशोधन वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री मूलचन्द डागा : मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं।

डॉ० चन्द्रकला : उपाध्यक्ष महोदय मेरा संशोधन स्वीकार करने में क्या कठिनाइयां हो सकती हैं, यह मेरी या किसी की समझ में नहीं आता फिर भी माननीय मंत्री महोदय ने अपनी मजबूरी बताई है, इसलिए मैं सदन से अपना संशोधन प्रस्ताव वापिस लेने की अनुमति चाहती हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन डॉक्टर चन्द्रकला ने प्रस्तुत किया है उसे वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

संशोधन वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की गई

डॉ० चन्द्रकला : मैं अपना संशोधन प्रस्ताव वापिस लेती हूं।

श्री उपाध्यक्ष : डॉ० बहादुर सिंह।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रस्ताव वोट के लिए लिया जाये।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : मुझे स्वीकार नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि डॉ० बहादुरसिंह द्वारा जो संशोधन प्रस्तुत किया गया है उसे स्वीकार किया जाय ?

(मत–दान के पश्चात्)

(विराम)

'हां' पक्ष जीता)

श्री भैरोंसिंह : ना पक्ष जीता.

श्री उपाध्यक्ष : Then a division ?

श्री भैरोंसिंह : Yes, Sir.

(विभाजन घंटी के पश्चात्)

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन डॉ० बहादुरसिंहजी ने प्रस्तुत किया है स्वीकार किया जावे ?

'हां' पक्ष जीता।

श्री भैरोंसिंह : 'ना' पक्ष जीता.

श्री उपाध्यक्ष : Divsion then.

'हां' पक्ष के महोदय 'हां' लोबी में व 'ना' पक्ष के महोदय 'ना' लोबी में प्रस्थान करें।

डॉ० चन्द्रकला : 'लोबी' की भी हिन्दी कर दी जाये तो अच्छा हो।

Page No.87

श्री उपाध्यक्ष : सभी की हिन्दी ठीक नहीं।

(विपक्ष के सदस्यों द्वारा 'ना' पक्ष के सभाकक्ष से "राज काज हिन्दी में हो" के नारे लगाते हुए भवन के प्रांगण में मतगणना के पश्चात् प्रवेश करना)

श्री उपाध्यक्ष Order ! Order !!

श्री श्रीभानसिंह : I think this Narabazi, Slogans is against the decorum of the House.

(विराम)

श्री श्रीभानसिंह : On a point of order, Sir. They are intimidating me.

(हंसी)

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : माननीय उपाध्यक्ष, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस वक्त जो डिवीज़न हुआ और उसके बाद में जो माननीय सदस्य 'ना' पक्ष की तरफ गये थे। वे जो नारे लगाते हुए सदन में इस प्रकार से आये कि यह इस सदन की प्रतिष्ठा के अनुकूल नहीं है और यह एक बहुत गलत बात है कि हम इस प्रकार की बात सदन के अन्दर चलाएं कि कई चीजों पर नारे होने लगते हैं। सदन में तो मैं समझता हूं कि वह ठीक नहीं है। यह गलत परम्परा साबित होगी। इसलिए मैं यह प्रश्न आपकी व्यवस्था के लिए उपस्थित करता हूं।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) उपाध्यक्ष : महोदय, जहां तक प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली का प्रश्न है, यह बात निर्विवाद रूप से स्वीकार की जाती है कि जो कुछ बहुमत का निर्णय होगा वह इस सदन में सबको मान्य करनी पड़ेगी। लेकिन प्रश्न यह एक आता है कि प्रजातन्त्र की आड़ में बहुमत अपनी शक्ति का दुरुपयोग करना चाहे तो वहां अल्पमत के सामने एक प्रश्न पैदा होता है कि वे उस बहुमत के सामने........

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : On a point of Order, Sir.

(विरोधीपक्ष की ओर से जोरों से थपथपाहट)

श्री उपाध्यक्ष : Order ! Order !!

श्री उपाध्यक्ष : Yes, I am entertaining your point of order, Hon'ble Member.

श्री ज्वालाप्रसाद : On a Point of Order. जो सवाल नेता महोदय ने उठाया है वह केवल इतना है कि आया सदन के अंदर डिविज़न के बाद इस तरह की नाराबंदी होनी चाहिये या नहीं, इसके लिये आपकी व्यवस्था मांगी है। इस व्यवस्था द्वारा जस्टिफिकेशन का सवाल नहीं है, बहुमत कैसे होता है कैसे नहीं होता है, इसका सवाल नहीं है; आपसे जो व्यवस्था चाही गई है वह केवल इतनी है कि····

(बाधा)

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपका पोइन्ट ऑफ ऑर्डर समझ चुका हूं। उस पर व्यवस्था देना चाहता हूं। क्योंकि सदन के माननीय नेता ने प्रश्न उठाया है इसलिये व्यवस्था आवश्यक है····

श्री भैरोंसिंह : स्पष्टीकरण चाहते हैं। स्पष्टीकरण की कोई आवश्यकता नहीं है।

Page No.88

श्री उपाध्यक्ष : सदन में नारे लगाये हैं इस प्रकार का व्यवहार सदन की परम्परा एवं प्रतिष्ठा के विरुद्ध है। मैं इस स्थिति पर अपना असंतोष प्रकट करता हूं और सदन के माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि भविष्य में ऐसा नहीं किया जाय।

जिस संशोधन के पक्ष में डिविज़न हुआ था, उसके पक्ष में ६२ मत आये और विपक्ष में ३५ मत आये, अतः संशोधन स्वीकार किया गया।

विभाजन के अनुसार निम्नलिखित माननीय सदस्य 'हाँ, पक्ष 'ना' पक्ष में रहे :

[हां पक्ष—६२]

१ श्री अब्दुल गफ्फार खां
२ श्री अमृतलाल पायक
३ श्री आनन्दसिंह कछावा
४ श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता
५ श्री बहादुरसिंह
६ श्री बर्कतउल्लाह खां
७ श्री भैरवलाल कालाबादल
८ श्री भीखा भाई
९ श्री भीम सेन
१० श्री विशम्भर नाथ जोशी
११ डा० चन्द्रकला
१२ श्री चुन्नीलाल
१३ श्री दामोदरलाल व्यास
१४ श्री देवागिरासिया
१५ श्री देवीलाल
१६ श्री धन्नालाल हरीत
१७ श्री धर्मपाल पवांर
१८ श्रीमती गंगादेवी डाटा
१९ श्रीमती गोरीपुनीया
२० श्री गोकुलचन्द जटाव
२१ श्री ज्ञानचन्द
२२ श्री हरीदेव जोशी
२३ श्री हरीकिशन
२४ श्री हरीप्रसाद यादव
२५ श्री हरिशचन्द्र
२६ श्री हजारीलाल बकोलिया
२७ श्री जयचन्द मोहिल
२८ श्री जनार्दन राय
२९ श्री जवेन्द्रसिंह
३० श्री जेठमल बारवाड
३१ श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी
३२ श्री ज्वालाप्रसाद
३३ श्री काना रेगर
३४ श्री किशनसिंह बट्टड
३५ श्री लक्ष्मण हरीत
३६ श्री महादेवप्रसाद बंका
३७ श्री मनोहर कोठारी
३८ श्री मधुलाल मीणा
३९ श्री मोहनलाल सुखाड़िया
४० श्री मूलचन्द
४१ श्री मोतीलाल
४२ श्री नाथूराम
४३ श्री नाथूराम मिर्धा
४४ श्री फूलाभाई
४५ श्री पी. के. चौधरी
४६ श्रीमती प्रभा मिश्रा
४७ श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा
४८ श्री राजाराम

Page No.89

(श्री उपाध्यक्ष)

४६ श्री रामचन्द्र
५० श्री रामदेव सिंह
५१ श्री रामकिशोर व्यास
५२ श्री रावत
५३ श्री रावता
५४ श्री रिखबचन्द
५५ श्री सम्पतराज
५६ श्री शंकरलाल
५७ श्री शिवनाथ सिंह
५८ श्री सोहनलाल
५६ श्री श्रीमानसिंह
६० श्री सुबेदारसिंह
६१ श्रीमती सुमीत्रादेवी
६२ श्री वली मोहम्मद

[ना पक्ष—३५]

१ श्री अनोपसिंह
२ श्री भैरवसिंह खाचरियावास
३ श्री चन्दरसिंह यादव
४ श्री दयाकृष्ण (विजय)
५ श्री डूंगरसीदास दरबान
६ मेजर श्री फतेहसिंह
७ श्री गजा पटेल
८ श्री गिरधारीलाल
६ श्री गोपीसहाय
१० श्री हंसीया
११ श्री हीरा
१२ श्री जगदीशप्रसाद माथुर
१३ श्री कालू
१४ श्री लछमीचन्द
१५ कवर श्री मंगलसिंह
१६ श्री मनरूप राम परिहार
१७ श्री मोघजी भाई
१८ श्री मोहरसिंह
१६ श्री मोतीबाबा चौधरी
२० श्री मुक्तिलाल मोदी
२१ श्री मुरलीधर व्यास
२२ श्री नरेन्द्रसिंह
२३ श्री नाथूलाल करोल मीणां
२४ श्री पृथ्वीराज
२५ श्री रामकरणसिंह
२६ श्री रामनारायण वर्मा
२७ श्री रूपाराम
२८ रावराजा श्री सरदारसिंह
२६ कुमारीसन्नोदेवी शर्मा
३० श्री शिवचरनदास
३१ श्री श्रीराम बसोतिया
३२ श्री सूरजमल
३३ श्री तानसिंह
३४ श्री बीरका
३५ श्री बेनाराम गहलोत

श्री उपाध्यक्ष : संशोधित प्रस्ताव यह है : "सदन की राय है कि यथा–शक्ति राज्य का संपूर्ण काम–काज राष्ट्र भाषा हिन्दी में हो।"

डा० चन्द्रकला : 'यथा–शक्ति' नहीं शब्द "यथा शीघ्र" है।

श्री उपाध्यक्ष : हां, 'यथा–शीघ्र'। जो

श्री उपाध्यक्ष)

इसके पक्ष में हैं वे 'हां' कहें और जो विपक्ष में हैं वे 'ना' कहें। 'हां' पक्ष जीता ?

श्री भैरोंसिंह : 'ना' पक्ष जीता।

श्री हरिदेव जोशी : 'हां' पक्ष जीता।

श्री उपाध्यक्ष : क्योंकि समय थोड़ा है इसलिये खड़े होकर मत-गणना की जाय।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, लोबी इसीलिये है।

श्री उपाध्यक्ष : मेरी यह व्यवस्था है कि दूसरा उपाय काम में लेंगे।

श्री भैरोंसिंह : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कांग्रेस दल के कई सदस्यों ने हमारे समर्थन में बातें कही हैं लेकिन पिछली बार उनको दबाया जाकर विप इश्यु करके, उनको दबाया गया। यदि इस समय लोबीज़ में जाकर मत-गणना करने की व्यवस्था दी गई तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि वे लोग इधर आवेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : ऐसी स्थिति नहीं है क्योंकि मतदान अभी हो चुका है, इसलिये स्थिति स्पष्ट है।

श्री भैरोंसिंह : कई लोग उठकर जाने वाले हैं जो व्यवस्था मतदान की है, उसी को लागू रखना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने व्यवस्था दे दी है कि हाथ उठा कर मतदान होगा।

श्री भैरोंसिंह : जो व्यवस्था है यदि उसके विरुद्ध कोई नई व्यवस्था लाई जाती है तो हम यह निवेदन कर सकते हैं कि ऐसी प्रणाली नहीं अपनाई जावे। यदि नई प्रणाली अपनाई गई और यदि आपने इसी प्रकार का निर्णय दिया तो हम सब सदस्यों को मजबूर होकर कोई दूसरा कदम उठाना पड़ेगा।

श्री उपाध्यक्ष : यह हमारे नियमों के ऊपर आधारित है, रूल २४२ पर आधारित है।

श्री भैरोंसिंह : रूल २४२ में स्पीकर की कंसेन्ट पर है, लेकिन यदि हमारी इच्छा है तो उसमें आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिये। केवल एक भय रखा जाय कि नारे नहीं लगायेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, यदि इस प्रकार की व्यवस्था रही तो नारे भी लगाये जायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : इस आशय की व्यवस्था दे दी गई है, इसलिये जो इसके पक्ष में हैं वे 'हां' कहें और जो विपक्ष में हैं वे 'ना' कहें, अपने स्थानों पर खड़े हो जावें।

(गणना के पश्चात्)

हां पक्ष जीता ?

श्री भैरोंसिंह : गिनती ठीक नहीं है, एक एक को गिना जावे।

श्री उपाध्यक्ष : जो इसके पक्ष में हैं। वे कृपया खड़े हो जावें।

श्री भैरोंसिंह : हम इतना कह कर बाहर जाते हैं कि राज्य भाषा हिन्दी हो।

(विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों द्वारा एक

Page No.91

(श्री भैरोंसिंह)

साथ "राज्य भाषा हिन्दी हो' नारा लगाते हुए सदन से बहिर्गमन)

श्री उपाध्यक्ष : प्रस्ताव स्वीकार किया गया। मैं सदन की कार्यवाही स्थगित करता हूं।

श्री पी. के. चौधरी : The House has been adjourned sine die ?

श्री उपाध्यक्ष : Will not interpret the decision of the Chair. I have got much to say as yet.

(विराम)

सदन की कार्यवाही कल दिनांक १५ अप्रैल, १६५६ प्रात: ८ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही १२ बज कर ४१ मिनट पर दिनांक १५ अप्रैल, १६५८ के प्रात: ८ बजे तक के लिये स्थगित हुई)

Page No.92

संक्षिप्त-विवरण

(सोमवार, १४ अप्रेल, ५८)

	स्कम्भ		स्कम्भ
तारांकित प्रश्नोत्तर	७२७८	पाली जिले में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित संस्थाएं	
जसवन्त कालेज, जोधपुर		इन्टर कालेजों का डिग्री कालेज में परिवर्तन करने हेतु निर्धारित मापदण्ड	
जमीन की खातेदारी		गांव खोड़ (देसूरी) का पाली तहसील के अन्तर्गत लिया जाना	
ऊन फैक्ट्री, बीकानेर		गंगानगर शुगर मिल्स	
बांगड़ हाई स्कूल, पाली		विकास खण्ड, सांगानेर	
चौपदार की बकाया रकम		मोबाइल लाइब्रेरीज़ द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली जीपें	
सीलिंग कमेटी की रिपोर्ट		ज़िला शिक्षा निरक्षक, सवाई-माधोपुर द्वारा की गई नियुक्तियां	
सिलाई केन्द्र		बीघोड़ी की वसूली	
सोजत तहसील में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में शुरू किये जाने वाले कार्य		श्री कन्हैयालाल माली, नयापुरा बांरा की खाते बांधी गई जमीन	
भूमि आवण्टन, कोटपुतली		द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत औद्योगिक संस्थानों की स्थापना	
सेल्स एम्पोरियम, देहली		बीड़, भालता ग्राम (झालावाड़)	
महाराजा स्कूल आफ आर्ट्स एण्ड क्राफ्ट्स, जयपुर		गाडौलिया लुहार सम्मेलन	
फाइनेन्स इन्क्वारी कमेटी की रिपोर्ट		ग्लास फैक्ट्रीज	
प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना		तकावी वितरण	
चरागाह, किशनगढ़			

Page No.93

स्कम्भ

भरतपुर जिले के भूमिहीन हरिजनों द्वारा भूमि-प्राप्ति के लिए दिए गए आवेदन-पत्र

जन सेवा आयोग द्वारा लघु व उच्च लिपिकों अभ्यर्थियों से लिया जाने वाला शुल्क

भूमि वितरण

सदन से अनुपस्थित रहने के लिये अनुमति

श्री मोहब्बतसिंह, सदस्य विधान सभा, को दिनांक ७-४-५८ से १३-४-५८ तक सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की गई।

अशासकीय कार्य

राजस्थान दहेज नियन्त्रण विधेयक, १९५८ ७३५६

श्री मनोहर कोठारी, सदस्य विधान सभा, ने यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि राजस्थान डावरी रेस्ट्रन्ट विधेयक, १९५८ को विचारार्थ लिया जाय जिस पर श्री तनसिंह ने यह वैधानिक आपत्ति उठाई कि चूंकि विधेयक के खंड ७ में इनाम (Reward) देने का प्रावधान किया गया है अतः संविधान के अनुच्छेद २०७ के अन्तर्गत राज्यपाल महोदय की अनुमति के बिना इस पर विचार नहीं किया जाना चाहिये। इस आपत्ति के फलस्वरूप विधेयक पर विचार आस्थगित किया गया।

स्कम्भ

अशासकीय संकल्प ७३५७

(राज्य का सम्पूर्ण काम काज राष्ट्रभाषा में किया जाना)

श्री जगदीश प्रसाद माथुर द्वारा दिनांक १ अप्रेल, १९५८ को प्रस्तावित निम्नांकित संकल्प पर अग्रतर विचार किया गया:–

"सदन की राय है कि सन् १९५९ के अन्त तक राज्य का सम्पूर्ण काम काज राष्ट्रभाषा हिन्दी में किया जाना प्रारम्भ कर दिया जावे।"

इस पर की गई बहस में निम्नांकित सदस्यों ने भाग लिया:–

१. श्री जनार्दनराय नागर
२. राव राजा सरदारसिंह
३. श्रीरामनारायण वर्मा
३. श्री हीरा भाई
४. श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा
६. श्री मुरलीधर व्यास
७. श्री सम्पतराज जैन
८. श्री ज्वाला प्रसाद

Page No.94

स्कम्भ

९. रावल श्री नरेन्द्रसिंह

१०. श्री रामचन्द्र

११. श्री सूबेदारसिंह

१२. श्री मुक्तिलाल मोदी

१३. श्री पी. के. चौधरी

१४. श्री भैरवलाल कालाबादल

१५. श्री शिवचरण दास

श्री मोहनलाल सुखाड़िया, मुख्य मंत्री, ने बहस का उत्तर दिया।

स्कम्भ

श्री मूलचन्द डागा एवं डॉ० चन्द्रकला ने अपने अपने संशोधन प्रस्ताव वापिस ले लिये। विभाजन के पश्चात् श्री बहादुरसिंह का संशोधन प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा संकल्प भी संशोधित रूप में सदन द्वारा स्वीकार किया गया।

मंगलवार, दिनांक १५ अप्रैल, १९५८ की कार्य–सूची

राजस्थान राजधानी जांच समिति के प्रतिवेदन पर अग्रेतर वाद-विवाद

७४६६

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १३३३ का उत्तर देखिये)

उदयपुर डिविजन में चलने वाले सिलाई केन्द्रों की तालिका

क्रम संख्या	सिलाई केन्द्र	जिला	स्थान का नाम	यछात्र संख
१.	सिलाई प्रशिक्षण केन्द्र	उदयपुर	उदयपुर	७
२.	,, ,,	,,	सलूम्बर	१०
३.	,, ,,	,,	ऋषभदेवजी	१५
४.	,, ,,	,,	राजसमन्द	११
५.	,, ,,	चित्तौड़	घोसून्डा	१२
६.	अल्पकालीन सिलाई प्रशिक्षण केन्द्र	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा	२०
७.	सिलाई प्रशिक्षण केन्द्र	बांसवाड़ा	प्रतापगढ़	१४
८.	,, ,,	डूंगरपुर	सागवाड़ा	१३

७४६७

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १३३५ का उत्तर देखिये)

प्रश्न संख्या १६१ खंड (ख) के उत्तर में

फहरिस्त आसामियान तहसील कोटपूतली कि जिनको जमीन अलाट हुई

क्रम सं०	नाम व्यक्ति	नाम गांव	तादाद रकबा
१.	रामदयाल चमार	मालपुरा	१५ बी.
२.	भूर्था	,,	१५ बी.
३.	कालू ,,	,,	१५
४.	स्योराम ,,	,	१५
५.	फूला ,,	,,	१५
६.	उमराव ,,	,,	१५
७.	मुलतान ,,	,,	१५
८.	बोदू ,,	,,	१५
९.	मूला ,,	,,	१५
१०.	गोविन्दा ,,	,,	१५
११.	सूजा ,,	,,	१५
१२.	कालू ,,	,,	१५
१३.	छाजू धानका	,,	१०
१४.	रामकंवार धानका	,,	१०
१५.	मौना धानका	,,	१०
१६.	श्योनारायण चमार	केशवाना राजपूत.	१५।३
१७.	जैला चमार	,,	१५।३
१८.	बाबूला चमार	,,	१५।३
१९.	चन्दर चमार	,,	१५।३
२०.	परबात चमार	,,	१५।३
२१.	मूला चमार	,,	१५।३
२२.	बीसा चमार	,,	१५।४

१	२	३	४
२३.	मोरया चमार	,,	१५।४
२४.	मक्खन चमार	,,	१५।४
२५.	रामजीलाल	,,	१५।४
२६.	मातादीन चमार	,,	१५।४
२७.	गणेश चमार	,,	१५।४
२८.	कालू चमार	,,	१५।४
२९.	सादू चमार	,,	१५।४
३०.	गवल चमार	,,	१५।४
३१.	चुना चमार	,,	१५।४
३२.	भजया चमार	,,	१५।४
३३.	मन्ना चमार	,,	१५।४
३४.	रामू चमार	..	१५।४
३५.	जेला चमार	,,	१५।४
३६.	चन्दर चमार	,,	१५।३
३७.	कुरडा चमार	,,	१५।३
३८.	मूला चमार	,,	१५।३
३९.	लीला चमार	,,	१५।३
४०.	नीसा भंगी	,,	१५।३
४१.	मक्खा भंगी	,,	१५।३
४२.	दीना भंगी	,,	१५।३
४३.	बनवारी ब्राह्मण	,,	१०
४४.	श्योनारायण, मुन्ना, श्रीराम	,,	२०
४५.	श्योनारायण रावत	,,	६
४६.	सोहन भंगी	कोट ..	२
४७.	सुरजा भंगी	,,	२
४८.	रामजीलाल भंगी	..	२
४९.	दलीचन्द भंगी	,,	२
५०.	परमाती ,,	....	२

१	२	३	४
५१.	सीलूराम	....	२
५२.	बोदू	....	२
५३.	मु० अनारी	....	२
५४.	चन्द्रभान भंगी	....	२
५५.	बिहारी भंगी	....	२
५६.	दुरगा	....	२
५७.	नाथू	....	२
५८.	लीला	....	२
५९.	मुरारी	....	२
६०.	श्रीलाल	....	२
६१.	राम प्रसाद	....	२
६२.	धुरगा, पूना छोटू	....	२
६३.	बनवारी	....	२
६४.	लाला	....	२
६५.	मन्ना	....	२
६६.	परसादी	....	२
६७.	धनसिंह	....	२
६८.	मुसद्दी	....	२
६९.	जालिया भंगियान	....	२
७०.	रघुवीर	....	२
७१.	जगन	....	२
७२.	विशम्भर	....	२
७३.	मुरवा	....	२
७४.	छींजू	....	२
७५.	परसादी	....	२
७६.	अमीचन्द	....	२
७७.	बंशी	....	२

Page No.99

१	२	३	४
७८.	जोहरी	....	२
७९.	भोला	....	२
८०.	नाथूराम	....	२
८१.	लीला	....	२
८२.	अवतार	....	२
८३.	खड़ा	....	२
८४.	बाबूलाल	....	२
८५.	फीसा	....	२
८६.	परेमा चमारान	....	३
८७.	भूरा	....	३
८८.	रिछपाल	....	३
८९.	सोहन	....	३
९०.	नारायण	....	३
९१.	जालू	....	३
९२.	श्योनाथ	....	३
९३.	छोगा	....	३
९४.	धड़सी	....	३
९५.	सुगनचन्द	....	३
९६.	मातादीन	....	३
९७.	मुलतान	....	३
९८.	ग्यारसी	....	३
९९.	श्रीराम	....	३
१००.	रामजीलाल	....	३
१०१.	रामचन्दर	....	३
१०२.	सोहन	....	३॥२
१०३.	प्रकाशचन्द्र	....	९।४
१०४.	१९ हरिजनान ग्यारसा चांदू आदि	[illegible]वता ९० मिसल रवे. बोर्ड में है	

१	२	३	४
१०५.	गोपाल गंगासहाय हरीजनान	पं. कोट	४८।.४
१०६.	रामचन्द्र आसगा	खरलड़ी	१०।.४
१०७.	मूलचन्द आसगा	....	४।१
१०८.	गैंदी देवी	महीनपुरा	४॥
१०९.	सेग्रदासा कुम्हार	बासड़ी	१०
११०.	ग्यारसा, थावरमल हरिजनान छारदड़ा	छारदड़ा	७४॥४
१११.	चंदर कुम्हार	बासड़ी	१०
११२.	पीरू नायक	....	३॥१
११३.	बुधा माली	....	१०
११४.	प्रहलाद, कन्हैयालाल	प्राथरेडी	३०
११५.	मुलतान मीना	कुरवास	१०
११६.	साधू अहीर	पाकरेडी	१३
११७.	स्यानारायण चमार	बडावास	११॥
११८.	कन्हैयालाल यादव	थायरेडी	५
११९.	प्रहलाद चंद यादव	....	५
१२०.	भूरा ओंकार हरिजनान	नागड़ीवास	१६
१२१.	मंगा	....	८
१२२.	छीतर	....	१०।१
१२३.	ग्यारसी बावरिया	टापरी	४
१२४.	श्योजी	....	२
१२५.	हरनाथ गुजर	....	४
१२६.	गुल्ला धानक	....	६
१२७.	मामराज चमार	....	५
१२८.	सुरजा	....	६
१२९.	चोदन गुजर	....	६
१३०.	कावरिया रामनाथ	....	३

१	२	३	४
१३१.	भगवाना गुजर	....	५
१३२.	फूला गुजर	....	६
१३३.	रबड़ा गुजर	....	६
१३४.	तोतिया बावरिया	....	२
१३५.	धनजी गुजर	....	४
१३६.	परभाती गुजर	....	६
१३७.	हजारी चमार	मोलाहेड़ा	१०
१३८.	देवीसहाय	....	८
१३९.	भूरा बलाही	....	८
१४०.	प्रभाती चमार	मोलाहेड़ा	८
१४१.	नाथू चमार	....	८
१४२.	मूला बलाई	....	६
१४३.	कालू चमार	....	१२
१४४.	किशना चमार	....	१५
१४५.	गोपी बलाई	....	५
१४६.	हरलाला गुजर	....	८।२
१४७.	सूरजा गुजर	....	१२
१४८.	साधू चमार	....	५
१४९.	गोपी चमार	....	८
१५०.	नारायण	....	१०
१५१.	हरलाल बलाई	....	१२
१५२.	बुद्धा चमार	....	६
१५३.	गणेश चमार	....	१०
१५४.	जैनारायण	....	८
१५५.	नन्दा चमार	....	५
१५६.	मुखराम बलाई	....	१०
१५७.	सोहन बलाई	....	८

१	२	३	४
१५८.	फूला चमार	....	१०
१५९.	गोपी चमार	....	८
१६०.	स्यो सहाय	....	७
१६१.	नेता चमार	बासडी	१०।
१६२.	मोहन चमार	....	१०।
१६३.	स्योसहाय	....	१०।
१६४.	घीसा रामदेव मीना	कुरवास	१५
१६५.	कालू भगवता सुमरता मीना	बासडी	१८॥
१६६.	भूंथा बावरिया	चानक्की	६॥
१६७.	चंदर बावरिया	....	८।२
१६८.	ग्यारसा बावरिया	....	६॥
१६९.	स्योनारायण	....	८

———

परिशिष्ट ३

कृपया तारांकित प्रश्न——संख्या १३४३ का उत्तर देखिये।

सन् १९५४ से १९५७ तक पाली जिले में खोले गये छात्रावास, संस्कार केन्द्र, रात्रि कक्षाएं व पाठशालाओं की तालिका।

क्रमांक	संस्था का नाम	स्थान	छात्र संख्या	विशेष विवरण
१.	छात्रावास	१. पाली	२५	५
		२. फालना	५०	
		२. सेवाड़ी	२५	
२.	संस्कार केन्द्र	१. पाली	४३ प्रौढ़ स्त्रियां	
			३४ प्रौढ़ पुरुष	
३.	रात्रि कक्षाएं :समाज शिक्षण केन्द्र:	१. तखतगढ़	२८	
		२. पाली	२५	
		३. सुमेरपुर	२७	
		४. मालनू	२३	
		५. कोयलआव	२६	
		६, भीमाना	१७	
		७. देसूरी	१६	
४.	पाठशाला	१. नया गांव	५०	
		२. कागदड़ा	५०	

परिशिष्ट ४

(कृपया प्रश्न संख्या १३५६ का उत्तर देखिये)

इन्डस्ट्रियल स्टेट में उद्योगपतियों को दी जाने वाली सुविधायें–

(क) विद्युत की यथोचित दरः– विद्युत उचित दर पर प्राप्त की जा सकेगी। वर्तमान स्थिति में जयपुर शहर में लागू दरों पर ही बिजली मिलेगी किन्तु योग्यतानुकूलता के आधार पर इसमें सहायता नियमानुसार सरकार दे सकती है। चम्बल विद्युत योजना के परिपूर्ण होने पर जयपुर शहर को विद्युत अल्प दरों से मिल सकेगी।

(ख) जल वितरण की दर नौ आने फ़ी हजार गैलन होगी जिसमें मीटर का किराया शामिल नहीं होगा।

(ग) रेल्वे साइडिंगः– औद्योगिक क्षेत्र के सामने गोदामों के पास के रेल्वे साइडिंग के लिये पहले से ही जमीन है जो सामान के लादने व उतारने के लिये काम में ली जा सकती है।

(घ) सड़कों पर रोशनी, मेडीकल सहायता व सफाई की व्यवस्था की जायगी।

(ङ) उद्योगों के लाभ के लिये मुफ्त टेक्नीकल परामर्श दिया जायगा।

(च) टेलीफोनों की व्यवस्था की जायगी।

(छ) पानी के नलों, बिजली, गन्दे पानी की नालियों की मरम्मत व सार्वजनिकउद्यान व मैदानों की व्यवस्था की जायगी।

(ज) आवश्यक सड़कें, बगीचे व पेड़ लगाने की भी व्यवस्था होगी।

(झ) उद्योगों को माल तैयार करने, इलेक्ट्रोप्लेटिंग व हीट ट्रीटमेन्ट इत्यादि की सामूहिक सुविधायें प्राप्त होंगी।

छोटे उद्योग धन्धों के लिये अन्य सुविधायें–

(क) राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के आधार पर ब्याज की बहुत ही सस्ती दरों व उदार शर्तों पर पट्टों को कर्जा दिया जाता है। औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए अपेक्षित एक लाख रुपये से अधिक कर्जे की अवस्था में राजस्थान आर्थिक निगम (राजस्थान फाइनैन्सियल कारपोरेशन) द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का उपयोग किया जा सकता है।

(ख) राज्य के विभिन्न विभागों द्वारा गोदामों के लिये अपेक्षित कुटीर व लघु उद्योगों के उत्पादन के लिये सरकार ने लागत से २५ प्रतिशत ज्यादा देने के लिये आदेश जारी कर दिये हैं।

(ग) छोटे उद्योग धन्धों के लिये नियंत्रित वस्तुओं, जैसे लोहा, इस्पात व कोयले आर्वटन की व्यवस्था की गई है।

(घ) राज्य के प्रशासनिक खंड में राज्य के उद्योग धंधों द्वारा उत्पादित वस्तुओं के प्रचार हेतु ऐसे उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं के उत्कृष्ट नमूनों के प्रदर्शन की गई है।

(ङ) ऐसी वस्तुओं की बिक्री की भी व्यवस्था राज्य के विभिन्न विक्रय जायेगा।

(च) नेशनल स्माल इन्डस्ट्रीज (प्राइवेट) लिमिटेड, नई दिल्ली द्वारा प्रसार कराया खरीद प्रणाली के आधार पर छोटे उद्योगों के लिये बहुत ही रियायती दरों पर मशीनों के खरीदने की सुविधायें भी विद्यमान हैं ?

(छ) भारत सरकार की आयात पद्धति के साथ संलग्न अत्यावश्यक प्रमाण पत्र के लाभ का उपयोग वे पक्ष कर सकेंगे जो २५ हजार रुपये की कीमत तक मशीनें व सामान के आयात करने के लिये अनुमति पत्र चाहते हैं।

परिशिष्ट ५

(कृपया प्रश्न संख्या १३६० का उत्तर देखिये)

सुत्री कास्तकारान जिन्हें ३० सितम्बर से २ अक्टूबर ५७ तक तकावी मंजूर की गई

सं०	नाम मय वल्दियत	गांव	स्वीकृत रकम	कार्य जिसके लिये स्वीकृत की गई	तारीख वितरण
१.	मोडसिंह वल्द मबूतसिंह दारोगा	नारलाई	१०००)	नवा बैरा खरीदने	३-१-५८
२.	मोहनलाल वल्द नेनूराम कायस्थ	घाणेराव	१०००)	....	१५-१-५८
३.	नवलसिंह पुत्र वचनसिंह राजपूत	देसूरी	७००)	बैरा बांधने	२४-२-५८
४.	गणेशमल पुत्र जेठमल	....	६००)	नया बैरा खोदने	१०-१-५८
५.	करीम खां पुत्र अमरखां	....	६००)	....	१०-१-५८
६.	मोहनसिंह पुत्र डूंगरसिंह राजपूत	खोड	४००)	बैरा बांधने	४-१-५८
७.	हजारी सिंह पुत्र गणेश दरोगा	....	४००)	....	४-१-५८
८.	तारू पुत्र पूना कुम्रावत	....	५००)	....	४-१-५८
९.	खेताराम पुत्र सरूप सीरवी	....	५००)	....	२४-१-५८
१०.	माना पुत्र खेमा मीना	....	४००)	....	२४-१-५८
११.	चुनीया पुत्र कसीया भांभी	....	७००)	नया बैरा खोदने	
१२.	रूपा पुत्र पन्ना भांभी	किरवा	८००)	....	१०-१-५८
१३.	रूपा पुत्र जैना चौधरी	चाचोड़ी	५००)	बेरा बांधने	४-१-५८
१४.	पेमी पुत्र जमना	....	५००)	....	४-१-५८
१५.	बुधा पुत्र धुला गांधी	बूसी	५००)	बेरे की मरम्मत	२४-१-५८
१६.	चिताम्बरदास पुत्र हनुमानदास	सेमटावा	३००)	नया बैरा खोदने	२३-१-५८
१७.	विजयसिंह पुत्र रामसिंह	संसारी	१०००)	....	१६-१-५८
१८.	खागो पुत्र पोला गुरु	दादाई	३५०)	बैरे की मरम्मत	४-१-५८
१९.	दीया पुत्र मांचा भांभी	....	३५०)	....	४-१-५८
२०.	परतापसिंह पुत्र बख्तावरसिंह	गुडाठाकुरजी	६००)	नया बैरा खोदने	१८-१-५८
२१.	चैलिया गमना सीरवी	खीवाडा	६००)	....	३-१-५८
२२.	मूला पुत्र जमाना	....	१०००)	....	१०-१-५८

१	२	३	४		५
२३.	रणजीतसिंह पुत्र हरीसिंह	गुडाठाकुरजी	१०००)	....	१०–१–५८
२४.	कुन्दसिंह पुत्र धनसिंह	....	६००)	....	१८–१–५८
२५.	रूपा पुत्र पना मेगवाल	बूसी	१५००)	....	२४–१–५८
२६.	भोपालसिंह पुत्र करनसिंह	बरकाना	१०००)	....	४–१–५८
२७.	खीवा पुत्र जोधा माली	....	१०००)	....	४–१–५८
२८.	गजिया पुत्र धन्ना मीणा	कल्याणपुरा	२००)	बेरा गहरा करने	२५–२–५८
२९.	नरसिया पुत्र भला मीणा	....	८००)	नया बेरा खोदने	
३०.	घेरूप पुत्र मंगा पुरोहित	चोवाडी	७००)	....	२५–२–५८
३१.	जीवा पुत्र धुला भावी	विरमपुरा	३००)	बेरे की मरम्मत	२८–२–५८
३२.	अनसिंह पुत्र सरदारसिंह	....	४००)	....	२८–२–५८
३३.	कसीया पुत्र राजा भावी	बाडका	३००)	बेरे की मरम्मत	२५–२–५८
३४.	खीमिया पुत्र रामा सीखी	दादाई	३००)	....	....
३५.	धूला पुत्र कूपा भावी	....	३००)	....	....
३६.	देवा पुत्र आणदा सीखी	....	४००)	....	....
३७.	चतरा पुत्र देवा मीणा	दोमुरी	५००)	नया, बेरा खोदने	११–१–५८
३८.	राजा पुत्र पेमा भांभी	बाडका	३००)	बेरे की मरम्मत	२५–२–५८
३९.	गोमा पुत्र रामा मेणा	देसूरी	७००)	नया बेरा खोदने	
४०.	वीरा पुत्र पोला मेणा	....	५००)	....	११–१–५८
४१.	कुनिया पुत्र केसा मेणा	कल्याणपुरा	७००)		४–१–५८
४२.	नेना पुत्र रता भांभी	खूसी	२००)	बैल खरीदने	२४–१–५८
४३.	सरुपा पुत्र जेता भांभी	ड....	२००)	....	....
४४.	माना पुत्र शेरा भांभी	....	२००)	....	....
४५.	नवला पुत्र लछा भांभी	....	२००)	....	....
४६.	भीका पुत्र जगमाल भांभी	....	२००)	....	....
४७.	सोहनसिंह पुत्र हिम्मतसिंह	निम्बाडा	२००)	....	....
४८.	मवूतसिंह पुत्र धीरसिंह	चन्द्रवाडा	२००)	....	२३–१–५८
४९.	बना पुत्र रुघनाथ भांभी	नारलाई	१५०)		२८–१–५८

१	२	३	४	५	
५०. बरदा पुत्र केसा भांभी		....	१५०)	....	....
५१. पुलिया पुत्र शेरा		....	१५०)	....	....
५२. मगना पुत्र सोमा		....	१५०)	....	....

शुद्धि-पत्र

(कार्य-विवरण, सोमवार, दि० १४ अप्रेल, १६५८)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
७३२२	१	(खास्वी-सु)	(खारची-सु.)
७३५६	अन्तिम से ६	repuires	equires
७४४६	अन्तिम से ६	Diusion	Division
७४५२	अन्तिम से १३	श्री बहादरसिंह	डॉ० बहादुरसिंह
७४५३	अन्तिम से ३	श्रीमती प्रभ मिश्रा	श्रीमती प्रभा मिश्रा
७४५४	५	श्री रावत	श्री रावतराम (बालोतरा)
७४५४	६	श्री रावता	श्री रावतराम (चुरू)
७४५५	१०	श्री तानसिंह	श्री तनसिंह